

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-5/7** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री राम कुमार शर्मा पुत्र स्व० गोकूल राम शर्मा**  
**जनता ट्रांसपोर्ट, डी-83, टी० पी० नगर,**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **44** दिनांक **17.05.2000** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-5/7** से. **22** क्षे. **50.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु०	<b>19088</b>	रु० <b>265</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>16800</b>	रु० <b>118</b>
<b>योग (अ)</b>	रु०	<b>35888</b>	रु० <b>383</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु०	<b>4665</b>	रु० <b>25</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>1650</b>	रु० <b>5</b>
<b>योग (ब)</b>	रु०	<b>6315</b>	रु० <b>30</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु०	<b>42203</b>	रु० <b>413</b>


**नोट:- रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **165.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. B-3/6 / से. 22 / 2023-24 दिनांक

श्रीमती प्रीति सिंह पत्नी श्री संतोष सिंह  
निवासी-ग्राम व पोस्ट-चूरिया, तहसील-सलेमपुर,  
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या 3 दिनांक 12.05.2000 के माध्यम से गीडा की ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. B-3/6 से. 22 क्षे. 30.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	10792	रु0 160
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	10080	रु0 71
योग (अ)	रु0	20872	रु0 231

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	2713	रु0 15
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	990	रु0 3
योग (ब)	रु0	3703	रु0 18
महायोग (अ एवं ब)	रु0	24575	रु0 249


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 99.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-2/7** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री रामदेव प्रसाद पुत्र श्री रमापति**  
**जटेपुर उत्तरी, मकान संख्या -124/323**  
**पोस्ट-गोरखनाथ**  
**जिला-गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **17** दिनांक **12.05.2000** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-2/7** से. **22** क्षे. **22.50** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>8591</b>	<b>107</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>7560</b>	<b>47</b>
<b>योग (अ)</b>	<b>रु0</b>	<b>16151</b>	<b>154</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>2100</b>	<b>10</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>743</b>	<b>2</b>
<b>योग (ब)</b>	<b>रु0</b>	<b>2843</b>	<b>12</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	<b>रु0</b>	<b>18994</b>	<b>166</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **74.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-6/8** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री सदानन्द शुक्ला पुत्र श्री दीना नाथ शुक्ला**  
**तुर्कमानपुर,**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **67** दिनांक **20.05.2000** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-6/8** से. **22** क्षे. **75.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>5980</b>	रु0 <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>14461</b>	रु0 <b>-141</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>20441</b>	रु0 <b>-141</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>2657</b>	रु0 <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>2475</b>	रु0 <b>8</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>5132</b>	रु0 <b>8</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>25573</b>	रु0 <b>-133</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **248.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-2/5** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री शैलेन्द्र कुमार गुप्ता पुत्र श्री त्रिलोकी नाथ गुप्ता**  
**निवासी-ग्राम-नौसड़,**  
**पोस्ट-नौसड़,**  
**जिला-गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **15** दिनांक **12.05.2000** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-2/5** से. **22** क्षेत्र **22.50** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>1004</b>	रु0 <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>3476</b>	रु0 <b>-39</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>4480</b>	रु0 <b>-39</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>582</b>	रु0 <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>743</b>	रु0 <b>2</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>1325</b>	रु0 <b>2</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>5805</b>	रु0 <b>-37</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **74.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-2/1** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री रणंजय प्रताप सिंह पुत्र श्री रामपाल सिंह**  
**निवासी-ग्राम व पोस्ट-सोल्हवां,**  
**जिला-अम्बेडकर नगर।**

आवंटन पत्र संख्या **58** दिनांक **17.05.2000** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-2/1** से. **22** क्षे. **45.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>10569</b>	रु0 <b>13</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>15120</b>	रु0 <b>29</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>25689</b>	रु0 <b>42</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>3340</b>	रु0 <b>3</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>1485</b>	रु0 <b>5</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>4825</b>	रु0 <b>8</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>30514</b>	रु0 <b>50</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **149.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-4/26** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री अशोक कुमार यादव व श्री राम सतीश यादव पुत्रगण श्री साधु प्रसाद**  
**निवासी-बेलवा डाडी, पोस्ट-गाडर (खजनी)**  
**तहसील-सहजनवाँ,**  
**जिला-गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **70** दिनांक **20.05.2000** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-4/26** से. **22** क्षे. **70.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-50	रु0
<b>योग (अ)</b>	रु0	-50	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2310	रु0
<b>योग (ब)</b>	रु0	2310	रु0
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	2260	रु0


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **231.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-2/3** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री अमरजीत कुमार पुत्र श्री लक्ष्मीशंकर,**  
**निवासी-ढेबरा ब्रजूरग,**  
**ढखवा बाजार,**  
**जिला-गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **465** दिनांक **08.11.2005** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-2/3** से. **22** क्षे. **23.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>345</b>	रु0 <b>7</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>2070</b>	रु0 <b>15</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>2415</b>	रु0 <b>22</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>314</b>	रु0 <b>1</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>759</b>	रु0 <b>5</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>1073</b>	रु0 <b>6</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>3488</b>	रु0 <b>28</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **76.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**



पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-5/10** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री मोती पुत्र श्री जमुना**  
**मकान नम्बर 483, महई सुधरपुर,**  
**पोस्ट-न्यू शिवपुरी कालोनी,**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **74** दिनांक **22.05.2000** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-5/10** से. **22** क्षे. **50.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>19088</b>	रु0 <b>265</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>16800</b>	रु0 <b>118</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>35888</b>	रु0 <b>383</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>4665</b>	रु0 <b>25</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>1650</b>	रु0 <b>5</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>6315</b>	रु0 <b>30</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>42203</b>	रु0 <b>413</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **165.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-5/14** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री धूपचन्द्र सिंह पुत्र श्री कालिका सिंह**  
**राज लक्ष्मी ट्रांसपोर्ट सर्विस,**  
**ट्रांसपोर्ट नगर,**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **80** दिनांक **07.07.2000** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-5/14** से. **22** क्षे. **50.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	<u>रख-रखाव</u>		<u>लीज रेन्ट</u>	
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-150	रु0	0
<b>योग (अ)</b>	रु0	-150	रु0	0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1650	रु0	5
<b>योग (ब)</b>	रु0	1650	रु0	5
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	1500	रु0	5

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **165.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-3/22** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री संजय कुमार पुत्र श्री लाल चन्द्र प्रसाद,**  
**ग्राम व पोस्ट-नौसड़,**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **37** दिनांक **17.05.2000** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-3/22** से. **22** क्षे. **50.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>17875</b>	रु0 <b>265</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>16458</b>	रु0 <b>118</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>34333</b>	रु0 <b>383</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>4463</b>	रु0 <b>25</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>1650</b>	रु0 <b>5</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>6113</b>	रु0 <b>30</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>40446</b>	रु0 <b>413</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **165.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-2/8** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

श्री रेयाज खान पुत्र श्री जब्बार खान  
ग्राम-धरौली  
पोस्ट-घोषी,  
जनपद-मऊ (यू0पी0)

आवंटन पत्र संख्या **475** दिनांक **08.11.2005** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-2/8** से. **22** क्षे. **45.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>13753</b>	रु0 <b>277</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>14080</b>	रु0 <b>163</b>
योग (अ)	रु0	<b>27833</b>	रु0 <b>440</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>3618</b>	रु0 <b>29</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>1485</b>	रु0 <b>9</b>
योग (ब)	रु0	<b>5103</b>	रु0 <b>38</b>
महायोग (अ एवं ब)	रु0	<b>32936</b>	रु0 <b>478</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **149.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-3/18** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री विवेकानन्द सिंह पुत्र श्री सभापति सिंह**  
**मकान नं०-437 बी, कृष्णा नगर ( प्राईवेट )**  
**बशारतपुर,**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **12** दिनांक **12.05.2000** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-3/18** से. **22** क्षे. **30.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु०	<b>0</b>	रु० <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>-422</b>	रु० <b>-34</b>
<b>योग (अ)</b>	रु०	<b>-422</b>	रु० <b>-34</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु०	<b>0</b>	रु० <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>990</b>	रु० <b>3</b>
<b>योग (ब)</b>	रु०	<b>990</b>	रु० <b>3</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु०	<b>568</b>	रु० <b>-31</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **99.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-3/10** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

श्रीमती मुराती देवी पत्नी श्री कैलाश नाथ यादव  
ग्राम-बोक्टा, पोस्ट-सहजनवाँ,  
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **6** दिनांक **12.05.2000** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-3/10** से. **22** क्षे. **30.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	<u>रख-रखाव</u>		<u>लीज रेन्ट</u>	
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-111	रु0	-122
योग (अ)	रु0	-111	रु0	-122

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	990	रु0	3
योग (ब)	रु0	990	रु0	3
महायोग (अ एवं ब)	रु0	879	रु0	-119


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **99.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-3/17** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्रीमती संजीदा खानम पत्नी श्री मु० हमीद,**  
**ग्राम-बाबू का विशुनपुरा,**  
**पोस्ट-गवनर,**  
**जिला-गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **11** दिनांक **12.05.2000** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-3/17** से. **22** क्षे. **30.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु०	<b>1583</b>	<b>रु० 160</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>4931</b>	<b>रु० 71</b>
<b>योग (अ)</b>	<b>रु०</b>	<b>6514</b>	<b>रु० 231</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु०	<b>847</b>	<b>रु० 15</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>990</b>	<b>रु० 3</b>
<b>योग (ब)</b>	<b>रु०</b>	<b>1837</b>	<b>रु० 18</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	<b>रु०</b>	<b>8351</b>	<b>रु० 249</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **99.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-3/26** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**मैसर्स सिंह ट्रांसपोर्ट कम्पनी**  
**7-नवीन ट्रांसपोर्ट नगर,**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **40** दिनांक **17.05.2000** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-3/26** से. **22** क्षे. **69.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>26345</b>	रु0 <b>370</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>23184</b>	रु0 <b>165</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>49529</b>	रु0 <b>535</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>6439</b>	रु0 <b>35</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>2277</b>	रु0 <b>7</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>8716</b>	रु0 <b>42</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>58245</b>	रु0 <b>577</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **228.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।



पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-3/7** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

श्रीमती अलका सिंह पत्नी श्री संजय सिंह  
निवासी-ग्राम व पोस्ट-चूरिया, तहसील-सलेमपुर,  
जिला-देवरिया।

आवंटन पत्र संख्या **4** दिनांक **12.05.2000** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-3/7** से. **22** क्षे. **30.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>11454</b>	रु0 <b>160</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>10080</b>	रु0 <b>71</b>
योग (अ)	रु0	<b>21534</b>	रु0 <b>231</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>2799</b>	रु0 <b>15</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>990</b>	रु0 <b>3</b>
योग (ब)	रु0	<b>3789</b>	रु0 <b>18</b>
महायोग (अ एवं ब)	रु0	<b>25323</b>	रु0 <b>249</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **99.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-2/18** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

श्री प्रदीप कुमार अग्रहरि पुत्र स्व० केदार नाथ अग्रहरी  
निवासी-वार्ड नं.-6, इन्द्रा नगर, तहसील-डूमरियागंज,  
जिला-सिद्धार्थनगर, यू०पी०-272189

आवंटन पत्र संख्या **62** दिनांक **20.05.2000** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-2/18** से. **22** क्षे. **22.50** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	<u>रख-रखाव</u>		<u>लीज रेन्ट</u>	
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु०	<b>0</b>	रु०	<b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>-210</b>	रु०	<b>-144</b>
योग (अ)	रु०	<b>-210</b>	रु०	<b>-144</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु०	<b>0</b>	रु०	<b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>743</b>	रु०	<b>2</b>
योग (ब)	रु०	<b>743</b>	रु०	<b>2</b>
महायोग (अ एवं ब)	रु०	<b>533</b>	रु०	<b>-142</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **74.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-2/4** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री रामनाथ यादव पुत्र श्री छागूर प्रसाद यादव**  
**निवासी-ग्राम-पिपरा, पोस्ट-सहजनवाँ,**  
**जिला-गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **32** दिनांक **12.05.2000** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-2/4** से. **22** क्षे. **45.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>9533</b>	रु0 <b>265</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>12382</b>	रु0 <b>118</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>21915</b>	रु0 <b>383</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>2849</b>	रु0 <b>25</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>1485</b>	रु0 <b>5</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>4334</b>	रु0 <b>30</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>26249</b>	रु0 <b>413</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **149.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-1/15** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री विजय कुमार जायसवाल पुत्र श्री राम किशुन जायसवाल,**  
**नवीन ट्रांसपोर्ट नगर,**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **88** दिनांक **27.07.2000** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-1/15** से. **22** क्षे. **150.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>0</b>	रु0 <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>1077</b>	रु0 <b>1</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>1077</b>	रु0 <b>1</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>117</b>	रु0 <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>4950</b>	रु0 <b>15</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>5067</b>	रु0 <b>15</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>6144</b>	रु0 <b>16</b>


**नोट:- रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **495.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-2/4** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री अशोक कुमार पुत्र श्री लक्ष्मीशंकर,**  
**निवासी-ढेबरा ब्रजूरग,**  
**ढखवा बाजार,**  
**जिला-गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **466** दिनांक **08.11.2005** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-2/4** से. **22** क्षे. **23.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>345</b>	रु0 <b>7</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>2070</b>	रु0 <b>15</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>2415</b>	रु0 <b>22</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>314</b>	रु0 <b>1</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>759</b>	रु0 <b>5</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>1073</b>	रु0 <b>6</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>3488</b>	रु0 <b>28</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **76.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-3/23** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री अरविन्द कुमार जायसवाल पुत्र श्री अंगद कुमार जायसवाल**  
**निवासी-60 वाई, महेवा न्यू कालोनी,**  
**पोस्ट-शिवपुरी कालोनी,**  
**जिला-गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **38** दिनांक **17.05.2000** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-3/23** से. **22** क्षे. **50.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>3057</b>	रु0 <b>15</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>8699</b>	रु0 <b>31</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>11756</b>	रु0 <b>46</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>1528</b>	रु0 <b>3</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>1650</b>	रु0 <b>5</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>3178</b>	रु0 <b>8</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>14934</b>	रु0 <b>54</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **165.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-2/2** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री अश्वनी कुमार सिंह पुत्र श्री त्रिवेणी सिंह**  
**सिंह आटो मोबाइल्स, महेवा चौक,**  
**ट्रांसपोर्ट नगर,**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **60** दिनांक **19.05.2000** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-2/2** से. **22** क्षे. **45.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>3433</b>	रु0 <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>8508</b>	रु0 <b>-278</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>11941</b>	रु0 <b>-278</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>1552</b>	रु0 <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>1485</b>	रु0 <b>5</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>3037</b>	रु0 <b>5</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>14978</b>	रु0 <b>-273</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **149.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-3/15** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री राजीव कुमार शुक्ला पुत्र श्री सदानन्द शुक्ला**  
**शुक्ला सा मिल, बर्फखाना रोड?**  
**तुर्कमानपुर,**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **9** दिनांक **12.05.2000** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-3/15** से. **22** क्षे. **30.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>2392</b>	रु0 <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>5784</b>	रु0 <b>-365</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>8176</b>	रु0 <b>-365</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>1063</b>	रु0 <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>990</b>	रु0 <b>3</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>2053</b>	रु0 <b>3</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>10229</b>	रु0 <b>-362</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **99.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**



पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. B-3/19 / से. 22 / 2023-24 दिनांक

श्री राजेश कुमार जायसवाल पुत्र श्री नेबूलाल जायसवाल  
ग्राम-केशवपुर, पोस्ट आफिस के बगल में,  
पोस्ट-सहजनवाँ,  
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या 13 दिनांक 12.05.2000 के माध्यम से गीडा की ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. B-3/19 से. 22 क्षेत्र 30.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	4272	रु0 160
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	7140	रु0 71
योग (अ)	रु0	11412	रु0 231

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	1484	रु0 15
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	990	रु0 3
योग (ब)	रु0	2474	रु0 18
महायोग (अ एवं ब)	रु0	13886	रु0 249


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 99.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-5/2** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री सियाराम,  
विश्वनाथ जगदीश काम्प्लेक्स,  
ट्रांसपोर्ट नगर, महेवा,  
गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **86** दिनांक **27.07.2000** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-5/2** से. **22** क्षे. **200.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>2845</b>	रु0 <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>4774</b>	रु0 <b>-25</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>7619</b>	रु0 <b>-25</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>990</b>	रु0 <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>6600</b>	रु0 <b>20</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>7590</b>	रु0 <b>20</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>15209</b>	रु0 <b>-5</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **660.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-2/14** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री विजय कुमार पुत्र श्री मोती लाल गुप्ता,**  
**877-हसनगंज, लाल डिग्गी पार्क,**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **61** दिनांक **20.05.2000** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-2/14** से. **22** क्षे. **22.50** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>5915</b>	<b>107</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>6683</b>	<b>47</b>
<b>योग (अ)</b>	<b>रु0</b>	<b>12598</b>	<b>154</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>1638</b>	<b>10</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>743</b>	<b>2</b>
<b>योग (ब)</b>	<b>रु0</b>	<b>2381</b>	<b>12</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	<b>रु0</b>	<b>14979</b>	<b>166</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **74.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-2/17** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री छोटे लाल गुप्ता पुत्र स्व० राम दुलारे**  
**निवासी-महेवा छोटा टोला, पोस्ट-शिवपुरी नई कालोनी,**  
**महेवा, गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **24** दिनांक **12.05.2000** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-2/17** से. **22** क्षे. **22.50** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु०	<b>8591</b>	<b>107</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>7560</b>	<b>47</b>
<b>योग (अ)</b>	<b>रु०</b>	<b>16151</b>	<b>154</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु०	<b>2100</b>	<b>10</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>743</b>	<b>2</b>
<b>योग (ब)</b>	<b>रु०</b>	<b>2843</b>	<b>12</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	<b>रु०</b>	<b>18994</b>	<b>166</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **74.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-3/10** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री मनीष कुमार गुप्ता एवं श्री आशीष कुमार गुप्ता पुत्रगण श्री**  
**ग्राम-सहिजना,**  
**पोस्ट-सहजनवाँ,**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **76** दिनांक **07.07.2000** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-3/10** से. **22** क्षे. **148.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-533	रु0
<b>योग (अ)</b>	रु0	-533	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4884	रु0
<b>योग (ब)</b>	रु0	4884	रु0
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	4351	रु0

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **488.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-5/21** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

श्रीमती रोजी अग्रहरी पत्नी श्री विजय प्रकाश अग्रहरी  
साहबगंज, गल्ला मंडी निकट दुर्गा मंदिर  
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **467** दिनांक **08.11.2005** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-5/21** से. **22** क्षे. **125.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>18282</b>	<b>रु0 110</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>30061</b>	<b>रु0 185</b>
योग (अ)	रु0	<b>48343</b>	<b>रु0 295</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>6285</b>	<b>रु0 19</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>4125</b>	<b>रु0 25</b>
योग (ब)	रु0	<b>10410</b>	<b>रु0 44</b>
महायोग (अ एवं ब)	रु0	<b>58753</b>	<b>रु0 339</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **413.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. B-3/3 / से. 22 / 2023-24 दिनांक

श्रीमती रेनु पुत्री श्री दयाशंकर पाण्डेय  
ग्राम-भिटी खोरिया  
थाना-खजनी,  
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या 473 दिनांक 08.11.2005 के माध्यम से गीडा की ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. B-3/3 से. 22 क्षे. 30.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	7221	रु0 184
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	8638	रु0 109
योग (अ)	रु0	15859	रु0 293

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	2062	रु0 19
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	990	रु0 6
योग (ब)	रु0	3052	रु0 25
महायोग (अ एवं ब)	रु0	18911	रु0 318

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 99.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-3/1** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

श्री अशोक कुमार जायसवाल पुत्र श्री हरिशंकर जायसवाल,  
जैशवाल ट्रांसपोर्ट कम्पनी,  
ए/9, ट्रांसपोर्ट नगर,  
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **90** दिनांक **27.07.2000** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-3/1** से. **22** क्षे. **135.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>51539</b>	रु0 <b>742</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>45360</b>	रु0 <b>328</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>96899</b>	रु0 <b>1070</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>12597</b>	रु0 <b>70</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>4455</b>	रु0 <b>14</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>17052</b>	रु0 <b>84</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>113951</b>	रु0 <b>1154</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **446.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।



पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-3/25** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री गोपाल पाण्डेय पुत्र श्री रामानन्द पाण्डेय**  
**मैसर्स बिहार बंगाल रोडवेज,**  
**न्यू ट्रांसपोर्ट नगर,**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **39** दिनांक **17.05.2000** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-3/25** से. **22** क्षे. **50.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	<u>रख-रखाव</u>		<u>लीज रेन्ट</u>	
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>1357</b>	रु0	<b>30</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>6320</b>	रु0	<b>57</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>7677</b>	रु0	<b>87</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>998</b>	रु0	<b>6</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>1650</b>	रु0	<b>5</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>2648</b>	रु0	<b>11</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>10325</b>	रु0	<b>98</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **165.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-2/10** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

श्री अयोध्या नाथ पाण्डेय पुत्र श्री राम लखन पाण्डेय,  
ग्राम व पोस्ट-बड़गहन,  
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **20** दिनांक **12.05.2000** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-2/10** से. **22** क्षे. **22.50** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	रख-रखाव		लीज रेन्ट	
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-47	रु0	-43
योग (अ)	रु0	-47	रु0	-43

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	743	रु0	2
योग (ब)	रु0	743	रु0	2
महायोग (अ एवं ब)	रु0	697	रु0	-41

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **74.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-6/4** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

श्री ब्रजेश कुमार जायसवाल पुत्र स्व० राम जलन जायसवाल  
हमार्थपुर उत्तरी ( दिग्विजय नगर कालोनी )  
गोरखपुर ।

आवंटन पत्र संख्या **50** दिनांक **17.05.2000** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना  
के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-6/4** से. **22** क्षे. **37.50** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव  
शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु०	<b>5437</b>	रु० <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>8989</b>	रु० <b>-50</b>
योग (अ)	रु०	<b>14426</b>	रु० <b>-50</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु०	<b>1875</b>	रु० <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>1238</b>	रु० <b>4</b>
योग (ब)	रु०	<b>3113</b>	रु० <b>4</b>
महायोग (अ एवं ब)	रु०	<b>17539</b>	रु० <b>-46</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **124.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-3/7** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री असलम परवेज**  
**एस0पी0 बैट्री हाउस,**  
**ए-14, ट्रांसपोर्ट नगर,**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **153** दिनांक **30.03.2002** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-3/7** से. **22** क्षे. **138.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>32448</b>	रु0 <b>23</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>46168</b>	रु0 <b>94</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>78616</b>	रु0 <b>117</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>4788</b>	रु0 <b>8</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>4554</b>	रु0 <b>28</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>9342</b>	रु0 <b>36</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>87958</b>	रु0 <b>153</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **455.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-2/3** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री इन्द्रजीत शर्मा पुत्र श्री राम जगत शर्मा**  
**ए-29, डब्ल्यू0 एच0 एस0, लकड़मंडी,**  
**कीर्ति नगर,**  
**दिल्ली-110015**

आवंटन पत्र संख्या **33** दिनांक **12.05.2000** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-2/3** से. **22** क्षे. **45.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>247</b>	रु0 <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>1177</b>	रु0 <b>-178</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>1424</b>	रु0 <b>-178</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>185</b>	रु0 <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>1485</b>	रु0 <b>5</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>1670</b>	रु0 <b>5</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>3094</b>	रु0 <b>-173</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **149.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-4/24** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्रीमती सोनी सिंह पत्नी श्री बिन्देश्वरी सिंह**  
**निवासी-मकान संख्या ई-32, सेक्टर-23, आवासीय योजना,**  
**गीडा, सहजनवाँ,**  
**जिला-गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **85** दिनांक **27.07.2000** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-4/24** से. **22** क्षे. **50.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-1205	रु0
<b>योग (अ)</b>	रु0	-1205	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1650	रु0
<b>योग (ब)</b>	रु0	1650	रु0
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	445	रु0


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **165.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-6/13** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री गोरखनारायण सिंह पुत्र श्री प्रेम नारायण सिंह**  
**द्वारा प्रेम आटो सर्विस बरगदवा,**  
**लक्ष्मीपुर, पोस्ट-मोहरीपुर,**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **53** दिनांक **17.05.2000** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-6/13** से. **22** क्षे. **600.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>130080</b>	रु0 <b>3231</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>166442</b>	रु0 <b>1418</b>
<b>योग (अ)</b>	<b>रु0</b>	<b>296522</b>	<b>रु0 4649</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>38548</b>	रु0 <b>305</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>19800</b>	रु0 <b>60</b>
<b>योग (ब)</b>	<b>रु0</b>	<b>58348</b>	<b>रु0 365</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	<b>रु0</b>	<b>354870</b>	<b>रु0 5014</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **1980.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-5/8** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री चन्द्रमणि यादव पुत्र श्री शेष नाथ यादव,**  
**440-ए, महई सुधरपुर,**  
**नई शिवपुरी कालोनी,**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **45** दिनांक **17.05.2000** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-5/8** से. **22** क्षे. **50.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>1134</b>	रु0 <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>5899</b>	रु0 <b>4</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>7033</b>	रु0 <b>4</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>914</b>	रु0 <b>3</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>1650</b>	रु0 <b>5</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>2564</b>	रु0 <b>8</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>9597</b>	रु0 <b>12</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **165.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**



पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-2/8** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री अमरेश कुमार मिश्र पुत्र श्री गिरिश चन्द्र मिश्र,**  
**ग्राम-डूमरी निवास, वाया सहजनवाँ,**  
**जिला-गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **18** दिनांक **12.05.2000** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-2/8** से. **22** क्षे. **22.50** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>312</b>	रु0 <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>1957</b>	रु0 <b>-786</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>2269</b>	रु0 <b>-786</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>295</b>	रु0 <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>743</b>	रु0 <b>2</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>1038</b>	रु0 <b>2</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>3307</b>	रु0 <b>-784</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **74.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-3/4** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री संजीव शुक्ला पुत्र श्री सदानन्द शुक्ला**  
**द्वारा-शुक्ला सा मिल, बर्फ खाना रोड,**  
**तुर्कमानपुर,**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **2** दिनांक **12.05.2000** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-3/4** से. **22** क्षे. **30.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	<u>रख-रखाव</u>		<u>लीज रेन्ट</u>	
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>2392</b>	रु0	<b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>5784</b>	रु0	<b>-365</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>8176</b>	रु0	<b>-365</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>1063</b>	रु0	<b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>990</b>	रु0	<b>3</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>2053</b>	रु0	<b>3</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>10229</b>	रु0	<b>-362</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **99.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-2/7** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

श्री बब्बन यादव पुत्र श्री गोपी यादव  
ग्राम-बोक्टा,  
पोस्ट-सहजनवाँ,  
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **30** दिनांक **12.05.2000** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-2/7** से. **22** क्षे. **45.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव		लीज रेन्ट	
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	5376	रु0	265	
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	10036	रु0	118	
योग (अ)	रु0	15412	रु0	383	

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	2004	रु0	25	
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1485	रु0	5	
योग (ब)	रु0	3489	रु0	30	
महायोग (अ एवं ब)	रु0	18901	रु0	413	


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **149.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-6/5** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्रीमती शकुन्तला देवी पत्नी श्री अनिल कुमार**  
**निवासी-ग्राम व पोस्ट-गूलरिया बाजार,**  
**जिला-गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **66** दिनांक **20.05.2000** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-6/5** से. **22** क्षे. **37.50** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>3498</b>	रु0 <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>7629</b>	रु0 <b>-14</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>11127</b>	रु0 <b>-14</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>1447</b>	रु0 <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>1238</b>	रु0 <b>4</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>2685</b>	रु0 <b>4</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>13812</b>	रु0 <b>-10</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **124.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. A-2/12 / से. 22 / 2023-24 दिनांक

श्री अमित खल्लर पुत्र श्री कौशल किशोर खल्लर,  
राज आटो स्पेयर्स, डी-91, टी0 पी0 नगर,  
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या 59 दिनांक 17.05.2000 के माध्यम से गीडा की ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. A-2/12 से. 22 क्षे. 45.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	10737	रु0 265
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	12915	रु0 118
योग (अ)	रु0	23652	रु0 383

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	3075	रु0 25
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1485	रु0 5
योग (ब)	रु0	4560	रु0 30
महायोग (अ एवं ब)	रु0	28212	रु0 413


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 149.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-3/6** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री शम्भू प्रसाद पुत्र श्री फागू लाल प्रसाद,**  
**द्वारा-एस0 एस0 ट्रेडर्स, काजी कटरा, पहली मंजिल,**  
**इस्माईलपुर,**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **95** दिनांक **05.08.2000** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-3/6** से. **22** क्षे. **138.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-256	रु0
<b>योग (अ)</b>	रु0	-256	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4554	रु0
<b>योग (ब)</b>	रु0	4554	रु0
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	4298	रु0


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **455.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-6/1** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

श्री रामनारायण शुक्ला पुत्र श्री दीनानाथ शुक्ला  
शुक्ला सा मिल, बर्फखाना रोड,  
तुर्कमानपुर,  
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **64** दिनांक **20.05.2000** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-6/1** से. **22** क्षे. **75.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>28632</b>	रु0 <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>25200</b>	रु0 <b>-141</b>
योग (अ)	रु0	<b>53832</b>	रु0 <b>-141</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>6998</b>	रु0 <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>2475</b>	रु0 <b>8</b>
योग (ब)	रु0	<b>9473</b>	रु0 <b>8</b>
महायोग (अ एवं ब)	रु0	<b>63305</b>	रु0 <b>-133</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **248.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. B-2/15 / से. 22 / 2023-24 दिनांक

श्री विनोद कुमार मद्देशिया पुत्र श्री सुभाष चन्द मद्देशिया  
निवासी-रेलवे स्टेशन रोड,  
वार्ड नं०-5, पोस्ट-सिसवा बाजार,  
जिला-महाराजगंज।

आवंटन पत्र संख्या 468 दिनांक 08.11.2005 के माध्यम से गीडा की ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. B-2/15 से. 22 क्षेत्र 22.50 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	2646	रु० 1
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	4989	रु० 11
योग (अ)	रु०	7635	रु० 12

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	993	रु० 1
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	743	रु० 5
योग (ब)	रु०	1736	रु० 6
महायोग (अ एवं ब)	रु०	9371	रु० 18


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० 74.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।



पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-2/6** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्रीमती रुबि खानम पत्नी श्री आलमगीर  
न्यू ट्रांसपोर्ट नगर  
पोस्ट-शिवपुरी कालोनी,  
गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **472** दिनांक **08.11.2005** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-2/6** से. **22** क्षे. **45.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>13753</b>	रु0 <b>277</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>14080</b>	रु0 <b>163</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>27833</b>	रु0 <b>440</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>3618</b>	रु0 <b>29</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>1485</b>	रु0 <b>9</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>5103</b>	रु0 <b>38</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>32936</b>	रु0 <b>478</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **149.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-1/1** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्रीमती इसरावती पत्नी श्री तारकेश्वर**  
**उत्तरी हमायूपुर,**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **93** दिनांक **28.07.2000** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-1/1** से. **22** क्षे. **549.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>1233</b>	रु0 <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>13583</b>	रु0 <b>-12421</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>14816</b>	रु0 <b>-12421</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>2103</b>	रु0 <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>18117</b>	रु0 <b>55</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>20220</b>	रु0 <b>55</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>35036</b>	रु0 <b>-12366</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **1812.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-5/3** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्रीमती मंजू अग्रवाल पत्नी स्व० प्रदीप कुमार अग्रवाल**  
**ए-66, ट्रांसपोर्ट नगर,**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **83** दिनांक **07.07.2000** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-5/3** से. **22** क्षे. **200.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	<u>रख-रखाव</u>		<u>लीज रेन्ट</u>	
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु०	<b>0</b>	रु०	<b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>-82</b>	रु०	<b>-89</b>
<b>योग (अ)</b>	रु०	<b>-82</b>	रु०	<b>-89</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु०	<b>0</b>	रु०	<b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>6600</b>	रु०	<b>20</b>
<b>योग (ब)</b>	रु०	<b>6600</b>	रु०	<b>20</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु०	<b>6518</b>	रु०	<b>-69</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **660.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-5/12** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्रीमती गिरजा देवी पत्नी श्री इन्द्रदेव सिंह**  
**ग्राम व पोस्ट-अमटौरा,**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **77** दिनांक **07.07.2000** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-5/12** से. **22** क्षे. **50.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>19088</b>	रु0 <b>265</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>16800</b>	रु0 <b>117</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>35888</b>	रु0 <b>382</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>4665</b>	रु0 <b>25</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>1650</b>	रु0 <b>5</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>6315</b>	रु0 <b>30</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>42203</b>	रु0 <b>412</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **165.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-5/22** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

श्री विमल कान्त चतुर्वेदी पुत्र स्व0 हरिश्चन्द्र चतुर्वेदी,  
736, राजेन्द्र नगर कालोनी,  
पोस्ट-गोरखनाथ,  
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **34** दिनांक **12.05.2000** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-5/22** से. **22** क्षे. **125.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>20356</b>	<b>701</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>31274</b>	<b>307</b>
योग (अ)	रु0	<b>51630</b>	<b>1008</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>6712</b>	<b>66</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>4125</b>	<b>13</b>
योग (ब)	रु0	<b>10837</b>	<b>79</b>
महायोग (अ एवं ब)	रु0	<b>62467</b>	<b>1087</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **413.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-3/2** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री मनीष कुमार शुक्ला पुत्र श्री राम नारायण शुक्ला,**  
**सा मिल, बर्फखाना रोड,**  
**तुर्कमानपुर,**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **42** दिनांक **17.05.2000** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-3/2** से. **22** क्षे. **30.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>11454</b>	रु0 <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>10080</b>	रु0 <b>-365</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>21534</b>	रु0 <b>-365</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>2799</b>	रु0 <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>990</b>	रु0 <b>3</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>3789</b>	रु0 <b>3</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>25323</b>	रु0 <b>-362</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **99.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-4/21** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्रीमती बन्दना यादव पत्नी श्री अमरेश कुमार यादव**  
**ग्राम-नेवास, पोस्ट-बड़गहन,**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **54** दिनांक **17.05.2000** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-4/21** से. **22** क्षे. **70.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>26725</b>	रु0 <b>370</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>23520</b>	रु0 <b>165</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>50245</b>	रु0 <b>535</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>6532</b>	रु0 <b>35</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>2310</b>	रु0 <b>7</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>8842</b>	रु0 <b>42</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>59087</b>	रु0 <b>577</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **231.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. B-3/12 / से. 22 / 2023-24 दिनांक

श्री राम हर्ष सिंह पुत्र स्व० राम प्रसाद सिंह  
प्रताप नगर, बॉसी,  
सिद्धार्थनगर।

आवंटन पत्र संख्या 7 दिनांक 12.05.2000 के माध्यम से गीडा की ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. B-3/12 से. 22 क्षे. 30.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	2098	रु० 160
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	5482	रु० 71
योग (अ)	रु०	7580	रु० 231

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	985	रु० 15
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	990	रु० 3
योग (ब)	रु०	1975	रु० 18
महायोग (अ एवं ब)	रु०	9555	रु० 249


**नोट:- रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० 99.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।



पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. A-5/11 / से. 22 / 2023-24 दिनांक

श्री राम दास यादव पुत्र श्री स्वामीनाथ यादव  
संजय रोडवेज, डी-78, ट्रांसपोर्ट नगर,  
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या 48 दिनांक 17.05.2000 के माध्यम से गीडा की ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. A-5/11 से. 22 क्षे. 50.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	19088	रु0 265
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	16800	रु0 118
योग (अ)	रु0	35888	रु0 383

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	4665	रु0 25
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1650	रु0 5
योग (ब)	रु0	6315	रु0 30
महायोग (अ एवं ब)	रु0	42203	रु0 413


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 165.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. A-2/11 / से. 22 / 2023-24 दिनांक

श्रीमती मंजू देवी पत्नी श्री नागेन्द्र प्रसाद,  
6/1 न्यू ट्रांसपोर्ट नगर,  
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या 26 दिनांक 12.05.2000 के माध्यम से गीडा की ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. A-2/11 से. 22 क्षे. 45.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	4224	रु0 38
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	9180	रु0 50
योग (अ)	रु0	13404	रु0 88

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	1743	रु0 6
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1485	रु0 5
योग (ब)	रु0	3228	रु0 11
महायोग (अ एवं ब)	रु0	16632	रु0 99

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 149.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-2/20** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री नरेश कुमार चौरसिया पुत्र श्री सन्त लाल चौरसियाँ**  
**मकान नं० 326, ई० डब्ल्यू० एस० राप्ती नगर,**  
**चतुर्थ चरण, जनता इण्टर कालेज,**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **63** दिनांक **20.05.2000** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-2/20** से. **22** क्षे. **22.50** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु०	<b>3273</b>	<b>107</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>5400</b>	<b>47</b>
<b>योग (अ)</b>	<b>रु०</b>	<b>8673</b>	<b>154</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु०	<b>1127</b>	<b>10</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>743</b>	<b>2</b>
<b>योग (ब)</b>	<b>रु०</b>	<b>1870</b>	<b>12</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	<b>रु०</b>	<b>10543</b>	<b>166</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **74.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-3/11** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री शिव प्रसाद पुत्र स्व0 बहरइची,**  
**ग्राम-रतसही**  
**पोस्ट-उनवल**  
**जिला-गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **477** दिनांक **08.11.2005** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-3/11** से. **22** क्षे. **30.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>1633</b>	रु0 <b>9</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>4996</b>	रु0 <b>26</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>6629</b>	रु0 <b>35</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>862</b>	रु0 <b>2</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>990</b>	रु0 <b>6</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>1852</b>	रु0 <b>8</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>8481</b>	रु0 <b>43</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **99.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. A-3/5 / से. 22 / 2023-24 दिनांक

श्रीमती गुलाबी देवी पत्नी स्व० राम प्रताप प्रजापति  
उत्तरी हमायूपुर ( निकट-सभासद श्री शिव मोविन्द यादव का मकान )  
पोस्ट-गोरखनाथ,  
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या 89 दिनांक 27.07.2000 के माध्यम से गीडा की ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. A-3/5 से. 22 क्षे. 137.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0 0	रु0 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0 0	रु0 0
योग (अ)	रु0 0	रु0 0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0 0	रु0 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0 4521	रु0 14
योग (ब)	रु0 4521	रु0 14
महायोग (अ एवं ब)	रु0 4521	रु0 14


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 452.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-5/19** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्रीमती अनिता पुत्री स्व० मोती लाल**  
**माया बाजार (दक्षिणी),**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **471** दिनांक **08.11.2005** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-5/19** से. **22** क्षे. **125.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु०	<b>0</b>	रु० <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>-813</b>	रु० <b>-1392</b>
<b>योग (अ)</b>	रु०	<b>-813</b>	रु० <b>-1392</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु०	<b>0</b>	रु० <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>4125</b>	रु० <b>25</b>
<b>योग (ब)</b>	रु०	<b>4125</b>	रु० <b>25</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु०	<b>3312</b>	रु० <b>-1367</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **413.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-4/1** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्रीमती माधुरी पत्नी श्री वेद प्रकाश गुप्ता**  
**मकान संख्या-बी-7,**  
**मुहल्ला-सूरजकृण्ड कालोनी,**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **96** दिनांक **05.08.2000** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-4/1** से. **22** क्षे. **136.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-2703	रु0
<b>योग (अ)</b>	रु0	-2703	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4488	रु0
<b>योग (ब)</b>	रु0	4488	रु0
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	1785	रु0

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **449.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-1/20** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री गौरी शंकर उपाध्याय पुत्र श्री रमाकान्त उपाध्याय**  
**मकान नम्बर-152, मुहल्ला-तुर्कमानुपर,**  
**निकट बर्फखाना, पोस्ट-गीता प्रेस,**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **82** दिनांक **07.07.2000** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-1/20** से. **22** क्षे. **148.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>22590</b>	रु0 <b>795</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>36193</b>	रु0 <b>352</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>58783</b>	रु0 <b>1147</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>7642</b>	रु0 <b>75</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>4884</b>	रु0 <b>15</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>12526</b>	रु0 <b>90</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>71309</b>	रु0 <b>1237</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **488.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**



पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-2/16** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

श्री उमेश प्रसाद गुप्ता पुत्र श्री बेनी लाल गुप्ता  
निवासी-मूहल्ला-10 नं० बोरिंग लक्कीपुर,  
पोस्ट व थाना-गोरखनाथ,  
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **469** दिनांक **08.11.2005** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-2/16** से. **22** क्षे. **22.50** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु०	<b>6011</b>	<b>रु० 1</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>7040</b>	<b>रु० 11</b>
<b>योग (अ)</b>	<b>रु०</b>	<b>13051</b>	<b>रु० 12</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु०	<b>1697</b>	<b>रु० 1</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>743</b>	<b>रु० 5</b>
<b>योग (ब)</b>	<b>रु०</b>	<b>2440</b>	<b>रु० 6</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	<b>रु०</b>	<b>15491</b>	<b>रु० 18</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **74.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-5/17** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्रीमती सरस्वती शुकला पत्नी श्री संजय शुकल**  
**निवासी-ग्राम-पथरा, पोस्ट-बड़गों,**  
**जिला-गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **78** दिनांक **07.07.2000** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-5/17** से. **22** क्षे. **50.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>4289</b>	रु0 <b>5</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>9915</b>	रु0 <b>22</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>14204</b>	रु0 <b>27</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>1847</b>	रु0 <b>2</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>1650</b>	रु0 <b>5</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>3497</b>	रु0 <b>7</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>17701</b>	रु0 <b>34</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **165.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-4/25** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री दयाराम पाण्डेय पुत्र श्री बिपिन बिहारी पाण्डेय**  
**पापुलर ट्रांसपोर्ट सर्विस-106**  
**ट्रांसपोर्ट नगर,**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **57** दिनांक **17.05.2000** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-4/25** से. **22** क्षे. **50.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>19088</b>	रु0 <b>265</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>16800</b>	रु0 <b>118</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>35888</b>	रु0 <b>383</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>4665</b>	रु0 <b>25</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>1650</b>	रु0 <b>5</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>6315</b>	रु0 <b>30</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>42203</b>	रु0 <b>413</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **165.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-3/20** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री पवन कुमार गुप्ता पुत्र श्री नेबू लाल गुप्ता,**  
**विश्व विद्यालय रोड, कालेपुर,**  
**कवाड़ मार्केट,**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **43** दिनांक **17.05.2000** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-3/20** से. **22** क्षे. **30.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>6109</b>	रु0 <b>160</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>8136</b>	रु0 <b>71</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>14245</b>	रु0 <b>231</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>1852</b>	रु0 <b>15</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>990</b>	रु0 <b>3</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>2842</b>	रु0 <b>18</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>17087</b>	रु0 <b>249</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **99.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. A-6/6 / से. 22 / 2023-24 दिनांक

श्रीमती गायत्री देवी पत्नी स्व० भरत लाल उपाध्याय  
निवासी-महसील रोड, केशोपुर,  
पोस्ट-सहजनवाँ,  
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या 51 दिनांक 17.05.2000 के माध्यम से गीडा की ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. A-6/6 से. 22 क्षे. 37.50 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	654	रु0
योग (अ)	रु0	654	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	85	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1238	रु0
योग (ब)	रु0	1323	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	1977	रु0


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 124.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-2/6** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्रीमती व्यास मूनी सिंह पत्नी श्री रविन्द्र प्रताप सिंह**  
**निवासी-ग्राम-केशोपुर,**  
**तहसील रोड, सहजनवाँ,**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **16** दिनांक **12.05.2000** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-2/6** से. **22** क्षे. **22.50** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-268	रु0
<b>योग (अ)</b>	रु0	-268	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	743	रु0
<b>योग (ब)</b>	रु0	743	रु0
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	475	रु0

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **74.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. B-2/13 / से. 22 / 2023-24 दिनांक

श्रीमती शान्ति देवी पत्नी श्री ओम प्रकाश  
ग्राम-नेवास,  
पोस्ट-बड़गहन,  
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या 23 दिनांक 12.05.2000 के माध्यम से गीडा की ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. B-2/13 से. 22 क्षेत्र 22.50 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	268	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2070	रु0
योग (अ)	रु0	2338	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	304	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	743	रु0
योग (ब)	रु0	1047	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	3385	रु0

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 74.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-3/14** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

श्रीमती मृन्नी देवी पत्नी श्री आनन्द जयसवाल  
सुन्दर जनरल स्टोर  
जगरनाथपुर  
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **476** दिनांक **08.11.2005** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-3/14** से. **22** क्षे. **30.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>9171</b>	रु0 <b>184</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>9387</b>	रु0 <b>109</b>
योग (अ)	रु0	<b>18558</b>	रु0 <b>293</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>2413</b>	रु0 <b>19</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>990</b>	रु0 <b>6</b>
योग (ब)	रु0	<b>3403</b>	रु0 <b>25</b>
महायोग (अ एवं ब)	रु0	<b>21961</b>	रु0 <b>318</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **99.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।



पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-3/2** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्रीमती शकुन्तला देवी पत्नी श्री जय प्रकाश पाण्डेय**  
**मुहल्ला-शिवाजी नगर ( महुई सुधरपुर )**  
**पोस्ट-नई शिवपुरी कालोनी,**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **91** दिनांक **27.07.2000** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-3/2** से. **22** क्षे. **135.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>51539</b>	रु0 <b>742</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>45360</b>	रु0 <b>328</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>96899</b>	रु0 <b>1070</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>12597</b>	रु0 <b>70</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>4455</b>	रु0 <b>14</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>17052</b>	रु0 <b>84</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>113951</b>	रु0 <b>1154</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **446.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-3/5** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

श्रीमती अनिता अग्रवाल पुत्री श्री कल्याण चन्द्र अग्रवाल  
अग्रवाल भवन के पीछे, मुन्ना पलम्बर के बगल में,  
दीवान बाजार,  
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **470** दिनांक **08.11.2005** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना  
के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-3/5** से. **22** क्षे. **30.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव  
शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>14</b>	रु0 <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>803</b>	रु0 <b>-49</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>817</b>	रु0 <b>-49</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>106</b>	रु0 <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>990</b>	रु0 <b>6</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>1096</b>	रु0 <b>6</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>1913</b>	रु0 <b>-43</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **99.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-5/15** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

श्री उमेश कुमार सिंह पुत्र श्री राघव सिंह  
ग्राम व पोस्ट- गगहा,  
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **81** दिनांक **07.07.2000** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-5/15** से. **22** क्षे. **50.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>19088</b>	रु0 <b>265</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>16800</b>	रु0 <b>117</b>
योग (अ)	रु0	<b>35888</b>	रु0 <b>382</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>4665</b>	रु0 <b>25</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>1650</b>	रु0 <b>5</b>
योग (ब)	रु0	<b>6315</b>	रु0 <b>30</b>
महायोग (अ एवं ब)	रु0	<b>42203</b>	रु0 <b>412</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **165.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-2/5** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री राहुल सिंह पुत्र श्री राम कृष्ण सिंह**  
**इलेक्ट्रो वर्ल्ड, बैंक रोड,**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **71** दिनांक **20.05.2000** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-2/5** से. **22** क्षे. **45.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>10716</b>	रु0 <b>265</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>12906</b>	रु0 <b>118</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>23622</b>	रु0 <b>383</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>3071</b>	रु0 <b>25</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>1485</b>	रु0 <b>5</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>4556</b>	रु0 <b>30</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>28178</b>	रु0 <b>413</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **149.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. B-2/9 / से. 22 / 2023-24 दिनांक

श्री मनोज कुमार जायसवाल पुत्र श्री उमाशंकर जायसवाल  
नौसड़,  
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या 19 दिनांक 12.05.2000 के माध्यम से गीडा की ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. B-2/9 से. 22 क्षेत्र 22.50 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	3763	रु0 107
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5685	रु0 47
योग (अ)	रु0	9448	रु0 154

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	1228	रु0 10
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	743	रु0 2
योग (ब)	रु0	1971	रु0 12
महायोग (अ एवं ब)	रु0	11419	रु0 166


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 74.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-2/12** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री शिव कुमार पुत्र श्री परदेशी**  
**निवासी-ग्राम-नेवास,**  
**पोस्ट-बड़गहन, तहसील-सहजनवाँ,**  
**जिला-गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **22** दिनांक **12.05.2000** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-2/12** से. **22** क्षे. **22.50** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>302</b>	रु0 <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>2156</b>	रु0 <b>7</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>2458</b>	रु0 <b>7</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>320</b>	रु0 <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>743</b>	रु0 <b>2</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>1063</b>	रु0 <b>2</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>3521</b>	रु0 <b>9</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **74.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-6/7** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्रीमती लालमती देवी यादव पत्नी श्री बेचन यादव**  
**निवासी-ग्राम-टडवा माफी,**  
**थाना-सहजनवाँ,**  
**जिला-गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **52** दिनांक **17.05.2000** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-6/7** से. **22** क्षे. **37.50** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>5431</b>	रु0 <b>39</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>8985</b>	रु0 <b>42</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>14416</b>	रु0 <b>81</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>1874</b>	रु0 <b>5</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>1238</b>	रु0 <b>4</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>3112</b>	रु0 <b>9</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>17528</b>	रु0 <b>90</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **124.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-3/9** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्रीमती सावित्री देवी पत्नी श्री योगेन्द्र प्रसाद,**  
**6/1 न्यू ट्रांसपोर्ट नगर,**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **5** दिनांक **12.05.2000** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-3/9** से. **22** क्षे. **30.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>11072</b>	रु0 <b>160</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>9720</b>	रु0 <b>71</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>20792</b>	रु0 <b>231</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>2703</b>	रु0 <b>15</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>990</b>	रु0 <b>3</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>3693</b>	रु0 <b>18</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>24485</b>	रु0 <b>249</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **99.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।



पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-2/9** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री लाल चन्द्र शर्मा पुत्र स्व० राम लगन शर्मा**  
**ए० बी०-354, अमरपुरी, पहाड़गंज,**  
**नई-दिल्ली**

आवंटन पत्र संख्या **28** दिनांक **12.05.2000** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-2/9** से. **22** क्षे. **45.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु०	<b>623</b>	रु० <b>11</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>3915</b>	रु० <b>15</b>
<b>योग (अ)</b>	रु०	<b>4538</b>	रु० <b>26</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु०	<b>590</b>	रु० <b>2</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>1485</b>	रु० <b>5</b>
<b>योग (ब)</b>	रु०	<b>2075</b>	रु० <b>7</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु०	<b>6613</b>	रु० <b>33</b>

**नोट:- रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **149.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-6/3** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री नन्द गोपाल सिंह पुत्र श्री प्राणपति सिंह**  
**ग्राम व पोस्ट-भौवापार,**  
**थाना-बेलीपार,**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **35** दिनांक **15.05.2000** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-6/3** से. **22** क्षे. **37.50** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>561</b>	रु0 <b>6</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>3373</b>	रु0 <b>10</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>3934</b>	रु0 <b>16</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>511</b>	रु0 <b>1</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>1238</b>	रु0 <b>4</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>1749</b>	रु0 <b>5</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>5683</b>	रु0 <b>21</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **124.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-3/4** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

श्री शफीक अहमद कूरैशी पुत्र श्री शमीम अहमद  
मकान नम्बर-सी/159/126, भरपुरवा,  
पोस्ट-गीता प्रेस,  
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **94** दिनांक **05.08.2000** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-3/4** से. **22** क्षे. **136.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>51920</b>	रु0 <b>742</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>45696</b>	रु0 <b>328</b>
योग (अ)	रु0	<b>97616</b>	रु0 <b>1070</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>12690</b>	रु0 <b>70</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>4488</b>	रु0 <b>14</b>
योग (ब)	रु0	<b>17178</b>	रु0 <b>84</b>
महायोग (अ एवं ब)	रु0	<b>114794</b>	रु0 <b>1154</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **449.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-3/3** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री संजय सिंह पुत्र श्री श्याम सुन्दर सिंह**  
**ग्राम-परेसापार, पोस्ट-महजा,**  
**कौरीराम,**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **92** दिनांक **27.07.2000** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-3/3** से. **22** क्षे. **136.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>29313</b>	रु0 <b>742</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>37652</b>	रु0 <b>328</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>66965</b>	रु0 <b>1070</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>8705</b>	रु0 <b>70</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>4488</b>	रु0 <b>14</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>13193</b>	रु0 <b>84</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>80158</b>	रु0 <b>1154</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **449.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-2/1** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री दिनेश पाल सिंह पुत्र श्री राज कुमार सिंह**  
**उत्तरी जटेपुर, सी/124/640 ए,**  
**मिठाई लाल का हाता,**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **41** दिनांक **17.05.2000** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-2/1** से. **22** क्षे. **22.50** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>6964</b>	रु0 <b>107</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>7069</b>	रु0 <b>47</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>14033</b>	रु0 <b>154</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>1824</b>	रु0 <b>10</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>743</b>	रु0 <b>2</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>2567</b>	रु0 <b>12</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>16600</b>	रु0 <b>166</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **74.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-3/1** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री जोखू प्रसाद पुत्र श्री राम देव**  
**ग्राम-दक्षिणी कोलिया, पोस्ट-छपिया,**  
**सहजनवाँ,**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **1** दिनांक **12.05.2000** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-3/1** से. **22** क्षे. **30.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>4362</b>	रु0 <b>160</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>7200</b>	रु0 <b>71</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>11562</b>	रु0 <b>231</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>1503</b>	रु0 <b>15</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>990</b>	रु0 <b>3</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>2493</b>	रु0 <b>18</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>14055</b>	रु0 <b>249</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **99.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-3/19** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री हर्षबर्द्धन मल्ल पुत्र स्व० उदय प्रताप मल्ल**  
**790, दक्षिणी माया बाजार,**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **87** दिनांक **27.07.2000** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-3/19** से. **22** क्षे. **136.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु०	<b>43909</b>	रु० <b>742</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>43327</b>	रु० <b>328</b>
<b>योग (अ)</b>	रु०	<b>87236</b>	रु० <b>1070</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु०	<b>11341</b>	रु० <b>70</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>4488</b>	रु० <b>14</b>
<b>योग (ब)</b>	रु०	<b>15829</b>	रु० <b>84</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु०	<b>103065</b>	रु० <b>1154</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **449.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-4/22** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

श्रीमती कामिनी सिंह पत्नी श्री कौशल सिंह  
कौशल फार्मा दफ्तर व्यापार कर,  
चेक पोस्ट-तमकुही राज,  
कृशीनगर।

आवंटन पत्र संख्या **55** दिनांक **17.05.2000** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-4/22** से. **22** क्षे. **50.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>10310</b>	रु0 <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>13619</b>	रु0 <b>-22</b>
योग (अ)	रु0	<b>23929</b>	रु0 <b>-22</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>3111</b>	रु0 <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>1650</b>	रु0 <b>5</b>
योग (ब)	रु0	<b>4761</b>	रु0 <b>5</b>
महायोग (अ एवं ब)	रु0	<b>28690</b>	रु0 <b>-17</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **165.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।



पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-2/2** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री ओम प्रकाश सिंह पुत्र स्व० गुलाब सिंह**  
**ग्राम-उसका, पोस्ट-मीरपुर,**  
**जिला-गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **14** दिनांक **12.05.2000** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-2/2** से. **22** क्षे. **22.50** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु०	<b>8591</b>	<b>107</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>7560</b>	<b>47</b>
<b>योग (अ)</b>	<b>रु०</b>	<b>16151</b>	<b>154</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु०	<b>2100</b>	<b>10</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>743</b>	<b>2</b>
<b>योग (ब)</b>	<b>रु०</b>	<b>2843</b>	<b>12</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	<b>रु०</b>	<b>18994</b>	<b>166</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **74.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-2/19** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्रीमती बसन्ती यादव पत्नी श्री सुनील**  
**निवासी-11ग, भप्सा,**  
**सहजनवाँ,**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **25** दिनांक **12.05.2000** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-2/19** से. **22** क्षे. **22.50** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>		<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>805</b>	रु0	<b>2</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>3352</b>	रु0	<b>9</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>4157</b>	रु0	<b>11</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>540</b>	रु0	<b>1</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>743</b>	रु0	<b>2</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>1283</b>	रु0	<b>3</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>5440</b>	रु0	<b>14</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **74.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-4/23** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

श्रीमती बिन्दु सिंह पत्नी श्री जीत बहादुर सिंह  
आजाद नगर,  
रुस्तमपुर,  
गोरखपुर-273016

आवंटन पत्र संख्या **47** दिनांक **17.05.2000** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-4/23** से. **22** क्षे. **50.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>8249</b>	रु0 <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>12571</b>	रु0 <b>-342</b>
योग (अ)	रु0	<b>20820</b>	रु0 <b>-342</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>2707</b>	रु0 <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>1650</b>	रु0 <b>5</b>
योग (ब)	रु0	<b>4357</b>	रु0 <b>5</b>
महायोग (अ एवं ब)	रु0	<b>25177</b>	रु0 <b>-337</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **165.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-1/1** / से. **23** / 2023-24 दिनांक

**श्री धर्मेन्द्र कुमार पुत्र स्व० हरी दास**  
**मकान नम्बर सी-124/52, सुभाष नगर,**  
**हमरौपुर,**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **68** दिनांक **20.05.2000** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-1/1** से. **23** क्षे. **208.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	<u>रख-रखाव</u>		<u>लीज रेन्ट</u>	
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु०	<b>0</b>	रु०	<b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>-90</b>	रु०	<b>-54</b>
<b>योग (अ)</b>	रु०	<b>-90</b>	रु०	<b>-54</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु०	<b>0</b>	रु०	<b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>6864</b>	रु०	<b>21</b>
<b>योग (ब)</b>	रु०	<b>6864</b>	रु०	<b>21</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु०	<b>6774</b>	रु०	<b>-33</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **686.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. B-3/8 / से. 22 / 2023-24 दिनांक

श्री महबूब आलम इद्रीशी पुत्र श्री मोहम्मद याकूब इद्रीशी  
मोहल्ला-बसन्तपुर  
खास निकट सराय के पीछे,  
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या 474 दिनांक 08.11.2005 के माध्यम से गीडा की ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. B-3/8 से. 22 क्षेत्र 30.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	104	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1709	रु0
योग (अ)	रु0	1813	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	236	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	990	रु0
योग (ब)	रु0	1226	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	3039	रु0


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 99.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-3/24** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्रीमती नीलम देवी पत्नी श्री सुनील**  
**निवासी-मकान संख्या-116, मुहल्ला-टेकवार,**  
**थाना-खजनी,**  
**जिला-गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **73** दिनांक **22.05.2000** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-3/24** से. **22** क्षे. **50.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>5777</b>	रु0 <b>29</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>11010</b>	रु0 <b>42</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>16787</b>	रु0 <b>71</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>2182</b>	रु0 <b>5</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>1650</b>	रु0 <b>5</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>3832</b>	रु0 <b>10</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>20619</b>	रु0 <b>81</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **165.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-3/20** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

श्री विरेन्द्र कुमार सिंह पुत्र श्री राम नरेश सिंह  
ग्राम-नेवास, पोस्ट-बड़गहन,  
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **75** दिनांक **07.07.2000** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-3/20** से. **22** क्षे. **136.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	रख-रखाव		लीज रेन्ट	
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	0	रु0	16
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-3422	रु0	57
योग (अ)	रु0	-3422	रु0	73

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	0	रु0	5
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4488	रु0	14
योग (ब)	रु0	4488	रु0	19
महायोग (अ एवं ब)	रु0	1066	रु0	92


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **449.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-2/11** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

श्री शिव कुमार पुत्र श्री परदेशी  
निवासी-ग्राम-नेवास,  
पोस्ट आफिस-बड़गहन,  
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **21** दिनांक **12.05.2000** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-2/11** से. **22** क्षेत्र **22.50** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	रख-रखाव		लीज रेन्ट	
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	325	रु0	-97
योग (अ)	रु0	325	रु0	-97

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	42	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	743	रु0	2
योग (ब)	रु0	785	रु0	2
महायोग (अ एवं ब)	रु0	1110	रु0	-95


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **74.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।



पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-5/18** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्रीमती ममता पाठक पत्नी श्री राकेश कुमार पाठक**  
**बोक्टा गैस प्लान्ट के पास,**  
**पोस्ट-सहजनवाँ,**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **509** दिनांक **31.03.2006** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-5/18** से. **22** क्षे. **193.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>54977</b>	रु0 <b>1135</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>58970</b>	रु0 <b>692</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>113947</b>	रु0 <b>1827</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>14813</b>	रु0 <b>120</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>6369</b>	रु0 <b>39</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>21182</b>	रु0 <b>159</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>135129</b>	रु0 <b>1986</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **637.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-4/37** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री रामचन्द्र मौर्य पुत्र श्री त्रिलोकी,**  
**निवासी-ग्राम-मढ़ई, पोस्ट-भीटी रावत,**  
**थाना-सहजनवाँ,**  
**जिला-गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **511** दिनांक **31.03.2006** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-4/37** से. **22** क्षे. **50.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-973	रु0
<b>योग (अ)</b>	रु0	-973	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1650	रु0
<b>योग (ब)</b>	रु0	1650	रु0
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	677	रु0


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **165.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-4/22** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री ध्रुव यादव पुत्र श्री लालमन यादव**  
**निवासी-16, सेक्टर-5, गीडा, नेवास,**  
**बड़गहन, सहजनवाँ,**  
**जिला-गोरखपुर, उ0 प्र0-273212**

आवंटन पत्र संख्या **433** दिनांक **25.05.2005** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-4/22** से. **22** क्षे. **50.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>0</b>	रु0 <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>1354</b>	रु0 <b>2</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>1354</b>	रु0 <b>2</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>176</b>	रु0 <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>1650</b>	रु0 <b>10</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>1826</b>	रु0 <b>10</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>3180</b>	रु0 <b>12</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **165.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-4/50** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

श्रीमती रिकी देवी पत्नी श्री अनूप यादव  
निवासी-ग्राम-भप्सा, ग्राम व पोस्ट-श्याम देउरवाँ,  
सहजनवाँ, जिला-गोरखपुर।  
यू0पी0

आवंटन पत्र संख्या **435** दिनांक **18.06.2005** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-4/50** से. **22** क्षे. **50.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	रख-रखाव		लीज रेन्ट	
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1267	रु0	-99
योग (अ)	रु0	1267	रु0	-99

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	165	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1650	रु0	10
योग (ब)	रु0	1815	रु0	10
महायोग (अ एवं ब)	रु0	3082	रु0	-89


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **165.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-2/20** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

श्रीमती शकुन्तला देवी पत्नी श्री रितेश  
निवासी-ग्राम-बोकटा, वार्ड नं०-6,  
नगर पंचायत सहजनवाँ,  
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **627** दिनांक **11.02.2011** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-2/20** से. **22** क्षे. **148.75** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु०	0	रु० 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	-47	रु० -36
योग (अ)	रु०	-47	रु० -36

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु०	0	रु० 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	4909	रु० 30
योग (ब)	रु०	4909	रु० 30
महायोग (अ एवं ब)	रु०	4862	रु० -6


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **491.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. D-1/13 / से. 22 / 2023-24 दिनांक

श्रीमती उषा देवी पत्नी श्री राधेश्याम गुप्ता  
निवासी-भैंसहा, भाईसहा,  
गोरखपुर,  
उत्तर प्रदेश-273202

आवंटन पत्र संख्या 698 दिनांक 17.02.2011 के माध्यम से गीडा की ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. D-1/13 से. 22 क्षे. 200.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-475	रु0
योग (अ)	रु0	-475	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	6600	रु0
योग (ब)	रु0	6600	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	6125	रु0


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 660.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. D-1/1 / से. 22 / 2023-24 दिनांक

श्री राजेश श्रीवास्तव पुत्र स्व0 दौलत लाल  
निवासी-सिविल लाईन्स द्वितीय,  
सिविल लाईन्स,  
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या 690 दिनांक 11.02.2011 के माध्यम से गीडा की ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. D-1/1 से. 22 क्षे. 736.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	रख-रखाव		लीज रेन्ट	
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-935	रु0	-1114
योग (अ)	रु0	-935	रु0	-1114

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	24288	रु0	147
योग (ब)	रु0	24288	रु0	147
महायोग (अ एवं ब)	रु0	23353	रु0	-967

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 2429.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-4/20** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री संजय सिंह पुत्र स्व० नागेन्द्र सिंह**  
**निवासी-राज विला,**  
**बशारतपुर,**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **760** दिनांक **09.07.2014** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-4/20** से. **22** क्षे. **147.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु०	<b>1833</b>	रु० <b>2</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>12251</b>	रु० <b>27</b>
<b>योग (अ)</b>	रु०	<b>14084</b>	रु० <b>29</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु०	<b>1831</b>	रु० <b>16</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>4851</b>	रु० <b>147</b>
<b>योग (ब)</b>	रु०	<b>6682</b>	रु० <b>163</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु०	<b>20766</b>	रु० <b>192</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **485.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।



पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-1/10** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री राम निषाद पुत्र श्री रामबली निषाद,**  
**ग्राम व पोस्ट-उनवल,**  
**जिला-गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **442** दिनांक **25.07.2005** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-1/10** से. **22** क्षे. **405.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>0</b>	रु0 <b>2566</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>49954</b>	रु0 <b>1494</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>49954</b>	रु0 <b>4060</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>3238</b>	रु0 <b>266</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>13365</b>	रु0 <b>81</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>16603</b>	रु0 <b>347</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>66557</b>	रु0 <b>4407</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **1337.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-1/8** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री द्वारीका प्रसाद तिवारी पुत्र स्व० बट्टी नाथ तिवारी**  
**ग्राम व पो०-झुगिया (तिवारी), थाना व तहसील-खजनी,**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **98** दिनांक **10.12.2001** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-1/8** से. **22** क्षे. **405.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु०	<b>0</b>	<b>रु० 0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>0</b>	<b>रु० -32</b>
<b>योग (अ)</b>	<b>रु०</b>	<b>0</b>	<b>रु० -32</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु०	<b>0</b>	<b>रु० 0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>13365</b>	<b>रु० 81</b>
<b>योग (ब)</b>	<b>रु०</b>	<b>13365</b>	<b>रु० 81</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	<b>रु०</b>	<b>13365</b>	<b>रु० 49</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **1337.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-4/32** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

श्री इन्साफ अली पुत्र श्री निजामुद्दीन खॉ,  
सियरही पार, थाना-श्यादेउरवॉ,  
पोस्ट-जदूपुर,  
जिला-महाराजगंज।

आवंटन पत्र संख्या **440** दिनांक **15.07.2005** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-4/32** से. **22** क्षे. **70.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>20695</b>	रु0 <b>445</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>21658</b>	रु0 <b>259</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>42353</b>	रु0 <b>704</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>5506</b>	रु0 <b>46</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>2310</b>	रु0 <b>14</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>7816</b>	रु0 <b>60</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>50169</b>	रु0 <b>764</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **231.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-1/11** / से. **23** / 2023-24 दिनांक

श्री रवि प्रताप सिंह पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह  
ए0-3, दिव्य नगर, पो0-खोराबार, थाना-कैंट,  
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **102** दिनांक **10.12.2001** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-1/11** से. **23** क्षे. **150.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	<u>रख-रखाव</u>		<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>89</b>	रु0 <b>2</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>5979</b>	रु0 <b>38</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>6068</b>	रु0 <b>40</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>789</b>	रु0 <b>3</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>4950</b>	रु0 <b>30</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>5739</b>	रु0 <b>33</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>11807</b>	रु0 <b>73</b>

**नोट:- रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **495.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-1/4** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री लक्ष्मी शंकर मिश्र पुत्र स्व० शारदा प्रसाद मिश्र,**  
**निकट महेवा चूँगी, टी० पी० नगर,**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **111** दिनांक **10.12.2001** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-1/4** से. **22** क्षे. **405.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु०	<b>154621</b>	रु० <b>3764</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>136080</b>	रु० <b>1787</b>
<b>योग (अ)</b>	रु०	<b>290701</b>	रु० <b>5551</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु०	<b>37791</b>	रु० <b>364</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>13365</b>	रु० <b>81</b>
<b>योग (ब)</b>	रु०	<b>51156</b>	रु० <b>445</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु०	<b>341857</b>	रु० <b>5996</b>


**नोट:- रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **1337.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-1/3** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री देवेन्द्र नाथ गुप्ता पुत्र स्व० रामचन्द्र गुप्ता**  
**निवासी-ग्राम-जगदीशपुर, भलूआन,**  
**जिला-गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **112** दिनांक **10.12.2001** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-1/3** से. **22** क्षे. **405.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु०	<b>88</b>	<b>रु० 0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>14320</b>	<b>रु० -72</b>
<b>योग (अ)</b>	<b>रु०</b>	<b>14408</b>	<b>रु० -72</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु०	<b>1873</b>	<b>रु० 0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>13365</b>	<b>रु० 81</b>
<b>योग (ब)</b>	<b>रु०</b>	<b>15238</b>	<b>रु० 81</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	<b>रु०</b>	<b>29646</b>	<b>रु० 9</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **1337.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-3/19** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री अखिलेश सिंह पुत्र श्री शिव प्रसाद सिंह**  
**निवासी-ग्राम-टिकरिया,**  
**पोस्ट-मिनवां, सहजनवाँ,**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **626** दिनांक **11.02.2011** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-3/19** से. **22** क्षे. **148.75** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>27674</b>	रु0 <b>434</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>39072</b>	रु0 <b>386</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>66746</b>	रु0 <b>820</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>8677</b>	रु0 <b>54</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>4909</b>	रु0 <b>30</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>13586</b>	रु0 <b>84</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>80332</b>	रु0 <b>904</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **491.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. A-1/2 / से. 22 / 2023-24 दिनांक

श्री दिलीप कुमार अग्रहरी पुत्र श्री गुलाब चन्द्र  
न्यू अग्रहरी ट्रांसपोर्ट कम्पनी, डी-155, टी0 पी0 नगर,  
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या 116 दिनांक 10.12.2001 के माध्यम से गीडा की ट्रांसपोर्ट नगर योजना  
के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. A-1/2 से. 22 क्षे. 405.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव  
शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-1887	रु0
योग (अ)	रु0	-1887	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	13365	रु0
योग (ब)	रु0	13365	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	11478	रु0


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 1337.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।



पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-2/19** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री रमाशंकर जायसवाल पुत्र स्व० शिव प्रसाद जायसवाल,**  
**निवासी-ग्राम व पोस्ट-गोपलापुर,**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **628** दिनांक **11.02.2011** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-2/19** से. **22** क्षे. **148.75** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु०	<b>27692</b>	<b>रु० 434</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>39072</b>	<b>रु० 386</b>
<b>योग (अ)</b>	<b>रु०</b>	<b>66764</b>	<b>रु० 820</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु०	<b>8679</b>	<b>रु० 54</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>4909</b>	<b>रु० 30</b>
<b>योग (ब)</b>	<b>रु०</b>	<b>13588</b>	<b>रु० 84</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	<b>रु०</b>	<b>80352</b>	<b>रु० 904</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **491.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-5/4** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री गणेश प्रसाद गुप्ता पुत्र श्री विश्वनाथ प्रसाद गुप्ता**  
**गिरधरगंज, बाजार,**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **121** दिनांक **10.12.2001** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-5/4** से. **22** क्षे. **200.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>76357</b>	रु0 <b>1852</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>67200</b>	रु0 <b>883</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>143557</b>	रु0 <b>2735</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>18662</b>	रु0 <b>179</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>6600</b>	रु0 <b>40</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>25262</b>	रु0 <b>219</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>168819</b>	रु0 <b>2954</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **660.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-5/23** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री अजीत कुमार पाण्डेय पुत्र श्री धनन्जय कुमार पाण्डेय**  
**रामजानकी नगर, निकट रामप्रित शिव मंदिर, बशारतपुर,**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **124** दिनांक **10.12.2001** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-5/23** से. **22** क्षे. **375.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	<u>रख-रखाव</u>		<u>लीज रेन्ट</u>	
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-257	रु0	-336
<b>योग (अ)</b>	रु0	-257	रु0	-336

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	12375	रु0	75
<b>योग (ब)</b>	रु0	12375	रु0	75
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	12118	रु0	-261


**नोट:- रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **1238.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-1/6** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री राज कुमार पाण्डेय व संतोष पाण्डेय पुत्र श्री सुग्रीव पाण्डेय**  
**शिवाजी नगर,**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **126** दिनांक **10.12.2001** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-1/6** से. **22** क्षे. **543.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>78974</b>	रु0 <b>5070</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>130320</b>	रु0 <b>2405</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>209294</b>	रु0 <b>7475</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>27208</b>	रु0 <b>490</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>17919</b>	रु0 <b>109</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>45127</b>	रु0 <b>599</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>254421</b>	रु0 <b>8074</b>


**नोट:- रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **1792.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-4/6** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्रीमती मालती गुप्ता पत्नी श्री आद्या गुप्ता**  
**ए0-26, टी0 पी0 नगर,**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **154** दिनांक **30.03.2002** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-4/6** से. **22** क्षे. **136.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	<u>रख-रखाव</u>		<u>लीज रेन्ट</u>	
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-31	रु0	-31
<b>योग (अ)</b>	रु0	-31	रु0	-31

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4488	रु0	27
<b>योग (ब)</b>	रु0	4488	रु0	27
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	4457	रु0	-4

**नोट:- रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **449.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-4/8** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री राम अवध पाल पुत्र श्री मुन्नी प्रसाद पाल**  
**माया बाजार पूर्वी फाटक, प्रधान डाक घर के पिछे,**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **155** दिनांक **30.03.2002** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-4/8** से. **22** क्षे. **136.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>31099</b>	रु0 <b>1217</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>38437</b>	रु0 <b>588</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>69536</b>	रु0 <b>1805</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>9040</b>	रु0 <b>118</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>4488</b>	रु0 <b>27</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>13528</b>	रु0 <b>145</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>83064</b>	रु0 <b>1950</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **449.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-4/3** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

श्री रिपुदमन सिंह पुत्र श्री कालिका सिंह  
निवासी-ग्राम-तुर्कमानपुर, यादव टोला,  
पोस्ट-तुर्कमानपुर, तहसील-सदर,  
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **132** दिनांक **30.03.2002** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-4/3** से. **22** क्षे. **136.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>38139</b>	रु0 <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>41359</b>	रु0 <b>5</b>
योग (अ)	रु0	<b>79498</b>	रु0 <b>5</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>10335</b>	रु0 <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>4488</b>	रु0 <b>27</b>
योग (ब)	रु0	<b>14823</b>	रु0 <b>27</b>
महायोग (अ एवं ब)	रु0	<b>94321</b>	रु0 <b>32</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **449.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-4/13** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

श्रीमती शारदा देवी पत्नी स्व० राजा राम  
नौसद,  
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **136** दिनांक **30.03.2002** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-4/13** से. **22** क्षे. **136.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	रख-रखाव		लीज रेन्ट	
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु०	<b>0</b>	रु०	<b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>-147</b>	रु०	<b>-83</b>
योग (अ)	रु०	<b>-147</b>	रु०	<b>-83</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु०	<b>0</b>	रु०	<b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>4488</b>	रु०	<b>27</b>
योग (ब)	रु०	<b>4488</b>	रु०	<b>27</b>
महायोग (अ एवं ब)	रु०	<b>4341</b>	रु०	<b>-56</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **449.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।



पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-4/11** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

श्रीमती विमला देवी पत्नी श्री प्रेम नाथ  
मझवार, नरसिंह पुर,  
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **145** दिनांक **30.03.2002** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-4/11** से. **22** क्षे. **145.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	रख-रखाव		लीज रेन्ट	
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-20	रु0	-708
योग (अ)	रु0	-20	रु0	-708

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4785	रु0	29
योग (ब)	रु0	4785	रु0	29
महायोग (अ एवं ब)	रु0	4765	रु0	-679


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **479.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-3/13** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री अवनीश कुमार उपाध्याय पुत्र श्री नरसिंह उपाध्याय,**  
**ग्राम-जगदीशपुर**  
**पोस्ट-भरसाड़,**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **160** दिनांक **30.03.2002** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-3/13** से. **22** क्षे. **136.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>0</b>	रु0 <b>1217</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>4084</b>	रु0 <b>588</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>4084</b>	रु0 <b>1805</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>531</b>	रु0 <b>118</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>4488</b>	रु0 <b>27</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>5019</b>	रु0 <b>145</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>9103</b>	रु0 <b>1950</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **449.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-8/10** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री रमेश कुमार वर्मा पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद**  
**मे0 वर्मा रोडवेज, न्यू ट्रांसपोर्ट नगर,**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **164** दिनांक **26.10.2002** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-8/10** से. **22** क्षे. **600.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	<u>रख-रखाव</u>		<u>लीज रेन्ट</u>	
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-1099	रु0	-40
<b>योग (अ)</b>	रु0	-1099	रु0	-40

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	19800	रु0	120
<b>योग (ब)</b>	रु0	19800	रु0	120
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	18701	रु0	80

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **1980.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-4/18** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

श्री रिपुदमन सिंह पुत्र श्री कालिका सिंह  
मू०-तुर्कमानपुर (निकट नायक हाता) रावत पाठशाला के पीछे,  
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **134** दिनांक **30.03.2002** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-4/18** से. **22** क्षे. **136.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु०	<b>51220</b>	<b>74</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>45499</b>	<b>162</b>
योग (अ)	रु०	<b>96719</b>	<b>236</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु०	<b>12573</b>	<b>15</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>4488</b>	<b>27</b>
योग (ब)	रु०	<b>17061</b>	<b>42</b>
महायोग (अ एवं ब)	रु०	<b>113780</b>	<b>278</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **449.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-4/15** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्रीमती विन्ध्यवासिनी सिंह पत्नी रिपुदमन सिंह**  
**डी0-192, टी0 पी0 नगर ,**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **135** दिनांक **30.03.2002** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-4/15** से. **22** क्षे. **136.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>51220</b>	रु0 <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>45499</b>	रु0 <b>5</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>96719</b>	रु0 <b>5</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>12573</b>	रु0 <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>4488</b>	रु0 <b>27</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>17061</b>	रु0 <b>27</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>113780</b>	रु0 <b>32</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **449.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-4/12** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**क० रुमि सिंह पुत्री श्री रिपुदमन सिंह**  
**म०-तुर्कमानपुर ( निकट नायक हाता ), रावत पाठशाला के पिछे,**  
**गोरखपुर ।**

आवंटन पत्र संख्या **161** दिनांक **30.03.2002** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-4/12** से. **22** क्षे. **136.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु०	<b>51220</b>	रु० <b>88</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>45499</b>	रु० <b>175</b>
<b>योग (अ)</b>	रु०	<b>96719</b>	रु० <b>263</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु०	<b>12573</b>	रु० <b>17</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>4488</b>	रु० <b>27</b>
<b>योग (ब)</b>	रु०	<b>17061</b>	रु० <b>44</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु०	<b>113780</b>	रु० <b>307</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **449.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-3/15** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

श्री आद्या प्रसाद गुप्ता पुत्र श्री रामदास जैशवाल  
जुबली रॉड,  
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **142** दिनांक **30.03.2002** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-3/15** से. **22** क्षे. **136.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	रख-रखाव		लीज रेन्ट	
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-31	रु0	-31
योग (अ)	रु0	-31	रु0	-31

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4488	रु0	27
योग (ब)	रु0	4488	रु0	27
महायोग (अ एवं ब)	रु0	4457	रु0	-4

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **449.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-3/14** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

श्री चन्द्र भूषण दास अग्रवाल पुत्र श्री दामोदर दास अग्रवाल  
ए0-22, टी0 पी0 नगर,  
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **156** दिनांक **30.03.2002** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-3/14** से. **22** क्षे. **136.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>19890</b>	रु0 <b>229</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>32709</b>	रु0 <b>271</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>52599</b>	रु0 <b>500</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>6838</b>	रु0 <b>33</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>4488</b>	रु0 <b>27</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>11326</b>	रु0 <b>60</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>63925</b>	रु0 <b>560</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **449.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।



पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-5/9** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्रीमती रम्भा देवी पत्नी श्री शिवकुमार कसौधन,**  
**ग्राम एवं पोस्ट-सिकरीगंज,**  
**जिला-गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **131** दिनांक **27.03.2002** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-5/9** से. **22** क्षे. **50.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>18835</b>	रु0 <b>28</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>16730</b>	रु0 <b>60</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>35565</b>	रु0 <b>88</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>4623</b>	रु0 <b>6</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>1650</b>	रु0 <b>10</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>6273</b>	रु0 <b>16</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>41838</b>	रु0 <b>104</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **165.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-5/6** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री धीरेन्द्र कुमार पुत्र श्री गोपीनाथ**  
**छोटेकाजीपुर,**  
**जिला-गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **130** दिनांक **27.03.2002** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-5/6** से. **22** क्षे. **50.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>7271</b>	रु0 <b>453</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>11997</b>	रु0 <b>218</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>19268</b>	रु0 <b>671</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>2505</b>	रु0 <b>44</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>1650</b>	रु0 <b>10</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>4155</b>	रु0 <b>54</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>23423</b>	रु0 <b>725</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **165.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. B-8/4 / से. 22 / 2023-24 दिनांक

श्री जय परमेश्वर अग्रवाल पुत्र श्री वेद प्रकाश अग्रवाल  
जे0 वी0 आर0 कैरियर्स, जनता कोल्ड स्टोरेज, महेवा चौक,  
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या 166 दिनांक 26.10.2002 के माध्यम से गीडा की ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. B-8/4 से. 22 क्षे. 450.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	5	रु0 25
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	20447	रु0 393
योग (अ)	रु0	20452	रु0 418

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	2659	रु0 27
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	14850	रु0 90
योग (ब)	रु0	17509	रु0 117
महायोग (अ एवं ब)	रु0	37961	रु0 535


**नोट:- रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 1485.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-8/9** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**मैसर्स यादव ट्रांसपोर्ट**

**श्रीमती पानमती पत्नी श्री जयराम (साझेदार) व श्रीमती बिन्दावती पत्नी**

**ग्राम-मुहम्मदपुर, पोस्ट आफिस-जगत बेला**

**जिला-गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **170** दिनांक **26.10.2002** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-8/9** से. **22** क्षे. **420.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>79126</b>	रु0 <b>3579</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>110811</b>	रु0 <b>1780</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>189937</b>	रु0 <b>5359</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>24692</b>	रु0 <b>351</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>13860</b>	रु0 <b>84</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>38552</b>	रु0 <b>435</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>228489</b>	रु0 <b>5794</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **1386.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-4/17** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री मू० हफीज सिद्दीकी पुत्र स्व० तवारक हसैन**  
**दुकान न० डी-73, ट्रांसपोर्ट नगर,**

**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **144** दिनांक **30.03.2002** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-4/17** से. **22** क्षे. **136.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु०	<b>0</b>	रु० <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>97</b>	रु० <b>-26</b>
<b>योग (अ)</b>	रु०	<b>97</b>	रु० <b>-26</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु०	<b>10</b>	रु० <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>4488</b>	रु० <b>27</b>
<b>योग (ब)</b>	रु०	<b>4498</b>	रु० <b>27</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु०	<b>4595</b>	रु० <b>1</b>


**नोट:- रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **449.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-4/14** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री सत्यम शाही पुत्र श्री राम प्रताप शाही**  
**निवासी-012, ट्रांसपोर्ट नगर, महेवा,**  
**बड़गों, जिला-गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **138** दिनांक **30.03.2002** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-4/14** से. **22** क्षे. **136.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>253</b>	रु0 <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>8967</b>	रु0 <b>-101</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>9220</b>	रु0 <b>-101</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>1199</b>	रु0 <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>4488</b>	रु0 <b>27</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>5687</b>	रु0 <b>27</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>14907</b>	रु0 <b>-74</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **449.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-4/7** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री कैलाश प्रसाद गुप्ता पुत्र श्री रामलखन गुप्ता**  
**ग्राम व पोस्ट-भौवापार,**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **140** दिनांक **30.03.2002** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-4/7** से. **22** क्षे. **136.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	<u>रख-रखाव</u>		<u>लीज रेन्ट</u>	
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-326	रु0	-166
<b>योग (अ)</b>	रु0	-326	रु0	-166

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4488	रु0	27
<b>योग (ब)</b>	रु0	4488	रु0	27
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	4162	रु0	-139

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **449.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-3/18** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

श्री शकील अहमद पुत्र श्री अजीम मुल्लाह  
निवासी-मुहल्ला-ए-56,  
ट्रांसपोर्ट नगर,  
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **143** दिनांक **30.03.2002** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-3/18** से. **22** क्षे. **136.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-326	रु0
योग (अ)	रु0	-326	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4488	रु0
योग (ब)	रु0	4488	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	4162	रु0


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **449.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।



पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-1/19** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्रीमती सुभावती देवी पत्नी रामलखन**  
**अनिल लाईट हाऊस, महेवा चौक,**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **129** दिनांक **27.03.2002** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-1/19** से. **22** क्षे. **150.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	<u>रख-रखाव</u>		<u>लीज रेन्ट</u>	
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-20	रु0	-33
<b>योग (अ)</b>	रु0	-20	रु0	-33

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4950	रु0	30
<b>योग (ब)</b>	रु0	4950	रु0	30
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	4930	रु0	-3

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **495.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-1/6** / से. **23** / 2023-24 दिनांक

**श्री रामनाथ शर्मा पुत्र स्व० रामनरेश शर्मा**  
**ग्राम व पोस्ट-हरपुर (देई डीहा)**  
**थाना-गोला**  
**जिला-गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **122** दिनांक **10.12.2001** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-1/6** से. **23** क्षे. **158.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु०	0	रु० 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	-29	रु० -16
<b>योग (अ)</b>	रु०	-29	रु० -16

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु०	0	रु० 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	5214	रु० 32
<b>योग (ब)</b>	रु०	5214	रु० 32
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु०	5185	रु० 16

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **521.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-1/07** / से. **23** / 2023-24 दिनांक

**श्री ओंकार नाथ गुप्ता पुत्र श्री चौथी प्रसाद गुप्ता**  
**आजाद नगर पूर्वी तारा मंडल रोड़, निकट मारुति ट्रेडर्स,**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **100** दिनांक **10.12.2001** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-1/07** से. **23** क्षे. **155.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	<u>रख-रखाव</u>		<u>लीज रेन्ट</u>	
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-24	रु0	-6
<b>योग (अ)</b>	रु0	-24	रु0	-6

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5115	रु0	31
<b>योग (ब)</b>	रु0	5115	रु0	31
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	5091	रु0	25


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **512.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-4/9** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री मुन्नी लाल पुत्र श्री किशोरी लाल,  
कूडाघाट,  
गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **318** दिनांक **31.03.2004** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-4/9** से. **22** क्षे. **50.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>16779</b>	रु0 <b>369</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>16126</b>	रु0 <b>198</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>32905</b>	रु0 <b>567</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>4278</b>	रु0 <b>37</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>1650</b>	रु0 <b>10</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>5928</b>	रु0 <b>47</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>38833</b>	रु0 <b>614</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **165.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-1/14** / से. **23** / 2023-24 दिनांक

श्री सतीश कुमार नायक पुत्र श्री शम्भूशरण नायक  
बी0-114, आवास विकास कालोनी, दक्षिणी बेतिया हाता,  
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **105** दिनांक **10.12.2001** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-1/14** से. **23** क्षे. **155.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	रख-रखाव		लीज रेन्ट	
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-24	रु0	-6
योग (अ)	रु0	-24	रु0	-6

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5115	रु0	31
योग (ब)	रु0	5115	रु0	31
महायोग (अ एवं ब)	रु0	5091	रु0	25


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **512.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-1/13** / से. **23** / 2023-24 दिनांक

**श्री आशुतोष कुमार उपाध्याय पुत्र श्री तीर्थराज उपाध्याय**  
**18-डी, नथमलपुर (प0) निकट एम0 पी0 पालिटेक्निक, गोरखनाथ मंदिर,**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **123** दिनांक **10.12.2001** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-1/13** से. **23** क्षे. **146.50** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>55930</b>	रु0 <b>1348</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>49224</b>	रु0 <b>640</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>105154</b>	रु0 <b>1988</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>13670</b>	रु0 <b>130</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>4835</b>	रु0 <b>29</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>18505</b>	रु0 <b>159</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>123659</b>	रु0 <b>2147</b>

**नोट:- रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **484.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-1/4** / से. **23** / 2023-24 दिनांक

श्री अली इमाम पुत्र श्री अताउल्लाह अंसारी  
टी0 पी0 नगर, महेवा चूंगी, कनक स्वीट्स के सामने,  
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **107** दिनांक **10.12.2001** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-1/4** से. **23** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	<u>रख-रखाव</u>		<u>लीज रेन्ट</u>	
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	175	रु0	-4604
<b>योग (अ)</b>	रु0	175	रु0	-4604

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	18	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5346	रु0	32
<b>योग (ब)</b>	रु0	5364	रु0	32
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	5539	रु0	-4572

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **535.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. A-1/8 / से. 23 / 2023-24 दिनांक

श्री विजय कुमार नायक पुत्र श्री शम्भूशरण नायक  
बी0-114, आवास विकास कालोनी, दक्षिणी बेतिया हाता,  
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या 106 दिनांक 10.12.2001 के माध्यम से गीडा की ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. A-1/8 से. 23 क्षे. 155.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	रख-रखाव		लीज रेन्ट	
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-24	रु0	0
योग (अ)	रु0	-24	रु0	0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5115	रु0	31
योग (ब)	रु0	5115	रु0	31
महायोग (अ एवं ब)	रु0	5091	रु0	31


**नोट:- रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 512.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।



पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. A-1/16 / से. 23 / 2023-24 दिनांक

श्री अरुण कुमार उपाध्याय पुत्र श्री तीर्थराज उपाध्याय  
43, एफ0, नथमलपुर, गोरखनाथ मंदिर,  
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या 99 दिनांक 10.12.2001 के माध्यम से गीडा की ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. A-1/16 से. 23 क्षेत्र 141.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	42818	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	47376	रु0
योग (अ)	रु0	90194	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	1895	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4653	रु0
योग (ब)	रु0	6548	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	96742	रु0


**नोट:- रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 465.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-1/9** / से. **23** / 2023-24 दिनांक

**श्री सन्तोष नारायण सिंह पुत्र श्री प्रेम नारायण सिंह**  
**मे0-प्रेम आटो सर्विस, बरगदवा, लच्छीपुर,**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **127** दिनांक **10.12.2001** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-1/9** से. **23** क्षे. **154.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>33388</b>	रु0 <b>1442</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>42720</b>	रु0 <b>684</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>76108</b>	रु0 <b>2126</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>9894</b>	रु0 <b>139</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>5082</b>	रु0 <b>31</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>14976</b>	रु0 <b>170</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>91084</b>	रु0 <b>2296</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **508.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-1/5** / से. **23** / 2023-24 दिनांक

**श्री बजेश सिंह पुत्र श्री कमला सिंह**  
**मे0-मारुति परफेक्ट, काली मंदिर गली,**  
**गोलघर,**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **104** दिनांक **10.12.2001** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-1/5** से. **23** क्षे. **160.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>51350</b>	रु0 <b>1488</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>50876</b>	रु0 <b>706</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>102226</b>	रु0 <b>2194</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>13289</b>	रु0 <b>144</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>5280</b>	रु0 <b>32</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>18569</b>	रु0 <b>176</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>120795</b>	रु0 <b>2370</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **528.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. B-8/2 / से. 22 / 2023-24 दिनांक

श्री हरजिन्दर सिंह चढढा पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह  
निवासी-ए-195, ग्रीन उड सिटी, सेक्टर-45,  
गुडगाँव, हरियाणा-122003

आवंटन पत्र संख्या 163 दिनांक 26.10.2002 के माध्यम से गीडा की ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. B-8/2 से. 22 क्षे. 600.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	रख-रखाव		लीज रेन्ट	
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-570	रु0	-24
योग (अ)	रु0	-570	रु0	-24

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	19800	रु0	120
योग (ब)	रु0	19800	रु0	120
महायोग (अ एवं ब)	रु0	19230	रु0	96


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 1980.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-8/3** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री गूलशन कुमार**  
**मे0 देलही गोरखपुर ट्रांसपोर्ट सोसायटी, जनता कोल्ड स्टोरेज,**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **165** दिनांक **26.10.2002** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-8/3** से. **22** क्षे. **450.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>52228</b>	रु0 <b>3839</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>99251</b>	रु0 <b>1907</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>151479</b>	रु0 <b>5746</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>19692</b>	रु0 <b>377</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>14850</b>	रु0 <b>90</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>34542</b>	रु0 <b>467</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>186021</b>	रु0 <b>6213</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **1485.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-8/5** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री सरदार रनवीर सिंह नारंग पुत्र स्व० हरवंश सिंह नारंग**  
**प्लॉट न०-10, नवीन ट्रांसपोर्ट नगर,**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **167** दिनांक **26.10.2002** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-8/5** से. **22** क्षे. **450.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु०	<b>97251</b>	रु० <b>3839</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>125518</b>	रु० <b>1907</b>
<b>योग (अ)</b>	रु०	<b>222769</b>	रु० <b>5746</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु०	<b>28960</b>	रु० <b>377</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>14850</b>	रु० <b>90</b>
<b>योग (ब)</b>	रु०	<b>43810</b>	रु० <b>467</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु०	<b>266579</b>	रु० <b>6213</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **1485.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-2/25** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्रीमती प्रेमा देवी पत्नी श्री**  
**मिया बाजार, मुख्य डाक घर के पिछे,**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **172** दिनांक **24.01.2003** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-2/25** से. **22** क्षे. **55.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>2985</b>	रु0 <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>9141</b>	रु0 <b>-221</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>12126</b>	रु0 <b>-221</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>1576</b>	रु0 <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>1815</b>	रु0 <b>11</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>3391</b>	रु0 <b>11</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>15517</b>	रु0 <b>-210</b>

**नोट:- रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **182.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-1/11** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री राजेश कुमार अग्रवाल पुत्र स्व० बावन दास अग्रवाल**  
**के०-67/85-21, भरत मिलाप कालोनी, नाटी ईमली,**  
**वाराणसी।**

आवंटन पत्र संख्या **289** दिनांक **26.03.2003** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-1/11** से. **22** क्षे. **405.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु०	<b>29563</b>	रु० <b>310</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>75285</b>	रु० <b>567</b>
<b>योग (अ)</b>	रु०	<b>104848</b>	रु० <b>877</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु०	<b>13630</b>	रु० <b>57</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>13365</b>	रु० <b>81</b>
<b>योग (ब)</b>	रु०	<b>26995</b>	रु० <b>138</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु०	<b>131843</b>	रु० <b>1015</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **1337.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**



पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-7** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**मे0 यू0पी0 वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन**  
**भन्दारण भवन,**

**लखनऊ-226007**

आवंटन पत्र संख्या **5** दिनांक **28.08.2001** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-7** से. **22** क्षे. **40150.0** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>746452</b>	रु0 <b>311242</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>7154934</b>	रु0 <b>179454</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>7901386</b>	रु0 <b>490696</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>1027180</b>	रु0 <b>32157</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>1204500</b>	रु0 <b>8030</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>2231680</b>	रु0 <b>40187</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>10133066</b>	रु0 <b>530883</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **120450.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. D-5/14 / से. 22 / 2023-24 दिनांक

श्रीमती इन्द्रावती देवी पत्नी श्री नागेन्द्र प्रताप सिंह  
निवासी-जेमिनी रोड लाइन्स, महेवा चौक,  
ट्रांसपोर्ट नगर,  
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या 630 दिनांक 11.02.2011 के माध्यम से गीडा की ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. D-5/14 से. 22 क्षेत्र 148.75 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	27692	रु0 434
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	39072	रु0 386
योग (अ)	रु0	66764	रु0 820

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	8679	रु0 54
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4909	रु0 30
योग (ब)	रु0	13588	रु0 84
महायोग (अ एवं ब)	रु0	80352	रु0 904


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 491.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-3/11** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्रीमती गुजराती देवी पत्नी स्व० राम जियावन तिवारी**  
**मोहल्ला-दाऊदपुर, मकान नं०-244, पोस्ट-दाऊदपुर,**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **287** दिनांक **21.03.2003** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-3/11** से. **22** क्षे. **145.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु०	<b>6375</b>	रु० <b>68</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>22233</b>	रु० <b>165</b>
<b>योग (अ)</b>	रु०	<b>28608</b>	रु० <b>233</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु०	<b>3719</b>	रु० <b>15</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>4785</b>	रु० <b>29</b>
<b>योग (ब)</b>	रु०	<b>8504</b>	रु० <b>44</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु०	<b>37112</b>	रु० <b>277</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **479.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. B-4/61 / से. 22 / 2023-24 दिनांक

श्री जगदम्बा पाण्डेय पुत्र श्री सूर्य नारायण पाण्डेय  
नेशनल ट्रांसपोर्ट सर्विस, महेवा चौक, टी0 पी0 नगर,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या 246 दिनांक 26.02.2003 के माध्यम से गीडा की ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. B-4/61 से. 22 क्षे. 50.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	8564	रु0 408
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	12746	रु0 208
योग (अ)	रु0	21310	रु0 616

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	2770	रु0 40
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1650	रु0 10
योग (ब)	रु0	4420	रु0 50
महायोग (अ एवं ब)	रु0	25730	रु0 666


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 165.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-4/44** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

श्री रुपेश कुमार गुप्ता पुत्र श्री सुरेन्द्र लाल गुप्ता,  
मुहल्ला-रहमत नगर, मकान नम्बर-19,

**गोरखपुर-273005**

आवंटन पत्र संख्या **290** दिनांक **27.06.2003** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-4/44** से. **22** क्षे. **50.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>7273</b>	रु0 <b>396</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>12000</b>	रु0 <b>205</b>
योग (अ)	रु0	<b>19273</b>	रु0 <b>601</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>2505</b>	रु0 <b>39</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>1650</b>	रु0 <b>10</b>
योग (ब)	रु0	<b>4155</b>	रु0 <b>49</b>
महायोग (अ एवं ब)	रु0	<b>23428</b>	रु0 <b>650</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **165.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-4/2** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

श्री रमाशंकर पासवान पुत्र स्व० सूर्य बलि पासवान,  
मुहल्ला-सरना टोला, टीचर कालोनी, पो०-कूडाघाट,  
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **292** दिनांक **30.07.2003** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-4/2** से. **22** क्षे. **136.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु०	<b>17905</b>	<b>रु० 234</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>31517</b>	<b>रु० 274</b>
योग (अ)	रु०	<b>49422</b>	<b>रु० 508</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु०	<b>6425</b>	<b>रु० 33</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>4488</b>	<b>रु० 27</b>
योग (ब)	रु०	<b>10913</b>	<b>रु० 60</b>
महायोग (अ एवं ब)	रु०	<b>60335</b>	<b>रु० 568</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **449.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-3/29** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

श्री विजय बहादुर यादव पुत्र स्व० भागवत यादव,  
पुलिस चौकी ट्रांसपोर्ट नगर, थाना-राजघाट,

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **190** दिनांक **24.01.2003** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-3/29** से. **22** क्षे. **55.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु०	<b>19750</b>	<b>रु० 453</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>18129</b>	<b>रु० 230</b>
योग (अ)	रु०	<b>37879</b>	<b>रु० 683</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु०	<b>4924</b>	<b>रु० 45</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>1815</b>	<b>रु० 11</b>
योग (ब)	रु०	<b>6739</b>	<b>रु० 56</b>
महायोग (अ एवं ब)	रु०	<b>44618</b>	<b>रु० 739</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **182.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-1/12** / से. **23** / 2023-24 दिनांक

**श्रीमती उषा सिंह पत्नी श्री विपिन बिहारी सिंह**  
**मदन मोहन मालवीय इन्जिनियरिंग कालेज कैम्पस,**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **103** दिनांक **10.12.2001** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-1/12** से. **23** क्षे. **155.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>22488</b>	रु0 <b>1442</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>37164</b>	रु0 <b>684</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>59652</b>	रु0 <b>2126</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>7755</b>	रु0 <b>139</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>5115</b>	रु0 <b>31</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>12870</b>	रु0 <b>170</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>72522</b>	रु0 <b>2296</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **512.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।



पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-5/9** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

श्रीमती नीतू सिंह पत्नी श्री जितेन्द्र कुमार सिंह  
निवासी-करमदेवा ब्रजग,   
खजनी ढखवा बाजार, गोरखपुर  
273211, यू0पी0

आवंटन पत्र संख्या **636** दिनांक **11.02.2011** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-5/9** से. **22** क्षे. **148.75** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	रख-रखाव		लीज रेन्ट	
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-769	रु0	-591
योग (अ)	रु0	-769	रु0	-591

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4909	रु0	30
योग (ब)	रु0	4909	रु0	30
महायोग (अ एवं ब)	रु0	4140	रु0	-561


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **491.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-3/16** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री विजय बहादुर पुत्र श्री रमा शंकर यादव**  
**भरवलिया ब्रजग ( सिद्धार्थनगर कालोनी )**  
**रुस्तमपुर, गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **294** दिनांक **29.07.2003** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-3/16** से. **22** क्षे. **136.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>47440</b>	रु0 <b>1063</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>44413</b>	रु0 <b>552</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>91853</b>	रु0 <b>1615</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>11941</b>	रु0 <b>106</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>4488</b>	रु0 <b>27</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>16429</b>	रु0 <b>133</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>108282</b>	रु0 <b>1748</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **449.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-1/18** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्रीमती निर्मला देवी पत्नी श्री पाटक,**  
**निवासी-मोहल्ला-मंझरिया, नगर घघसरा,**  
**थाना-हरपुर बुदहट,**  
**जिला-गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **302** दिनांक **18.10.2003** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-1/18** से. **22** क्षे. **150.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>5271</b>	रु0 <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>20903</b>	रु0 <b>-98</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>26174</b>	रु0 <b>-98</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>3403</b>	रु0 <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>4950</b>	रु0 <b>30</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>8353</b>	रु0 <b>30</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>34527</b>	रु0 <b>-68</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **495.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-3/30** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

श्री लाल मोहन प्रजापति पुत्र श्री परदेशी प्रजापति,  
निवासी-मकान संख्या-105, ग्राम-अड़िलापार,  
पोस्ट-अमटौरा, थाना-सहजनवाँ,  
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **187** दिनांक **11.10.2003** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-3/30** से. **22** क्षे. **55.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-18	रु0
योग (अ)	रु0	-18	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1815	रु0	11
योग (ब)	रु0	1815	रु0	11
महायोग (अ एवं ब)	रु0	1797	रु0	11


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **182.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-8/1** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री हरजिन्दर सिंह चढ्ढा पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह चढ्ढा,**  
**राजधानी इन्टर स्टेट ट्रांसपोर्ट कम्पनी ( रजि० )**  
**यू०पी०यू०एस०एस०ली० कम्पाउण्ड, टी० पी० नगर,**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **327** दिनांक **31.03.2004** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-8/1** से. **22** क्षे. **597.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु०	<b>0</b>	रु० <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>-882</b>	रु० <b>-9</b>
<b>योग (अ)</b>	रु०	<b>-882</b>	रु० <b>-9</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु०	<b>0</b>	रु० <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>19701</b>	रु० <b>119</b>
<b>योग (ब)</b>	रु०	<b>19701</b>	रु० <b>119</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु०	<b>18819</b>	रु० <b>110</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **1970.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-1/12D** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्रीमती गंगा देवी पत्नी स्व० किशोर कुमार**  
**ग्राम-लाही डाडी, पोस्ट-बोंसगाव,**  
**जिला-गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **349** दिनांक **31.03.2004** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-1/12D** से. **22** क्षे. **136.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु०	<b>1201</b>	रु० <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>11088</b>	रु० <b>7</b>
<b>योग (अ)</b>	रु०	<b>12289</b>	रु० <b>7</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु०	<b>1598</b>	रु० <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>4488</b>	रु० <b>27</b>
<b>योग (ब)</b>	रु०	<b>6086</b>	रु० <b>27</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु०	<b>18375</b>	रु० <b>34</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **449.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-7/20** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

श्री श्रीकान्त पाण्डेय पुत्र श्री कृष्ण पाण्डेय  
द्वारा नवरंग रोडवेज ( रजि0 )  
महेवा,  
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **324** दिनांक **31.03.2004** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-7/20** से. **22** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-7	रु0
योग (अ)	रु0	-7	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5346	रु0	32
योग (ब)	रु0	5346	रु0	32
महायोग (अ एवं ब)	रु0	5339	रु0	32

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **535.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-4/23** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री मानधारी यादव पुत्र श्री सवरु यादव**  
**इन्द्रा नगर, गोरखपुर विश्वविद्यालय,**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **315** दिनांक **31.03.2004** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-4/23** से. **22** क्षे. **50.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>16779</b>	रु0 <b>369</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>16126</b>	रु0 <b>198</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>32905</b>	रु0 <b>567</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>4278</b>	रु0 <b>37</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>1650</b>	रु0 <b>10</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>5928</b>	रु0 <b>47</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>38833</b>	रु0 <b>614</b>


**नोट:- रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **165.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**



पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-1/12B** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री प्रसान्त कुमार राठौर पुत्र श्री प्रेम सिंह राठौर,**  
**दिग्विजय नगर कालोनी, पोस्ट-गोरखनाथ,**  
**जिला-गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **353** दिनांक **31.03.2004** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-1/12B** से. **22** क्षे. **136.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>19785</b>	रु0 <b>138</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>32643</b>	रु0 <b>215</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>52428</b>	रु0 <b>353</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>6816</b>	रु0 <b>23</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>4488</b>	रु0 <b>27</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>11304</b>	रु0 <b>50</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>63732</b>	रु0 <b>403</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **449.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-4/43** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

श्रीमती कमलावती देवी पत्नी श्री ब्रह्मानन्द  
निवासी-एन-6, सर्वोदय नगर कालोनी, चिलमापुर,  
भरवलिया ब्रजगंज, गोरखपुर,  
उ० प्र० 273016

आवंटन पत्र संख्या **348** दिनांक **31.03.2004** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-4/43** से. **22** क्षे. **50.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	रख-रखाव		लीज रेन्ट	
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु०	0	रु०	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	-823	रु०	-86
योग (अ)	रु०	-823	रु०	-86

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु०	0	रु०	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	1650	रु०	10
योग (ब)	रु०	1650	रु०	10
महायोग (अ एवं ब)	रु०	827	रु०	-76

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **165.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-2/26** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री भागवत यादव पुत्र श्री राम अचल यादव**  
**निवासी-देइया,**  
**तकूआपट्टी, सहजनवाँ,**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **345** दिनांक **31.03.2004** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-2/26** से. **22** क्षे. **55.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	626	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4990	रु0
<b>योग (अ)</b>	<b>रु0</b>	<b>5616</b>	<b>रु0</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	730	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1815	रु0
<b>योग (ब)</b>	<b>रु0</b>	<b>2545</b>	<b>रु0</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	<b>रु0</b>	<b>8161</b>	<b>रु0</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **182.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-1/12** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्रीमती कल्पना अग्रवाल पत्नी श्री राजेश अग्रवाल**  
**ग्राम-कोलिया, लखनऊ रोड़,**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **288** दिनांक **26.03.2003** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-1/12** से. **22** क्षे. **549.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>148572</b>	रु0 <b>4478</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>164779</b>	रु0 <b>2285</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>313351</b>	रु0 <b>6763</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>40736</b>	रु0 <b>443</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>18117</b>	रु0 <b>110</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>58853</b>	रु0 <b>553</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>372204</b>	रु0 <b>7316</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **1812.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-4/46** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

श्री चन्द्रशेखर पुत्र श्री पारस नाथ  
निवासी-ग्राम-जूड़ियान,  
पोस्ट-सहजनवाँ,  
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **291** दिनांक **29.07.2003** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-4/46** से. **22** क्षे. **50.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	<u>रख-रखाव</u>		<u>लीज रेन्ट</u>	
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-20	रु0	-87
योग (अ)	रु0	-20	रु0	-87

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1650	रु0	10
योग (ब)	रु0	1650	रु0	10
महायोग (अ एवं ब)	रु0	1630	रु0	-77


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **165.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-1/12E** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री ब्रजेश कुमार पाल पुत्र श्री कृंज बिहारी,**  
**मू०-महर्षि सुधरपुर शक्तिनगर पश्चिमी**  
**पो०-शिवपुरी नई कोलोनी,**  
**जिला-गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **293** दिनांक **30.07.2003** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-1/12E** से. **22** क्षे. **136.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु०	<b>0</b>	रु० <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>-34</b>	रु० <b>-57</b>
<b>योग (अ)</b>	रु०	<b>-34</b>	रु० <b>-57</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु०	<b>0</b>	रु० <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>4488</b>	रु० <b>27</b>
<b>योग (ब)</b>	रु०	<b>4488</b>	रु० <b>27</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु०	<b>4454</b>	रु० <b>-30</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **449.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-5/7** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

श्री अखिलेश कुमार यादव पुत्र श्री खेदन सिंह  
निवासी-स्वराज कैरिंग कारगो,  
न्यू टी0पी0नगर,  
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **632** दिनांक **11.02.2011** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-5/7** से. **22** क्षे. **148.75** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>27692</b>	<b>रु0 434</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>39072</b>	<b>रु0 386</b>
योग (अ)	रु0	<b>66764</b>	<b>रु0 820</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>8679</b>	<b>रु0 54</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>4909</b>	<b>रु0 30</b>
योग (ब)	रु0	<b>13588</b>	<b>रु0 84</b>
महायोग (अ एवं ब)	रु0	<b>80352</b>	<b>रु0 904</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **491.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-4/49** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री सजन लाल गुप्ता पुत्र श्री राम अवध गुप्ता**  
**निवासी-महेवा बड़गों,**  
**न्यू शिवपुरी कालोनी,**  
**जिला-गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **295** दिनांक **15.09.2003** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-4/49** से. **22** क्षे. **50.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>1549</b>	रु0 <b>17</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>6741</b>	रु0 <b>50</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>8290</b>	रु0 <b>67</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>1078</b>	रु0 <b>4</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>1650</b>	रु0 <b>10</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>2728</b>	रु0 <b>14</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>11018</b>	रु0 <b>81</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **165.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**



पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-4/5** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्रीमती शोभा देवी पत्नी श्री उमेश प्रसाद**  
**ग्राम-हरपुर, पोस्ट-हरपुर बुद्धहट,**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **297** दिनांक **15.09.2003** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-4/5** से. **22** क्षे. **136.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>0</b>	रु0 <b>282</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>3904</b>	रु0 <b>299</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>3904</b>	रु0 <b>581</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>24</b>	रु0 <b>38</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>4488</b>	रु0 <b>27</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>4512</b>	रु0 <b>65</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>8416</b>	रु0 <b>646</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **449.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. A-3/9 / से. 22 / 2023-24 दिनांक

श्रीमती कल्याणी श्रीवास्तव पत्नी श्री अशोक श्रीवास्तव  
44-ए, पोस्ट-शिवपुर नई कालोनी, रुस्तमपुर,  
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या 301 दिनांक 17.10.2003 के माध्यम से गीडा की ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. A-3/9 से. 22 क्षे. 139.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	600	रु0
योग (अ)	रु0	600	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	60	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4587	रु0
योग (ब)	रु0	4647	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	5247	रु0


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 459.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-5/18** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

श्री युधिष्ठिर धर दूबेपुत्र श्री पं0 एम0 डी0 दूबे,  
89, आवास विकास कालोनी, बेतियाहाता,  
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **303** दिनांक **12.02.2004** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-5/18** से. **22** क्षे. **375.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>126739</b>	रु0 <b>2781</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>121242</b>	रु0 <b>1492</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>247981</b>	रु0 <b>4273</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>32238</b>	रु0 <b>280</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>12375</b>	रु0 <b>75</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>44613</b>	रु0 <b>355</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>292594</b>	रु0 <b>4628</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **1238.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-1/14** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

श्री आनन्द स्वरुप आर्य पुत्र स्व० श्रीराम प्रताप आर्य,  
पाण्डेय बाजार, बस्ती,  
जिला-बस्ती।

आवंटन पत्र संख्या **356** दिनांक **31.03.2004** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-1/14** से. **22** क्षे. **420.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	रख-रखाव		लीज रेन्ट	
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु०	<b>0</b>	रु०	<b>33</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>-1283</b>	रु०	<b>201</b>
योग (अ)	रु०	<b>-1283</b>	रु०	<b>234</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु०	<b>0</b>	रु०	<b>15</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>13860</b>	रु०	<b>84</b>
योग (ब)	रु०	<b>13860</b>	रु०	<b>99</b>
महायोग (अ एवं ब)	रु०	<b>12577</b>	रु०	<b>333</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **1386.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-1/10** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

श्री सुनील कुमार सिंह पुत्र श्री रामानुज सिंह,  
245, दिग्विजय नगर कालोनी, गोरखनाथ रोड़,  
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **352** दिनांक **31.03.2004** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-1/10** से. **22** क्षे. **136.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>6344</b>	रु0 <b>136</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>37087</b>	रु0 <b>214</b>
योग (अ)	रु0	<b>43431</b>	रु0 <b>350</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>4548</b>	रु0 <b>23</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>4488</b>	रु0 <b>27</b>
योग (ब)	रु0	<b>9036</b>	रु0 <b>50</b>
महायोग (अ एवं ब)	रु0	<b>52467</b>	रु0 <b>400</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **449.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-3/26** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री पवन कुमार सिंह पुत्र स्व० रामधनी सिंह**  
**निवासी-पिपरा वार्ड नं.-1, सहजनवाँ,**  
**जिला-गोरखपुर, उ० प्र०।**

आवंटन पत्र संख्या **347** दिनांक **31.03.2004** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-3/26** से. **22** क्षे. **55.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	<u>रख-रखाव</u>		<u>लीज रेन्ट</u>	
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु०	<b>0</b>	रु०	<b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>-466</b>	रु०	<b>-48</b>
<b>योग (अ)</b>	रु०	<b>-466</b>	रु०	<b>-48</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु०	<b>0</b>	रु०	<b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>1815</b>	रु०	<b>11</b>
<b>योग (ब)</b>	रु०	<b>1815</b>	रु०	<b>11</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु०	<b>1349</b>	रु०	<b>-37</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **182.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-8/17** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री राजेश कुमार गुप्ता पुत्र श्री राम निवास गुप्ता,**  
**फ्लाईंग गोल्डेन कैरियर ( रजि0 ),**  
**64-65 नेहरु हाउसिंग सोसाइटी, अम्बेडकर रोड़,**  
**गाजियाबाद,**

आवंटन पत्र संख्या **311** दिनांक **31.03.2004** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-8/17** से. **22** क्षे. **449.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	0	रु0 346
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-559	रु0 630
<b>योग (अ)</b>	रु0	-559	रु0 976

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	0	रु0 64
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	14817	रु0 90
<b>योग (ब)</b>	रु0	14817	रु0 154
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	14258	रु0 1130


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **1482.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-4/4** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री ओम प्रकाश पाण्डेय पुत्र श्री राम नारायण पाण्डेय,  
महेवा-न्यू कालोनी ( निकट न्यू ट्रांसपोर्ट नगर )  
पोस्ट-शिवपुरी कालोनी,  
गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **317** दिनांक **31.03.2004** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-4/4** से. **22** क्षे. **50.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>16779</b>	रु0 <b>369</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>16126</b>	रु0 <b>198</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>32905</b>	रु0 <b>567</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>4278</b>	रु0 <b>37</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>1650</b>	रु0 <b>10</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>5928</b>	रु0 <b>47</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>38833</b>	रु0 <b>614</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **165.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**



पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-4/31** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्रीमती अर्चना चन्द पत्नी श्री सौरभ प्रताप चन्द**  
**निवासी-पंडित हरिहर प्रसाद दूबे मार्ग, मकान संख्या-22सी,**  
**बेतियाहाता, गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **338** दिनांक **31.03.2004** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-4/31** से. **22** क्षे. **69.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>8677</b>	<b>108</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>15690</b>	<b>134</b>
<b>योग (अ)</b>	<b>रु0</b>	<b>24367</b>	<b>242</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>3168</b>	<b>16</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>2277</b>	<b>14</b>
<b>योग (ब)</b>	<b>रु0</b>	<b>5445</b>	<b>30</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	<b>रु0</b>	<b>29812</b>	<b>272</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **228.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-7/19** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री किशोर कुमार कालरा पुत्र स्व० रोशन लाल कालरा,**  
**रोशन फेट कैरियर्स,**  
**कानपुर-23**

आवंटन पत्र संख्या **325** दिनांक **31.03.2004** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-7/19** से. **22** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु०	<b>24365</b>	रु० <b>1173</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>39359</b>	रु० <b>633</b>
<b>योग (अ)</b>	रु०	<b>63724</b>	रु० <b>1806</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु०	<b>8284</b>	रु० <b>118</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>5346</b>	रु० <b>32</b>
<b>योग (ब)</b>	रु०	<b>13630</b>	रु० <b>150</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु०	<b>77354</b>	रु० <b>1956</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **535.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-2/21** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

श्री महेन्द्र प्रताप पाण्डेय पुत्र श्री उमाशंकर पाण्डेय,  
यू0 पी0 बलिया ट्रांसपोर्ट सर्विस,  
टी0 पी0 नगर,  
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **337** दिनांक **31.03.2004** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-2/21** से. **22** क्षे. **84.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-434	रु0
योग (अ)	रु0	-434	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2772	रु0
योग (ब)	रु0	2772	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	2338	रु0

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **277.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-4/62** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

श्री इन्द्रसेन सिंह पुत्र श्री शिवमूरत सिंह,  
निवासी-वार्ड संख्या-1,  
भरवटिया, बोंसगॉव,  
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **333** दिनांक **31.03.2004** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-4/62** से. **22** क्षे. **70.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>23483</b>	रु0 <b>514</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>22577</b>	रु0 <b>277</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>46060</b>	रु0 <b>791</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>5988</b>	रु0 <b>52</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>2310</b>	रु0 <b>14</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>8298</b>	रु0 <b>66</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>54358</b>	रु0 <b>857</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **231.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-8/14** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री ब्रजेश सिंह व श्रीमती प्रतिभा सिंह**  
**सेमरी खान कोट,**  
**सिद्धार्थ नगर।**

आवंटन पत्र संख्या **313** दिनांक **31.03.2004** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-8/14** से. **22** क्षे. **419.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>4837</b>	रु0 <b>51</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>38310</b>	रु0 <b>257</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>43147</b>	रु0 <b>308</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>5609</b>	रु0 <b>20</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>13827</b>	रु0 <b>84</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>19436</b>	रु0 <b>104</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>62583</b>	रु0 <b>412</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **1383.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-2/28** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री चन्द्रभान भारती पुत्र श्री राम रेखा,**  
**ग्राम व पोस्ट-तामेश्वरनाथ, वाया-खलीलाबाद,**  
**जनपद-सन्त कबीर नगर (बस्ती)**

आवंटन पत्र संख्या **314** दिनांक **31.03.2004** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-2/28** से. **22** क्षे. **55.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-19	रु0
<b>योग (अ)</b>	रु0	-19	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1815	रु0
<b>योग (ब)</b>	रु0	1815	रु0
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	1796	रु0


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **182.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-4/52** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

श्री मो० जावेद खॉन पुत्र मो० याकूब खॉन  
निवासी-17/एफ, जाफरा बाजार, बिन्द टोला, वार्ड नं. 37,  
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **306** दिनांक **28.03.2004** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-4/52** से. **22** क्षे. **50.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	रख-रखाव		लीज रेन्ट	
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु०	<b>0</b>	रु०	<b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>-88</b>	रु०	<b>-42</b>
योग (अ)	रु०	<b>-88</b>	रु०	<b>-42</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु०	<b>0</b>	रु०	<b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>1650</b>	रु०	<b>10</b>
योग (ब)	रु०	<b>1650</b>	रु०	<b>10</b>
महायोग (अ एवं ब)	रु०	<b>1562</b>	रु०	<b>-32</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **165.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-4/16** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

श्री क़दबुद्दीन अंसारी पुत्र श्री अब्दुल हसन,  
गोरखनाथ, इमामबाडा के पास,  
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **316** दिनांक **31.03.2004** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-4/16** से. **22** क्षे. **50.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>8711</b>	रु0 <b>369</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>12828</b>	रु0 <b>198</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>21539</b>	रु0 <b>567</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>2800</b>	रु0 <b>37</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>1650</b>	रु0 <b>10</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>4450</b>	रु0 <b>47</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>25989</b>	रु0 <b>614</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **165.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।



पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-4/53** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

श्री मो0 वसीम पुत्र श्री मो0 हासिम  
निवासी-560, चिलमापुर,  
बड़गों, जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **305** दिनांक **28.03.2004** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-4/53** से. **22** क्षे. **50.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	<u>रख-रखाव</u>		<u>लीज रेन्ट</u>	
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	111	रु0	-42
<b>योग (अ)</b>	रु0	111	रु0	-42

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	10	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1650	रु0	10
<b>योग (ब)</b>	रु0	1660	रु0	10
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	1771	रु0	-32

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **165.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-4/41** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री ओंकार सिंह पुत्र श्री जगदीश प्रसाद सिंह**  
**निवासी-मकान संख्या 546एल,**  
**बापू जूनियर स्कूल के पीछे, गंगा नगर, बशारतपुर,**  
**जिला-गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **344** दिनांक **31.03.2004** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-4/41** से. **22** क्षे. **50.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	<u>रख-रखाव</u>		<u>लीज रेन्ट</u>	
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-1245	रु0	-17
<b>योग (अ)</b>	रु0	-1245	रु0	-17

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1650	रु0	10
<b>योग (ब)</b>	रु0	1650	रु0	10
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	405	रु0	-7

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **165.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-4/13** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

श्री हरीश चन्द्र जायसवाल पुत्र श्री राम आसरे प्रसाद जायसवाल  
कूड़ाघाट,  
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **304** दिनांक **28.03.2004** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-4/13** से. **22** क्षे. **50.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>11005</b>	रु0 <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>13948</b>	रु0 <b>-267</b>
योग (अ)	रु0	<b>24953</b>	रु0 <b>-267</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>3244</b>	रु0 <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>1650</b>	रु0 <b>10</b>
योग (ब)	रु0	<b>4894</b>	रु0 <b>10</b>
महायोग (अ एवं ब)	रु0	<b>29847</b>	रु0 <b>-257</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **165.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-1/13** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री ओम प्रकाश आर्य पुत्र स्व० राम प्रताप आर्य,**  
**पाण्डेय बाजार, बस्ती,**  
**जिला-बस्ती।**

आवंटन पत्र संख्या **354** दिनांक **31.03.2004** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-1/13** से. **22** क्षे. **375.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु०	<b>0</b>	रु० <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>-1171</b>	रु० <b>-55</b>
<b>योग (अ)</b>	रु०	<b>-1171</b>	रु० <b>-55</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु०	<b>0</b>	रु० <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>12375</b>	रु० <b>75</b>
<b>योग (ब)</b>	रु०	<b>12375</b>	रु० <b>75</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु०	<b>11204</b>	रु० <b>20</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **1238.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-1/11** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्रीमती शशिलता सिंह पत्नी श्री ब्रजेश सिंह,**  
**निवासी-253, दिग्विजय नगर कालोनी, पोस्ट-गोरखनाथ,**  
**जिला-गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **350** दिनांक **31.03.2004** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-1/11** से. **22** क्षे. **136.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>19782</b>	रु0 <b>136</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>32641</b>	रु0 <b>214</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>52423</b>	रु0 <b>350</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>6815</b>	रु0 <b>23</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>4488</b>	रु0 <b>27</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>11303</b>	रु0 <b>50</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>63726</b>	रु0 <b>400</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **449.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-1/2** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

श्री ओंकार आर्य पुत्र स्व० राम प्रताप आर्य,  
पाण्डेय बाजार, बस्ती,  
जिला-बस्ती।

आवंटन पत्र संख्या **357** दिनांक **31.03.2004** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-1/2** से. **22** क्षे. **405.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	<u>रख-रखाव</u>		<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु०	<b>0</b>	रु० <b>8</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>-1255</b>	रु० <b>97</b>
<b>योग (अ)</b>	रु०	<b>-1255</b>	रु० <b>105</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु०	<b>0</b>	रु० <b>7</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>13365</b>	रु० <b>81</b>
<b>योग (ब)</b>	रु०	<b>13365</b>	रु० <b>88</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु०	<b>12110</b>	रु० <b>193</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **1337.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-1/1** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री अलख निरंजन आर्य पुत्र स्व० राम प्रताप आर्य**  
**पाण्डेय बाजार, मेहदावल रोड,**  
**जिला-बस्ती।**

आवंटन पत्र संख्या **355** दिनांक **31.03.2004** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-1/1** से. **22** क्षे. **405.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु०	<b>0</b>	रु० <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>-1228</b>	रु० <b>-101</b>
<b>योग (अ)</b>	रु०	<b>-1228</b>	रु० <b>-101</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु०	<b>0</b>	रु० <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>13365</b>	रु० <b>81</b>
<b>योग (ब)</b>	रु०	<b>13365</b>	रु० <b>81</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु०	<b>12137</b>	रु० <b>-20</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **1337.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-1/4** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

श्री रामनयन नागर पुत्र श्री सदरी प्रसाद,  
ग्राम-टिकरिया, पोस्ट-मिनवा सहजनवाँ,  
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **340** दिनांक **31.03.2004** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-1/4** से. **22** क्षे. **180.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4646	रु0
<b>योग (अ)</b>	रु0	4646	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	483	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5940	रु0
<b>योग (ब)</b>	रु0	6423	रु0
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	11069	रु0


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **594.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।



पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-8/7** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

श्री अमरजीत दूबे पुत्र स्व० महेन्द्र प्रताप दूबे,  
पाण्डेय हाता, थाना-राजघाट,  
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **342** दिनांक **31.03.2004** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-8/7** से. **22** क्षे. **420.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु०	<b>10339</b>	रु० <b>55</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>51382</b>	रु० <b>262</b>
<b>योग (अ)</b>	रु०	<b>61721</b>	रु० <b>317</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु०	<b>8024</b>	रु० <b>21</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>13860</b>	रु० <b>84</b>
<b>योग (ब)</b>	रु०	<b>21884</b>	रु० <b>105</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु०	<b>83605</b>	रु० <b>422</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **1386.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-1/10** / से. **23** / 2023-24 दिनांक

**श्री महेश कुमार पुत्र श्री गंगा प्रसाद,**  
**द्वारा-श्री सजन लाल पटवा, हासपुर,**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **307** दिनांक **28.03.2004** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-1/10** से. **23** क्षे. **152.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>0</b>	रु0 <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>185</b>	रु0 <b>-40</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>185</b>	रु0 <b>-40</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>13</b>	रु0 <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>5016</b>	रु0 <b>30</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>5029</b>	रु0 <b>30</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>5214</b>	रु0 <b>-10</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **502.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-8/6** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

श्री चेतन कत्याल पुत्र श्री सुभाष चन्द्र कत्याल  
न्यू मलिक ट्रांसपोर्ट कं० (रजि०)  
जनता कोल्ड स्टोरेज,  
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **309** दिनांक **31.03.2004** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-8/6** से. **22** क्षे. **450.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु०	<b>75440</b>	रु० <b>3293</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>113809</b>	रु० <b>1778</b>
<b>योग (अ)</b>	रु०	<b>189249</b>	रु० <b>5071</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु०	<b>24602</b>	रु० <b>332</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>14850</b>	रु० <b>90</b>
<b>योग (ब)</b>	रु०	<b>39452</b>	रु० <b>422</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु०	<b>228701</b>	रु० <b>5493</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **1485.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-2/29** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री गिरिजा शंकर शुक्ल पुत्र स्व० भवानी प्रसाद शुक्ल**  
**जवाहर चक, नौसड़,**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **173** दिनांक **24.01.2003** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-2/29** से. **22** क्षे. **55.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु०	<b>9324</b>	रु० <b>453</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>13966</b>	रु० <b>230</b>
<b>योग (अ)</b>	रु०	<b>23290</b>	रु० <b>683</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु०	<b>3028</b>	रु० <b>45</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>1815</b>	रु० <b>11</b>
<b>योग (ब)</b>	रु०	<b>4843</b>	रु० <b>56</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु०	<b>28133</b>	रु० <b>739</b>

**नोट:- रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **182.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-3/32** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

श्री अनिल कुमार गुप्ता पुत्र स्व० शिव कुमार गुप्ता  
धर्मशाला बाजार, दक्षिणी जटेपुर, गोरखनाथ,  
रोड़ , मकान नम्बर 149/ए,  
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **174** दिनांक **24.01.2003** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-3/32** से. **22** क्षे. **55.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु०	<b>19750</b>	<b>रु० 453</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>18129</b>	<b>रु० 230</b>
योग (अ)	रु०	<b>37879</b>	<b>रु० 683</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु०	<b>4924</b>	<b>रु० 45</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>1815</b>	<b>रु० 11</b>
योग (ब)	रु०	<b>6739</b>	<b>रु० 56</b>
महायोग (अ एवं ब)	रु०	<b>44618</b>	<b>रु० 739</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **182.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-8/16** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री अरुण कुमार गुप्ता पुत्र श्री राम निवास गुप्ता,**  
**फ्लार्इंग गोल्डेन कैरियर ( रजि0 ) 64-65,**  
**नेहरु हाउसिंग सोसाइटी, अम्बेडकर रोड,**  
**गाजियाबाद ।**

आवंटन पत्र संख्या **308** दिनांक **31.03.2004** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-8/16** से. **22** क्षे. **449.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-601	रु0
<b>योग (अ)</b>	रु0	-601	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	14817	रु0
<b>योग (ब)</b>	रु0	14817	रु0
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	14216	रु0

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **1482.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-8/18** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**मैसर्स गीता एण्ड शम्भू ट्रांसपोर्ट**  
**द्वारा श्रीमती गीता गिरि एवं श्री राकेश कुमार गिरि,**  
**ग्राम-मकरहट, पोस्ट-पाली,**  
**जिला-गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **310** दिनांक **31.03.2004** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-8/18** से. **22** क्षे. **449.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-1305	रु0
<b>योग (अ)</b>	रु0	-1305	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	14817	रु0
<b>योग (ब)</b>	रु0	14817	रु0
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	13512	रु0

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **1482.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-5/36** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री रामशंकर गुप्त पुत्र श्री राम लोचन राम,**  
**द्वारा-गुप्ता एजेन्सी, धर्मशाला बाजार,**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **331** दिनांक **31.03.2004** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-5/36** से. **22** क्षे. **205.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>68772</b>	रु0 <b>1499</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>66118</b>	रु0 <b>810</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>134890</b>	रु0 <b>2309</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>17536</b>	रु0 <b>151</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>6765</b>	रु0 <b>41</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>24301</b>	रु0 <b>192</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>159191</b>	रु0 <b>2501</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **677.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**



पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-5/1** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

श्री सुबाष चन्द्र जायसवाल पुत्र श्री राम आसरे प्रसाद जायसवाल,  
कूडाघाट,  
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **323** दिनांक **31.03.2004** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-5/1** से. **22** क्षे. **204.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>53516</b>	रु0 <b>1499</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>62295</b>	रु0 <b>810</b>
योग (अ)	रु0	<b>115811</b>	रु0 <b>2309</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>15055</b>	रु0 <b>151</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>6732</b>	रु0 <b>41</b>
योग (ब)	रु0	<b>21787</b>	रु0 <b>192</b>
महायोग (अ एवं ब)	रु0	<b>137598</b>	रु0 <b>2501</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **673.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-4/10** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री ज्ञान प्रकाश प्रजापति पुत्र स्व० जैकी प्रसाद प्रजापति**  
**ट्रांसपोर्ट नगर,**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **282** दिनांक **28.02.2003** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-4/10** से. **22** क्षे. **145.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु०	<b>0</b>	रु० <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>-6</b>	रु० <b>-2</b>
<b>योग (अ)</b>	रु०	<b>-6</b>	रु० <b>-2</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु०	<b>0</b>	रु० <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>4785</b>	रु० <b>29</b>
<b>योग (ब)</b>	रु०	<b>4785</b>	रु० <b>29</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु०	<b>4779</b>	रु० <b>27</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **479.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-3/31** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री गयानन्द पुत्र श्री हीरालाल**  
**द्वारा पूजा ट्रांसपोर्ट एजेन्सी,**  
**टी0 पी0 नगर,**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **175** दिनांक **24.01.2003** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-3/31** से. **22** क्षे. **55.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>17007</b>	रु0 <b>453</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>17281</b>	रु0 <b>230</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>34288</b>	रु0 <b>683</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>4457</b>	रु0 <b>45</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>1815</b>	रु0 <b>11</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>6272</b>	रु0 <b>56</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>40560</b>	रु0 <b>739</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **182.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-3/25** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

श्री रामसेवक सिंह पुत्र स्व० सत्य नारायण सिंह,  
निवासी-एल०आई०जी०-8, शास्त्री नगर, गोरखनाथ,  
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **176** दिनांक **24.01.2003** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-3/25** से. **22** क्षे. **55.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु०	<b>19750</b>	<b>रु० 453</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>18129</b>	<b>रु० 230</b>
योग (अ)	रु०	<b>37879</b>	<b>रु० 683</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु०	<b>4924</b>	<b>रु० 45</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>1815</b>	<b>रु० 11</b>
योग (ब)	रु०	<b>6739</b>	<b>रु० 56</b>
महायोग (अ एवं ब)	रु०	<b>44618</b>	<b>रु० 739</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **182.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-2/22** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

श्री जितेन्द्र प्रताप पाण्डेय पुत्र श्री उमाशंकर पाण्डेय,  
महई सुधरपुर, बड़गो ( दूर्गा चौक ),  
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **177** दिनांक **24.01.2003** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-2/22** से. **22** क्षे. **55.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>6765</b>	रु0 <b>77</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>12396</b>	रु0 <b>100</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>19161</b>	रु0 <b>177</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>2491</b>	रु0 <b>12</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>1815</b>	रु0 <b>11</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>4306</b>	रु0 <b>23</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>23467</b>	रु0 <b>200</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **182.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-3/22** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री ब्रह्मदेव गुप्ता पुत्र स्व० रामसेवक गुप्ता,**  
**निवासी-मूहल्ला-टेकवार चौराहा,**  
**उनवल बाजार, जिला-गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **182** दिनांक **24.01.2003** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-3/22** से. **22** क्षे. **55.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु०	<b>19750</b>	रु० <b>453</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>18129</b>	रु० <b>230</b>
<b>योग (अ)</b>	रु०	<b>37879</b>	रु० <b>683</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु०	<b>4924</b>	रु० <b>45</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>1815</b>	रु० <b>11</b>
<b>योग (ब)</b>	रु०	<b>6739</b>	रु० <b>56</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु०	<b>44618</b>	रु० <b>739</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **182.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-2/30** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्रीमती सुनीता सिंह पत्नी श्री राजेश कुमार सिंह**  
**निवासी-ग्राम-पिपरा,**  
**सहजनवाँ,**  
**जिला-गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **300** दिनांक **24.01.2003** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-2/30** से. **22** क्षे. **55.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>19751</b>	रु0 <b>453</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>18129</b>	रु0 <b>230</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>37880</b>	रु0 <b>683</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>4924</b>	रु0 <b>45</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>1815</b>	रु0 <b>11</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>6739</b>	रु0 <b>56</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>44619</b>	रु0 <b>739</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **182.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-4/58** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स पाल ट्रांसपोर्ट द्वारा श्रीमती मालती देवी पत्नी श्री अवधेश पाल  
श्रीमती शनिचरा पत्नी श्री कन्हैयालाल पार्टनर एवं श्रीमती उषा पत्नी श्री  
निवासी-ग्राम-नगवां, पोस्ट-जैतपुर,  
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **228** दिनांक **26.02.2003** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना  
के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-4/58** से. **22** क्षे. **50.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव  
शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	<u>रख-रखाव</u>		<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	0	रु0
<b>योग (अ)</b>	रु0	0	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1650	रु0
<b>योग (ब)</b>	रु0	1650	रु0
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	1650	रु0


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **165.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।



पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-3/33** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

श्री जय प्रकाश प्रजापति पुत्र श्री ज्ञान प्रकाश प्रजापति  
ट्रांसपोर्ट नगर डी-19,  
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **181** दिनांक **24.01.2003** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-3/33** से. **22** क्षे. **55.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	<u>रख-रखाव</u>		<u>लीज रेन्ट</u>	
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-19	रु0	-193
<b>योग (अ)</b>	रु0	-19	रु0	-193

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1815	रु0	11
<b>योग (ब)</b>	रु0	1815	रु0	11
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	1796	रु0	-182

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **182.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-5/28** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री दिवाकर सिंह पुत्र श्री रामदेव सिंह,**  
**महेवा ट्रांसपोर्ट नगर,**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **278** दिनांक **28.02.2003** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-5/28** से. **22** क्षे. **144.50** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>51615</b>	रु0 <b>1185</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>47547</b>	रु0 <b>604</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>99162</b>	रु0 <b>1789</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>12891</b>	रु0 <b>117</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>4769</b>	रु0 <b>29</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>17660</b>	रु0 <b>146</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>116822</b>	रु0 <b>1935</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **477.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-4/45** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

श्री गोपाल स्वरूप पाठक पुत्र श्री राम रेखा पाठक,  
दक्षिणी-110, जय भारत ट्रांसपोर्ट कम्पनी,  
ट्रांसपोर्ट नगर,  
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **248** दिनांक **26.02.2003** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-4/45** से. **22** क्षे. **50.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव		लीज रेन्ट	
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>195</b>	रु0	<b>7</b>	
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>2974</b>	रु0	<b>21</b>	
योग (अ)	रु0	<b>3169</b>	रु0	<b>28</b>	

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>412</b>	रु0	<b>2</b>	
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>1650</b>	रु0	<b>10</b>	
योग (ब)	रु0	<b>2062</b>	रु0	<b>12</b>	
महायोग (अ एवं ब)	रु0	<b>5231</b>	रु0	<b>40</b>	


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **165.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-5/30** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री दीप चन्द सिंह पुत्र स्व० कैलाश सिंह**  
**सरला भवन, तूकमानपुर,**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **286** दिनांक **28.02.2003** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-5/30** से. **22** क्षे. **144.50** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	<u>रख-रखाव</u>		<u>लीज रेन्ट</u>	
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु०	<b>0</b>	रु०	<b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>-8</b>	रु०	<b>-71</b>
<b>योग (अ)</b>	रु०	<b>-8</b>	रु०	<b>-71</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु०	<b>0</b>	रु०	<b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>4769</b>	रु०	<b>29</b>
<b>योग (ब)</b>	रु०	<b>4769</b>	रु०	<b>29</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु०	<b>4762</b>	रु०	<b>-42</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **477.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-5/23** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स यादव ट्रांसपोर्ट (साझेदारी फर्म)

द्वारा श्री सुनील कुमार यादव एवं श्री अनिल कुमार यादव पुत्रगण श्री

निवासी-ग्राम-भप्सा, पोस्ट-सहजनवाँ,

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **276** दिनांक **28.02.2003** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-5/23** से. **22** क्षे. **144.50** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	7356	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	23404	रु0
योग (अ)	रु0	30760	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	3999	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4769	रु0
योग (ब)	रु0	8768	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	39528	रु0


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **477.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-4/8** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री अशोक कुमार गुप्ता पुत्र श्री ओम प्रकाश गुप्ता,  
गुप्ता आटोमोबाइल्स, जटाशंकर,  
नियर रामलीला मैदान,  
गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **192** दिनांक **03.02.2003** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-4/8** से. **22** क्षे. **50.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>8404</b>	<b>411</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>12656</b>	<b>209</b>
<b>योग (अ)</b>	<b>रु0</b>	<b>21060</b>	<b>620</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>2738</b>	<b>41</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>1650</b>	<b>10</b>
<b>योग (ब)</b>	<b>रु0</b>	<b>4388</b>	<b>51</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	<b>रु0</b>	<b>25448</b>	<b>671</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **165.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-4/15** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्रीमती अनिता सिंह पत्नी श्री सुरेन्द्र नाथ सिंह**  
**निवासी-हाउस नं.-97/डी, टीचर कालोनी,**  
**झरना टोला, खोराबार उर्फ सूबाबाजार,**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **208** दिनांक **03.02.2003** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-4/15** से. **22** क्षे. **50.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-475	रु0
<b>योग (अ)</b>	रु0	-475	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1650	रु0
<b>योग (ब)</b>	रु0	1650	रु0
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	1175	रु0


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **165.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. B-5/21 / से. 22 / 2023-24 दिनांक

श्रीमती दुर्गावती देवी पत्नी श्री नेबू लाल गुप्ता  
शास्त्री नगर, मकान नम्बर-इ0 डब्ल्यू0 एस0-617,  
गोरखनाथ,  
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या 285 दिनांक 28.02.2003 के माध्यम से गीडा की ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. B-5/21 से. 22 क्षे. 144.50 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	21409	रु0 190
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	34925	रु0 259
योग (अ)	रु0	56334	रु0 449

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	7323	रु0 29
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4769	रु0 29
योग (ब)	रु0	12092	रु0 58
महायोग (अ एवं ब)	रु0	68426	रु0 507


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 477.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।



पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-4/40** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

श्री मनोज कुमार पाण्डेय पुत्र श्री राजदेव पाण्डेय,  
शिव सदन नियर ट्रेस्ट बैंक,  
मोहददीपुर,  
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **239** दिनांक **26.02.2003** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-4/40** से. **22** क्षे. **50.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	रख-रखाव		लीज रेन्ट	
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	0	रु0	3
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3649	रु0	96
योग (अ)	रु0	3649	रु0	99

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	368	रु0	6
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1650	रु0	10
योग (ब)	रु0	2018	रु0	16
महायोग (अ एवं ब)	रु0	5667	रु0	115


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **165.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-4/2** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

श्री गिरिश चन्द यादव पुत्र श्री ईश्वरीय यादव  
ग्राम-बेलवाडाडी,  
पोस्ट-गाडर (खजनी)  
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **193** दिनांक **03.02.2003** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-4/2** से. **22** क्षे. **50.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>131</b>	रु0 <b>7</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>2586</b>	रु0 <b>30</b>
योग (अ)	रु0	<b>2717</b>	रु0 <b>37</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>353</b>	रु0 <b>2</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>1650</b>	रु0 <b>10</b>
योग (ब)	रु0	<b>2003</b>	रु0 <b>12</b>
महायोग (अ एवं ब)	रु0	<b>4720</b>	रु0 <b>49</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **165.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-4/10** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

श्री अजय कुमार पाण्डेय पुत्र श्री जटा शंकर पाण्डेय,  
पथरा न्यू कालोनी रानीबाग,  
पोस्ट-बड़गो,  
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **199** दिनांक **03.02.2003** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-4/10** से. **22** क्षे. **50.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>6144</b>	रु0 <b>69</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>11267</b>	रु0 <b>93</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>17411</b>	रु0 <b>162</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>2263</b>	रु0 <b>11</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>1650</b>	रु0 <b>10</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>3913</b>	रु0 <b>21</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>21324</b>	रु0 <b>183</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **165.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-4/59** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री देवेश राय पुत्र स्व० पौहारीशरण**  
**निवासी-135/यू, मानसपुरम, आजाद चौक,**  
**हनुमान मंदिर, रुस्तमपुर, बडगो,**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **223** दिनांक **26.02.2003** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-4/59** से. **22** क्षे. **50.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु०	<b>140</b>	रु० <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>2662</b>	रु० <b>-45</b>
<b>योग (अ)</b>	रु०	<b>2802</b>	रु० <b>-45</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु०	<b>364</b>	रु० <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>1650</b>	रु० <b>10</b>
<b>योग (ब)</b>	रु०	<b>2014</b>	रु० <b>10</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु०	<b>4816</b>	रु० <b>-35</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **165.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-1/12C** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री विनोद कुमार त्रिपाठी पुत्र स्व० शैले, I कुमार त्रिपाठी,**  
**पूर्विलपुर, सी/123/303, केवटहिया टोला,**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **250** दिनांक **26.02.2003** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-1/12C** से. **22** क्षे. **136.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु०	<b>0</b>	रु० <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>-228</b>	रु० <b>-84</b>
<b>योग (अ)</b>	रु०	<b>-228</b>	रु० <b>-84</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु०	<b>0</b>	रु० <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>4488</b>	रु० <b>27</b>
<b>योग (ब)</b>	रु०	<b>4488</b>	रु० <b>27</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु०	<b>4260</b>	रु० <b>-57</b>

**नोट:- रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **449.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-4/35** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री रविन्द्र पुत्र श्री शिवपूजन गुप्ता,**  
**द्वारा-पूजा ट्रांसपोर्ट एजेन्सी,**  
**टी0 नी0 गनर,**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **226** दिनांक **26.02.2003** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-4/35** से. **22** क्षे. **50.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>111</b>	रु0 <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>2419</b>	रु0 <b>-84</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>2530</b>	रु0 <b>-84</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>329</b>	रु0 <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>1650</b>	रु0 <b>10</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>1979</b>	रु0 <b>10</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>4509</b>	रु0 <b>-74</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **165.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-4/27** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

श्री भागवत भारती पुत्र स्व० रामेश्वर भारती,  
निवासी-ग्राम व पोस्ट-कोपिया,  
तहसील-खलीलाबाद,  
जिला-संत कबीर नगर।

आवंटन पत्र संख्या **219** दिनांक **07.02.2003** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-4/27** से. **22** क्षे. **50.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु०	<b>0</b>	रु० <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>135</b>	रु० <b>-114</b>
<b>योग (अ)</b>	रु०	<b>135</b>	रु० <b>-114</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु०	<b>12</b>	रु० <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>1650</b>	रु० <b>10</b>
<b>योग (ब)</b>	रु०	<b>1662</b>	रु० <b>10</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु०	<b>1797</b>	रु० <b>-104</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **165.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-5/10** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्रीमती मीरा पाण्डेय पत्नी श्री रमेश कुमार पाण्डेय**  
**निवासी-एम0आई0जी0-291, आवास विकास कालोनी, महादेव**  
**वार्ड नं.-48, खोराबार उर्फ सूबाबाजार,**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **272** दिनांक **28.02.2003** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-5/10** से. **22** क्षे. **144.50** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	<u>रख-रखाव</u>		<u>लीज रेन्ट</u>	
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>54</b>	रु0	<b>1</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>3762</b>	रु0	<b>12</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>3816</b>	रु0	<b>13</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>496</b>	रु0	<b>2</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>4769</b>	रु0	<b>29</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>5265</b>	रु0	<b>31</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>9081</b>	रु0	<b>44</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **477.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।



पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-4/25** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

श्रीमती मोनिका साव पत्नी श्री राजीव साव,  
द्वारा-जैसवाल पेट्रोलियम, रामकोला रोड़,  
पड़रौना,

आवंटन पत्र संख्या **215** दिनांक **03.02.2003** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-4/25** से. **22** क्षे. **50.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	535	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4160	रु0
<b>योग (अ)</b>	रु0	4695	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	610	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1650	रु0
<b>योग (ब)</b>	रु0	2260	रु0
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	6955	रु0


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **165.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-5/3** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री दिग्नारायण पुत्र श्री अखिलेश यादव**  
**ग्राम-मुहम्मदपुर ( माफी ),**  
**पोस्ट-जगत बेला,**  
**जिला-गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **499** दिनांक **31.03.2006** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-5/3** से. **22** क्षे. **144.50** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	57	रु0
<b>योग (अ)</b>	रु0	57	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	5	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4769	रु0
<b>योग (ब)</b>	रु0	4774	रु0
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	4831	रु0


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **477.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-4/5** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्रीमती विना देवी अग्रहरी पत्नी श्री दीप प्रकाश अग्रहरी,**  
**न्यू अग्रहरी ट्रांसपोर्ट नगर,**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **214** दिनांक **03.02.2003** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-4/5** से. **22** क्षे. **50.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>221</b>	रु0 <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>1350</b>	रु0 <b>-10</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>1571</b>	रु0 <b>-10</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>204</b>	रु0 <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>1650</b>	रु0 <b>10</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>1854</b>	रु0 <b>10</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>3425</b>	रु0 <b>0</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **165.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-4/11** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

श्री विनोद कुमार सिंह पुत्र श्री जोखन प्रसाद सिंह  
सिंह ट्रांसपोर्ट कम्पनी डी-68,  
टी0 पी0 नगर,  
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **205** दिनांक **03.02.2003** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-4/11** से. **22** क्षे. **50.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>127</b>	रु0 <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>2555</b>	रु0 <b>-50</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>2682</b>	रु0 <b>-50</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>349</b>	रु0 <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>1650</b>	रु0 <b>10</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>1999</b>	रु0 <b>10</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>4681</b>	रु0 <b>-40</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **165.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-4/38** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री नदीम अहमद खान पुत्र स्व० अलाउद्दीन अहमद**  
**मुहल्ला-सूफीहाता, थाना-तिवारीपुर,**  
**जिला-गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **244** दिनांक **26.02.2003** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-4/38** से. **22** क्षे. **50.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु०	<b>0</b>	रु० <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>1541</b>	रु० <b>29</b>
<b>योग (अ)</b>	रु०	<b>1541</b>	रु० <b>29</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु०	<b>122</b>	रु० <b>2</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>1650</b>	रु० <b>10</b>
<b>योग (ब)</b>	रु०	<b>1772</b>	रु० <b>12</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु०	<b>3313</b>	रु० <b>41</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **165.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-4/19** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

श्री अजीत कुमार सिंह पुत्र श्री नारद मूनि सिंह  
द्वारा श्री क्वैर सिंह, 10 पार्क रोड,  
सिविल लाइन्स, नियर आँख अस्पताल,  
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **209** दिनांक **03.02.2003** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-4/19** से. **22** क्षे. **50.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>		<u>लीज रेन्ट</u>	
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>17926</b>	रु0	<b>411</b>	
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>16473</b>	रु0	<b>209</b>	
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>34399</b>	रु0	<b>620</b>	

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>4472</b>	रु0	<b>41</b>	
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>1650</b>	रु0	<b>10</b>	
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>6122</b>	रु0	<b>51</b>	
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>40521</b>	रु0	<b>671</b>	


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **165.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-4/47** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

श्री रुपेश कुमार मधेशिया पुत्र श्री देवी लाल मधेशिया,  
निवासी-ग्राम व पोस्ट-भौवापार,  
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **224** दिनांक **26.02.2003** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-4/47** से. **22** क्षे. **50.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	746	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4491	रु0
योग (अ)	रु0	5237	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	681	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1650	रु0
योग (ब)	रु0	2331	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	7568	रु0

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **165.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-2/23** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी श्री राम अवतार,  
एल0 आई0 जी0-29, राप्ती नगर कालोनी,  
फेज नं0-1, पोस्ट-आरोग्य मंदिर,  
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **233** दिनांक **26.02.2003** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-2/23** से. **22** क्षे. **55.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	<u>रख-रखाव</u>		<u>लीज रेन्ट</u>	
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>0</b>	रु0	<b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>3657</b>	रु0	<b>62</b>
योग (अ)	रु0	<b>3657</b>	रु0	<b>62</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>121</b>	रु0	<b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>1815</b>	रु0	<b>11</b>
योग (ब)	रु0	<b>1936</b>	रु0	<b>11</b>
महायोग (अ एवं ब)	रु0	<b>5593</b>	रु0	<b>73</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **182.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।



पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-5/13** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री इनामुल्लाह पुत्र स्व० हाफीज हमीदुल्लाह,  
शाह मारुफ ( हमीद मंजील )  
गोरखपुर ।**

आवंटन पत्र संख्या **259** दिनांक **28.02.2003** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-5/13** से. **22** क्षे. **144.50** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु०	<b>51615</b>	रु० <b>1185</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>47547</b>	रु० <b>604</b>
<b>योग (अ)</b>	रु०	<b>99162</b>	रु० <b>1789</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु०	<b>12891</b>	रु० <b>117</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>4769</b>	रु० <b>29</b>
<b>योग (ब)</b>	रु०	<b>17660</b>	रु० <b>146</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु०	<b>116822</b>	रु० <b>1935</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **477.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-4/36** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

श्री उदयभान मल्ल पुत्र श्री रविन्द्र प्रताप मल्ल,  
मल्ल आटोमोबाइल्स, डी-21,  
टी0 पी0 नगर,  
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **230** दिनांक **26.02.2003** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-4/36** से. **22** क्षे. **50.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>17875</b>	रु0 <b>408</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>16454</b>	रु0 <b>208</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>34329</b>	रु0 <b>616</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>4463</b>	रु0 <b>40</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>1650</b>	रु0 <b>10</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>6113</b>	रु0 <b>50</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>40442</b>	रु0 <b>666</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **165.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-4/55** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्रीमती गिरिजा सिंह पत्नी श्री बाल मुकुन्द सिंह,**  
**ए-14, एस0 पी0 बैट्री के सामने,**  
**ट्रांसपोर्ट नगर,**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **238** दिनांक **26.02.2003** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-4/55** से. **22** क्षे. **50.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>750</b>	<b>रु0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>4500</b>	<b>रु0</b>
<b>योग (अ)</b>	<b>रु0</b>	<b>5250</b>	<b>रु0</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>683</b>	<b>रु0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>1650</b>	<b>रु0</b>
<b>योग (ब)</b>	<b>रु0</b>	<b>2333</b>	<b>रु0</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	<b>रु0</b>	<b>7583</b>	<b>रु0</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **165.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-4/56** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

श्रीमती प्रष्पा देवी पत्नी श्री वशिष्ठ यादव,  
मुहल्ला-सरस्वतीपुरम ( पी0 ए0 सी0 ),  
गोरखपुर ।

आवंटन पत्र संख्या **235** दिनांक **26.02.2003** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-4/56** से. **22** क्षे. **50.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>17875</b>	रु0 <b>408</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>16454</b>	रु0 <b>208</b>
योग (अ)	रु0	<b>34329</b>	रु0 <b>616</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>4463</b>	रु0 <b>40</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>1650</b>	रु0 <b>10</b>
योग (ब)	रु0	<b>6113</b>	रु0 <b>50</b>
महायोग (अ एवं ब)	रु0	<b>40442</b>	रु0 <b>666</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **165.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-4/30** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

श्री अनिल कुमार पाण्डेय एवं श्री अजय कुमार पाण्डेय पुत्र स्व० रघुनाथ  
निवासी-ग्राम-नाउरदेउर, पोस्ट-डवरपार,  
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **216** दिनांक **07.02.2003** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना  
के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-4/30** से. **22** क्षे. **50.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव  
शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु०	<b>17923</b>	<b>रु० 411</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>16470</b>	<b>रु० 209</b>
योग (अ)	रु०	<b>34393</b>	<b>रु० 620</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु०	<b>4471</b>	<b>रु० 41</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>1650</b>	<b>रु० 10</b>
योग (ब)	रु०	<b>6121</b>	<b>रु० 51</b>
महायोग (अ एवं ब)	रु०	<b>40514</b>	<b>रु० 671</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **165.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-4/39** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री ऋषिकेश सिंह पुत्र श्री गणेश सिंह**  
**निवासी-उसका पिपरौली खूद,**  
**गोरखपुर, उ० प्र० 273212**

आवंटन पत्र संख्या **225** दिनांक **26.02.2003** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-4/39** से. **22** क्षे. **50.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु०	<b>0</b>	रु० <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>-189</b>	रु० <b>-34</b>
<b>योग (अ)</b>	रु०	<b>-189</b>	रु० <b>-34</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु०	<b>0</b>	रु० <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>1650</b>	रु० <b>10</b>
<b>योग (ब)</b>	रु०	<b>1650</b>	रु० <b>10</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु०	<b>1461</b>	रु० <b>-24</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **165.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-5/12** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्रीमती रुबी पत्नी श्री इरफान हमीद,  
हमीद मंजिल, मोहल्ला-शाह मारुफ,  
गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **284** दिनांक **28.02.2003** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-5/12** से. **22** क्षे. **144.50** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>51615</b>	रु0 <b>247</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>47547</b>	रु0 <b>293</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>99162</b>	रु0 <b>540</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>12891</b>	रु0 <b>35</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>4769</b>	रु0 <b>29</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>17660</b>	रु0 <b>64</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>116822</b>	रु0 <b>604</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **477.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-4/21** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्रीमती स्नेहलता पत्नी श्री महेन्द्र**  
**ग्राम-डूगचुइयाँ, पोस्ट-पाली,**  
**जिला-गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **213** दिनांक **03.02.2003** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-4/21** से. **22** क्षे. **50.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>529</b>	रु0 <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>2826</b>	रु0 <b>-32</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>3355</b>	रु0 <b>-32</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>436</b>	रु0 <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>1650</b>	रु0 <b>10</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>2086</b>	रु0 <b>10</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>5441</b>	रु0 <b>-22</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **165.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**



पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-5/16** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री हरविन्दर सिंह पुत्र श्री जोरा सिंह**  
**निवासी-नाहर सिंह, पंजाबी ढाबा, एन0एच0-28,**  
**चकिया, भीटी रावत,**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **635** दिनांक **11.02.2011** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-5/16** से. **22** क्षे. **148.75** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>29</b>	रु0 <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>3994</b>	रु0 <b>-130</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>4023</b>	रु0 <b>-130</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>523</b>	रु0 <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>4909</b>	रु0 <b>30</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>5432</b>	रु0 <b>30</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>9455</b>	रु0 <b>-100</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **491.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-1/15** / से. **23** / 2023-24 दिनांक

**श्री आनन्द प्रकाश सिंह पुत्र श्री रामदरश सिंह,**  
**ग्राम-देवापार, डुगड़ईया, पोस्ट-पाली,**  
**तहसील-सहजनवाँ,**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **362** दिनांक **09.02.2005** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-1/15** से. **23** क्षे. **143.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>519</b>	रु0 <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>8582</b>	रु0 <b>-310</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>9101</b>	रु0 <b>-310</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>1183</b>	रु0 <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>4719</b>	रु0 <b>29</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>5902</b>	रु0 <b>29</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>15003</b>	रु0 <b>-281</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **472.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-1/17** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्रीमती शैलेश गिरि पुत्र श्री पारसनाथ गिरि**  
**ग्राम-मकरहट, पो0-पाली**  
**तहसील-सहजनवाँ,**  
**जिला-गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **360** दिनांक **09.02.2005** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-1/17** से. **22** क्षे. **150.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-875	रु0
<b>योग (अ)</b>	रु0	-875	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4950	रु0
<b>योग (ब)</b>	रु0	4950	रु0
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	4075	रु0

**नोट:- रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **495.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-6/9** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

श्री अशोक कुमार अग्रवाल पुत्र श्री छोटे लाल अग्रवाल  
निवासी-मकान संख्या-801ए, दिलेजाकपुर (दक्षिणी),  
सुमेर सागर किरोडी मल का हाता,  
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **364** दिनांक **09.02.2005** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना  
के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-6/9** से. **22** क्षे. **399.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव  
शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	रख-रखाव		लीज रेन्ट	
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	0	रु0	2
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1224	रु0	38
योग (अ)	रु0	1224	रु0	40

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	109	रु0	3
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	13167	रु0	80
योग (ब)	रु0	13276	रु0	83
महायोग (अ एवं ब)	रु0	14500	रु0	123


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **1317.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-5/25** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्रीमती फातिमा बंगम पत्नी श्री बदरुद्दीन अंसारी,**  
**ग्राम-उचेर, पोस्ट-गिरधरपुर,**  
**तहसील-बोंसगाँव,**  
**जिला-गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **390** दिनांक **05.03.2005** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-5/25** से. **22** क्षे. **144.50** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>35429</b>	रु0 <b>955</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>41881</b>	रु0 <b>546</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>77310</b>	रु0 <b>1501</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>10050</b>	रु0 <b>98</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>4769</b>	रु0 <b>29</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>14819</b>	रु0 <b>127</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>92129</b>	रु0 <b>1628</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **477.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-3/17** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

श्री अनिल कुमार सिंह पुत्र श्री हरि प्रसाद सिंह,  
ग्राम-पिपरा सहजनवाँ, पोस्ट-सहजनवाँ,  
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **366** दिनांक **09.02.2005** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-3/17** से. **22** क्षे. **136.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>22440</b>	रु0 <b>44</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>34195</b>	रु0 <b>128</b>
योग (अ)	रु0	<b>56635</b>	रु0 <b>172</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>7363</b>	रु0 <b>11</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>4488</b>	रु0 <b>27</b>
योग (ब)	रु0	<b>11851</b>	रु0 <b>38</b>
महायोग (अ एवं ब)	रु0	<b>68486</b>	रु0 <b>210</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **449.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-6/1B** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

श्री सत्येन्द्र कुमार पुत्र श्री अच्छे लाल गुप्ता  
निवासी-मकान संख्या-11,  
पकड़ी, दामोदर, भटौली,  
गोरखपुर, उ0 प्र0-273406

आवंटन पत्र संख्या **393** दिनांक **11.03.2005** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-6/1B** से. **22** क्षे. **200.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-1179	रु0
योग (अ)	रु0	-1179	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	6600	रु0
योग (ब)	रु0	6600	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	5421	रु0

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **660.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-5/13** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

श्री दिनेश कुमार सिंह पुत्र श्री केशव सिंह,  
आई0 एस0 आई0 ट्रांसपोर्ट कम्पनी, महेवा चौक,  
टी0 पी0 नगर,  
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **370** दिनांक **09.02.2005** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-5/13** से. **22** क्षे. **50.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	643	रु0
योग (अ)	रु0	643	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	84	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1650	रु0
योग (ब)	रु0	1734	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	2377	रु0


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **165.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।



पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-5/4** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

श्री राम प्यारे यादव पुत्र स्व० हरदेव यादव  
निवासी-ग्राम-छितौनी, पोस्ट-रसड़ा,  
जिला-बलिया,  
उ० प्र०

आवंटन पत्र संख्या **261** दिनांक **28.02.2003** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-5/4** से. **22** क्षे. **144.50** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	<u>रख-रखाव</u>		<u>लीज रेन्ट</u>	
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु०	<b>0</b>	रु०	<b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>-266</b>	रु०	<b>-2</b>
योग (अ)	रु०	<b>-266</b>	रु०	<b>-2</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु०	<b>0</b>	रु०	<b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>4769</b>	रु०	<b>29</b>
योग (ब)	रु०	<b>4769</b>	रु०	<b>29</b>
महायोग (अ एवं ब)	रु०	<b>4503</b>	रु०	<b>27</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **477.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-3/28** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री मल्हर पुत्र स्व० सन्त कुमार गुप्ता,**  
**ग्राम-उसका, पोस्ट-मीरपुर,**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **191** दिनांक **24.01.2003** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-3/28** से. **22** क्षे. **55.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु०	<b>19750</b>	रु० <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>18129</b>	रु० <b>-308</b>
<b>योग (अ)</b>	रु०	<b>37879</b>	रु० <b>-308</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु०	<b>4924</b>	रु० <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>1815</b>	रु० <b>11</b>
<b>योग (ब)</b>	रु०	<b>6739</b>	रु० <b>11</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु०	<b>44618</b>	रु० <b>-297</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **182.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-4/7** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री नन्द गोपाल सिंह पुत्र स्व० प्राणपति सिंह**  
**निवासी-सी/46, तारा मण्डल,**  
**रामपुर, जिला-गोरखपुर**  
**273016**

आवंटन पत्र संख्या **378** दिनांक **18.02.2005** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-4/7** से. **22** क्षे. **50.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>		<u>लीज रेन्ट</u>	
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु०	<b>509</b>	रु०	<b>0</b>	
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>4172</b>	रु०	<b>-3</b>	
<b>योग (अ)</b>	रु०	<b>4681</b>	रु०	<b>-3</b>	

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु०	<b>609</b>	रु०	<b>0</b>	
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>1650</b>	रु०	<b>10</b>	
<b>योग (ब)</b>	रु०	<b>2259</b>	रु०	<b>10</b>	
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु०	<b>6940</b>	रु०	<b>7</b>	


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **165.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-4/60** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

श्री सन्त कुमार जायसवाल पुत्र श्री रामचन्द्र प्रसाद,  
कबाडी रोड, पिपराईच,  
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **381** दिनांक **23.02.2005** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-4/60** से. **22** क्षे. **50.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	<u>रख-रखाव</u>		<u>लीज रेन्ट</u>	
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	612	रु0	-275
योग (अ)	रु0	612	रु0	-275

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	61	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1650	रु0	10
योग (ब)	रु0	1711	रु0	10
महायोग (अ एवं ब)	रु0	2323	रु0	-265

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **165.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-5/33** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री रंजीत सिंह पुत्र श्री चरन सिंह**  
**निवासी-43, आशुतोष चौधरी एवेन्यू बेली गुंगे,**  
**कोलकाता**  
**वेस्ट बंगाल 700019**

आवंटन पत्र संख्या **386** दिनांक **01.03.2005** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-5/33** से. **22** क्षे. **144.50** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-433	रु0
<b>योग (अ)</b>	रु0	-433	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4769	रु0
<b>योग (ब)</b>	रु0	4769	रु0
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	4336	रु0

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **477.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-1/2** / से. **23** / 2023-24 दिनांक

**श्री अरविन्द कुमार सिंह पुत्र श्री राजाराम सिंह**  
**ग्राम-उचैर, पोस्ट-गिरधरपुर, तहसील-बोंसगाँव**  
**जिला-गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **388** दिनांक **05.03.2005** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-1/2** से. **23** क्षे. **506.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	<u>रख-रखाव</u>		<u>लीज रेन्ट</u>	
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-423	रु0	-92
<b>योग (अ)</b>	रु0	-423	रु0	-92

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	16698	रु0	101
<b>योग (ब)</b>	रु0	16698	रु0	101
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	16275	रु0	9

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **1670.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-4/16** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री दिलीप सिंह पुत्र श्री सन्तराम सिंह**  
**ग्राम-डोमहर, पोस्ट-सहजनवाँ,**  
**जिला-गोरखपुर-273209**

आवंटन पत्र संख्या **363** दिनांक **09.02.2005** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-4/16** से. **22** क्षे. **136.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-51	रु0
<b>योग (अ)</b>	रु0	-51	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4488	रु0
<b>योग (ब)</b>	रु0	4488	रु0
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	4437	रु0


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **449.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-7/30** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री नवीन भाटिया पुत्र श्री लक्ष्मन सिंह भाटिया,**  
**शूगर मिल,**  
**जिला-बस्ती।**

आवंटन पत्र संख्या **412** दिनांक **31.03.2005** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-7/30** से. **22** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-1019	रु0
<b>योग (अ)</b>	रु0	-1019	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5346	रु0
<b>योग (ब)</b>	रु0	5346	रु0
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	4327	रु0

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **535.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**



पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. B-8/11 / से. 22 / 2023-24 दिनांक

श्री प्रदीप चन्द्र जैन पुत्र श्री नेम चन्द्र जैन  
निवासी-408ए, पी सेन रोड,  
ह्रसैनगंज,  
लखनऊ।

आवंटन पत्र संख्या 411 दिनांक 31.03.2005 के माध्यम से गीडा की ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. B-8/11 से. 22 क्षे. 597.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	रख-रखाव		लीज रेन्ट	
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-216	रु0	-294
योग (अ)	रु0	-216	रु0	-294

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	19701	रु0	119
योग (ब)	रु0	19701	रु0	119
महायोग (अ एवं ब)	रु0	19485	रु0	-175

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 1970.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-7/26** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्रीमती मालती त्रिपाठी पत्नी श्री शिवश्रया त्रिपाठी**  
**निवासी-कोल्हा, तारा गोरखपुर टांडा,**  
**उत्तर प्रदेश।**

आवंटन पत्र संख्या **400** दिनांक **31.03.2005** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-7/26** से. **22** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	<u>रख-रखाव</u>		<u>लीज रेन्ट</u>	
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-598	रु0	-91
<b>योग (अ)</b>	रु0	-598	रु0	-91

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5346	रु0	32
<b>योग (ब)</b>	रु0	5346	रु0	32
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	4748	रु0	-59

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **535.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-4/29** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री हरिश्चन्द्र पुत्र श्री गंगा प्रसाद,**  
**ग्राम-करमहवाँ, पोस्ट-रावतगंज,**  
**जिला-गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **220** दिनांक **07.02.2003** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-4/29** से. **22** क्षे. **50.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>17923</b>	रु0 <b>411</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>16470</b>	रु0 <b>209</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>34393</b>	रु0 <b>620</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>4471</b>	रु0 <b>41</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>1650</b>	रु0 <b>10</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>6121</b>	रु0 <b>51</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>40514</b>	रु0 <b>671</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **165.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-4/3** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्रीमती तारा देवी पत्नी श्री रामानन्द**  
**ग्राम-चिरैया डाण**  
**पोस्ट-भरसाड़, सहजनवाँ,**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **194** दिनांक **03.02.2003** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-4/3** से. **22** क्षे. **50.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>479</b>	रु0 <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>4743</b>	रु0 <b>-150</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>5222</b>	रु0 <b>-150</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>679</b>	रु0 <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>1650</b>	रु0 <b>10</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>2329</b>	रु0 <b>10</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>7551</b>	रु0 <b>-140</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **165.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-7/15** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्रीमती सीमा गुप्ता पत्नी श्री अनिरुद्ध गुप्ता**  
**निवासी-ग्राम एवं पोस्ट-अमटौरा,**  
**जिला-गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **416** दिनांक **31.03.2005** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-7/15** से. **22** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>14223</b>	रु0 <b>1051</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>32195</b>	रु0 <b>601</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>46418</b>	रु0 <b>1652</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>6034</b>	रु0 <b>108</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>5346</b>	रु0 <b>32</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>11380</b>	रु0 <b>140</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>57798</b>	रु0 <b>1792</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **535.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. B-5/29 / से. 22 / 2023-24 दिनांक

श्रीमती मेजू मिश्रा पत्नी श्री हरि राम मिश्रा  
द्वारा स्व० ओम प्रकाश पाण्डेय, ग्राम-भिलौरा,  
पोस्ट-नौसड़,  
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या 395 दिनांक 24.03.2005 के माध्यम से गीडा की ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. B-5/29 से. 22 क्षे. 144.50 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4140	रु0
योग (अ)	रु0	4140	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	538	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4769	रु0
योग (ब)	रु0	5307	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	9447	रु0


**नोट:- रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 477.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-5/14** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

श्री सत्येन्द्र कुमार पुत्र श्री गिरिश चन्द्र  
नखास चौक,  
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **394** दिनांक **17.03.2005** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-5/14** से. **22** क्षे. **144.50** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	रख-रखाव		लीज रेन्ट	
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-16	रु0	-19
योग (अ)	रु0	-16	रु0	-19

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4769	रु0	29
योग (ब)	रु0	4769	रु0	29
महायोग (अ एवं ब)	रु0	4754	रु0	10

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **477.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-8/8** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्रीमती उषा यादव पत्नी श्री संजय बहादुर यादव**  
**डी-178, टी0 पी0 नगर,**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **392** दिनांक **17.03.2005** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-8/8** से. **22** क्षे. **420.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>67953</b>	रु0 <b>355</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>105304</b>	रु0 <b>613</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>173257</b>	रु0 <b>968</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>22523</b>	रु0 <b>63</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>13860</b>	रु0 <b>84</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>36383</b>	रु0 <b>147</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>209640</b>	रु0 <b>1115</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **1386.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**



पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-5/7** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

श्री मू० खैरुल्लाह अंसारी पुत्र श्री शाह मुहम्मद अंसारी  
ग्राम-उचैर, पोस्ट-गिरधरपुर, तहसील-बाँसगाँव  
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **397** दिनांक **29.03.2005** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-5/7** से. **22** क्षे. **144.50** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु०	<b>34803</b>	रु० <b>951</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>41616</b>	रु० <b>544</b>
योग (अ)	रु०	<b>76419</b>	रु० <b>1495</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु०	<b>9934</b>	रु० <b>98</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>4769</b>	रु० <b>29</b>
योग (ब)	रु०	<b>14703</b>	रु० <b>127</b>
महायोग (अ एवं ब)	रु०	<b>91122</b>	रु० <b>1622</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **477.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-5/15** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

श्री डा0 अंशुमान सिंह पुत्र श्री सूर्य नारायण सिंह,  
निवासी-सी/02-114, मोहददीपुर,  
थाना-कैण्ट, गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **279** दिनांक **28.02.2003** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-5/15** से. **22** क्षे. **144.50** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>14215</b>	रु0 <b>206</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>30016</b>	रु0 <b>272</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>44231</b>	रु0 <b>478</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>5750</b>	रु0 <b>31</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>4769</b>	रु0 <b>29</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>10519</b>	रु0 <b>60</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>54750</b>	रु0 <b>538</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **477.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-5/22** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्रीमती मोना देवी पत्नी श्री योगेन्द्र  
मुहल्ला-माधोपुर, गोरखनाथ,  
गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **273** दिनांक **28.02.2003** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-5/22** से. **22** क्षे. **144.50** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>0</b>	रु0 <b>1185</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>4026</b>	रु0 <b>604</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>4026</b>	रु0 <b>1789</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>360</b>	रु0 <b>117</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>4769</b>	रु0 <b>29</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>5129</b>	रु0 <b>146</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>9155</b>	रु0 <b>1935</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **477.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-7/31** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

श्री रुद्रनाथ त्रिपाठी पुत्र श्री हरिहर प्रसाद त्रिपाठी  
पिपरा तहसील रोड, सहजनवाँ,  
थाना-सहजनवाँ,  
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **407** दिनांक **31.03.2005** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-7/31** से. **22** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>51293</b>	रु0 <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>51279</b>	रु0 <b>-3</b>
योग (अ)	रु0	<b>102572</b>	रु0 <b>-3</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>13334</b>	रु0 <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>5346</b>	रु0 <b>32</b>
योग (ब)	रु0	<b>18680</b>	रु0 <b>32</b>
महायोग (अ एवं ब)	रु0	<b>121252</b>	रु0 <b>29</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **535.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-5/32** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री कृष्ण कुमार श्रीवास्तव पुत्र श्री शेषनाथ श्रीवास्तव**  
**431/पी, महावीरपुरम,**  
**पोस्ट-गोरखनाथ,**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **405** दिनांक **31.03.2005** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-5/32** से. **22** क्षे. **144.50** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>43841</b>	रु0 <b>951</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>45104</b>	रु0 <b>544</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>88945</b>	रु0 <b>1495</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>11563</b>	रु0 <b>98</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>4769</b>	रु0 <b>29</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>16332</b>	रु0 <b>127</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>105277</b>	रु0 <b>1622</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **477.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-3/34** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्रीमती फूलवासी देवी पत्नी श्री देवेन्द्र सिंह**  
**पोस्ट-अमटौरा, थाना-सहजनवाँ,**  
**जिला-गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **399** दिनांक **29.03.2005** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-3/34** से. **22** क्षे. **55.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>17421</b>	रु0 <b>361</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>17411</b>	रु0 <b>206</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>34832</b>	रु0 <b>567</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>4528</b>	रु0 <b>37</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>1815</b>	रु0 <b>11</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>6343</b>	रु0 <b>48</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>41175</b>	रु0 <b>615</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **182.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-3/36** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री राम निवास चौरसिया पुत्र श्री बाँके बिहारी चौरसिया,**  
**ग्राम-उचेर, पोस्ट-गिरधरपुर,**  
**जिला-गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **358** दिनांक **28.02.2005** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-3/36** से. **22** क्षे. **62.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>1563</b>	रु0 <b>5</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>7671</b>	रु0 <b>32</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>9234</b>	रु0 <b>37</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>1200</b>	रु0 <b>2</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>2046</b>	रु0 <b>12</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>3246</b>	रु0 <b>14</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>12480</b>	रु0 <b>51</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **205.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-4/54** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री मुहम्मद परवेज पुत्र श्री मुहम्मद रईस,  
 मुहल्ला घासी कटरा,  
 नियर कर्बला,  
 गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **237** दिनांक **26.02.2003** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-4/54** से. **22** क्षे. **50.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>7262</b>	रु0 <b>408</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>11994</b>	रु0 <b>208</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>19256</b>	रु0 <b>616</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>2503</b>	रु0 <b>40</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>1650</b>	रु0 <b>10</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>4153</b>	रु0 <b>50</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>23409</b>	रु0 <b>666</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **165.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**



पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-1/6** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री विश्वनाथ पुत्र श्री पुरुषोत्तम मल्लाह,**  
**12/292, कल्याणपुरी,**  
**दिल्ली-110091**

आवंटन पत्र संख्या **373** दिनांक **15.02.2005** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-1/6** से. **22** क्षे. **136.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>16035</b>	रु0 <b>897</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>30182</b>	रु0 <b>510</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>46217</b>	रु0 <b>1407</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>6008</b>	रु0 <b>92</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>4488</b>	रु0 <b>27</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>10496</b>	रु0 <b>119</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>56713</b>	रु0 <b>1526</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **449.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-5/16** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

श्री नर्वदेश्वर सिंह पुत्र श्री रामबहाल सिंह,  
ग्राम-डूगड़ईया, पोस्ट-पाली,  
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **367** दिनांक **09.02.2005** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-5/16** से. **22** क्षे. **144.50** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>746</b>	रु0 <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>1</b>	रु0 <b>0</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>747</b>	रु0 <b>0</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>89</b>	रु0 <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>4769</b>	रु0 <b>29</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>4858</b>	रु0 <b>29</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>5605</b>	रु0 <b>29</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **477.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-1/5** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री उमेश चन्द्र नागर पुत्र श्री सदरी प्रसाद,**  
**ग्राम-टिकरिया, पोस्ट-मिनवा,**  
**जिला-गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **368** दिनांक **09.02.2005** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-1/5** से. **22** क्षे. **136.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-423	रु0
<b>योग (अ)</b>	रु0	-423	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4488	रु0
<b>योग (ब)</b>	रु0	4488	रु0
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	4065	रु0


**नोट:- रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **449.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-7/2** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्रीमती शशिकला सिंह पत्नी श्री धर्मेन्द्र सिंह**  
**निवासी-ग्राम-बरसैनी, पोस्ट-हेमधापुर,**  
**थाना-पिपराईच, तहसील-सदर,**  
**जिला-गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **372** दिनांक **15.02.2005** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-7/2** से. **22** क्षे. **144.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>3275</b>	रु0 <b>13</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>16999</b>	रु0 <b>75</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>20274</b>	रु0 <b>88</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>2636</b>	रु0 <b>6</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>4752</b>	रु0 <b>29</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>7388</b>	रु0 <b>35</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>27662</b>	रु0 <b>123</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **475.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. B-5/27 / से. 22 / 2023-24 दिनांक

श्री केशव प्रसाद कसौधन पुत्र श्री सीताराम कसौधन,  
ग्राम व पोस्ट-मोखलीसपुर,  
सन्तकबीर नगर।

आवंटन पत्र संख्या 374 दिनांक 18.02.2005 के माध्यम से गीडा की ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. B-5/27 से. 22 क्षे. 144.50 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	20500	रु0
योग (अ)	रु0	20500	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	1657	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4769	रु0
योग (ब)	रु0	6426	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	26926	रु0


**नोट:- रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 477.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-4/48** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

श्री बम बहादुर सिंह पुत्र स्व० प्राणपति सिंह  
निवासी-ग्राम व पोस्ट-भौवापार,  
टोटहा मिश्रौलिया,  
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **375** दिनांक **18.02.2005** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-4/48** से. **22** क्षे. **50.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु०	<b>7476</b>	<b>90</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>12123</b>	<b>103</b>
योग (अ)	रु०	<b>19599</b>	<b>193</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु०	<b>2548</b>	<b>13</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>1650</b>	<b>10</b>
योग (ब)	रु०	<b>4198</b>	<b>23</b>
महायोग (अ एवं ब)	रु०	<b>23797</b>	<b>216</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **165.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. A-1/9 / से. 22 / 2023-24 दिनांक

श्री रुदल यादव पुत्र स्व० रामानन्द यादव  
निवासी-74/भरवलिया बूजर्ग, तारा मण्डल रोड,  
तहसील-सदर,  
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या 376 दिनांक 18.02.2005 के माध्यम से गीडा की ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. A-1/9 से. 22 क्षे. 405.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	57481	रु० 527
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	97109	रु० 719
योग (अ)	रु०	154590	रु० 1246

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	20097	रु० 82
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	13365	रु० 81
योग (ब)	रु०	33462	रु० 163
महायोग (अ एवं ब)	रु०	188052	रु० 1409

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० 1337.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-2/31** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री पीयूष राय पुत्र श्री रामाश्रय राय,**  
**निवासी-ग्राम-जमुनिजोत, पोस्ट-विशुनपुर,**  
**विसौनपुर, उत्तर प्रदेश-273403**

आवंटन पत्र संख्या **380** दिनांक **23.02.2005** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-2/31** से. **22** क्षे. **84.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-877	रु0
<b>योग (अ)</b>	रु0	-877	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2772	रु0
<b>योग (ब)</b>	रु0	2772	रु0
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	1895	रु0


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **277.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**



पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-5/17** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

श्री अशोक कुमार सिंह पुत्र श्री रामदास सिंह  
ग्राम-तिघरा खर्द, पोस्ट-गिरधरपुर,  
थाना-गगहा, तहसील-बोंसगाँव  
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **382** दिनांक **23.02.2005** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-5/17** से. **22** क्षे. **144.50** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>18949</b>	<b>रु0 244</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>33439</b>	<b>रु0 291</b>
योग (अ)	रु0	<b>52388</b>	<b>रु0 535</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>6810</b>	<b>रु0 35</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>4769</b>	<b>रु0 29</b>
योग (ब)	रु0	<b>11579</b>	<b>रु0 64</b>
महायोग (अ एवं ब)	रु0	<b>63967</b>	<b>रु0 599</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **477.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. B-5/35 / से. 22 / 2023-24 दिनांक

श्री ओम प्रकाश भट्ट पुत्र श्री रामअवध भट्ट  
निवासी-सी/190, बिलन्दपुर,  
शिव मन्दिर के पूरब,  
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या 384 दिनांक 01.03.2005 के माध्यम से गीडा की ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. B-5/35 से. 22 क्षे. 144.50 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	35412	रु0 955
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	41873	रु0 546
योग (अ)	रु0	77285	रु0 1501

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	10047	रु0 98
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4769	रु0 29
योग (ब)	रु0	14816	रु0 127
महायोग (अ एवं ब)	रु0	92101	रु0 1628


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 477.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-5/34** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

श्रीमती चम्पा पाण्डेय पत्नी श्री डी0 एन0 पाण्डेय,  
शिव सदन, आदित्यपुरी, धर्मपुर,  
पोस्ट-गीता वाटिका,  
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **385** दिनांक **01.03.2005** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-5/34** से. **22** क्षे. **144.50** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>2166</b>	रु0 <b>19</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>13005</b>	रु0 <b>87</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>15171</b>	रु0 <b>106</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>1972</b>	रु0 <b>7</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>4769</b>	रु0 <b>29</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>6741</b>	रु0 <b>36</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>21912</b>	रु0 <b>142</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **477.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. B-5/11 / से. 22 / 2023-24 दिनांक

श्री वृन्दावन यादव पुत्र श्री साधुशरण यादव,  
द्वारा राजेश यादव, ग्राम व पोस्ट-बड़गहन,  
थाना-सहजनवाँ,  
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या 387 दिनांक 01.03.2005 के माध्यम से गीडा की ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. B-5/11 से. 22 क्षे. 144.50 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-13	रु0
योग (अ)	रु0	-13	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4769	रु0	29
योग (ब)	रु0	4769	रु0	29
महायोग (अ एवं ब)	रु0	4756	रु0	29


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 477.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-1/5** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्रीमती शान्ति देवी पत्नी श्री अरविन्द कुमार सिंह**  
**ग्राम-उचेर, पोस्ट-गिरधरपुर,**  
**जिला-गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **389** दिनांक **05.03.2005** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-1/5** से. **22** क्षे. **405.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	<u>रख-रखाव</u>		<u>लीज रेन्ट</u>	
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-245	रु0	-17
<b>योग (अ)</b>	रु0	-245	रु0	-17

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	13365	रु0	81
<b>योग (ब)</b>	रु0	13365	रु0	81
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	13120	रु0	64


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **1337.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-1/07** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्रीमती अंशुमाला बरनवाल पत्नी श्री दिनेश कुमार बरनवाल,**  
**भीटी मऊ,**  
**जनपद-मऊ।**

आवंटन पत्र संख्या **365** दिनांक **09.02.2005** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-1/07** से. **22** क्षे. **543.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-2177	रु0
<b>योग (अ)</b>	रु0	-2177	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	17919	रु0
<b>योग (ब)</b>	रु0	17919	रु0
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	15742	रु0

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **1792.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-1/8** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री हरिशंकर सिंह पुत्र स्व० रामदेव सिंह**  
**ग्राम-डूगड़इयाँ, पोस्ट-पाली,**  
**तहसील-सहजनवाँ,**  
**जिला-गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **359** दिनांक **09.02.2005** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-1/8** से. **22** क्षे. **136.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु०	<b>19779</b>	रु० <b>897</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>32639</b>	रु० <b>510</b>
<b>योग (अ)</b>	रु०	<b>52418</b>	रु० <b>1407</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु०	<b>6814</b>	रु० <b>92</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>4488</b>	रु० <b>27</b>
<b>योग (ब)</b>	रु०	<b>11302</b>	रु० <b>119</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु०	<b>63720</b>	रु० <b>1526</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **449.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-5/24** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री भूवनेश्वर सिंह पुत्र स्व० मदनपाल सिंह,**  
**ग्राम व पोस्ट-पाली,**  
**तहसील-सहजनवाँ,**  
**जिला-गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **361** दिनांक **09.02.2005** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-5/24** से. **22** क्षे. **144.50** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु०	<b>7482</b>	रु० <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>23563</b>	रु० <b>-122</b>
<b>योग (अ)</b>	रु०	<b>31045</b>	रु० <b>-122</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु०	<b>4036</b>	रु० <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>4769</b>	रु० <b>29</b>
<b>योग (ब)</b>	रु०	<b>8805</b>	रु० <b>29</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु०	<b>39850</b>	रु० <b>-93</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **477.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।



पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-7/29** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री रमेश कुमार शर्मा पुत्र श्री परमेश्वर लाल शर्मा,**  
**मडया बाईपास, खलीलाबाद,**  
**संत कबीर नगर**

आवंटन पत्र संख्या **413** दिनांक **31.03.2005** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-7/29** से. **22** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-1452	रु0
<b>योग (अ)</b>	रु0	-1452	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5346	रु0
<b>योग (ब)</b>	रु0	5346	रु0
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	3894	रु0

**नोट:- रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **535.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-8/12** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री राज कुमार पुत्र श्री हरिकान्त**  
**निवासी-ग्राम व पोस्ट-भरसाड़,**  
**तहसील-सहजनवाँ,**  
**जिला-गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **410** दिनांक **31.03.2005** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-8/12** से. **22** क्षे. **419.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1495	रु0
<b>योग (अ)</b>	रु0	1495	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	148	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	13827	रु0
<b>योग (ब)</b>	रु0	13975	रु0
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	15470	रु0

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **1383.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-7/7** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

श्री सर्वजीत शुक्ला पुत्र श्री राम दुलारे शुक्ला  
सौरभ आटो मोबाईल, डी-13, नई टी0 पी0 नगर  
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **417** दिनांक **31.03.2005** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-7/7** से. **22** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	रख-रखाव		लीज रेन्ट	
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-972	रु0	0
योग (अ)	रु0	-972	रु0	0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5346	रु0	32
योग (ब)	रु0	5346	रु0	32
महायोग (अ एवं ब)	रु0	4374	रु0	32


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **535.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-7/27** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

श्री अजय कुमार शुक्ला पुत्र श्री शिव कुमार शुक्ला  
सिद्धार्थ नगर कालोनी,  
रुस्तमपुर  
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **414** दिनांक **31.03.2005** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-7/27** से. **22** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>27328</b>	रु0 <b>1051</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>41061</b>	रु0 <b>601</b>
योग (अ)	रु0	<b>68389</b>	रु0 <b>1652</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>8891</b>	रु0 <b>108</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>5346</b>	रु0 <b>32</b>
योग (ब)	रु0	<b>14237</b>	रु0 <b>140</b>
महायोग (अ एवं ब)	रु0	<b>82626</b>	रु0 <b>1792</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **535.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. B-7/1 / से. 22 / 2023-24 दिनांक

श्री प्रसिद्ध नाथ त्रिपाठी पुत्र श्री रामसुरेमणि त्रिपाठी  
ग्राम-खेड़ाडीह, पोस्ट- चवरियाँ बूजुर्ग,  
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या 409 दिनांक 31.03.2005 के माध्यम से गीडा की ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. B-7/1 से. 22 क्षे. 144.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	45589	रु0 951
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	45581	रु0 544
योग (अ)	रु0	91170	रु0 1495

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	11852	रु0 98
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4752	रु0 29
योग (ब)	रु0	16604	रु0 127
महायोग (अ एवं ब)	रु0	107774	रु0 1622


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 475.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-5/26** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्रीमती सुमित्रा देवी पत्नी स्व० दिनेश सिंह**  
**निवासी-मोहल्ला-न्यू माधोपुर कालोनी निकट बी०एन०**  
**पब्लिक स्कूल, गोरखनाथ,**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **396** दिनांक **24.03.2005** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-5/26** से. **22** क्षे. **144.50** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	<u>रख-रखाव</u>		<u>लीज रेन्ट</u>	
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु०	<b>0</b>	रु०	<b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>-102</b>	रु०	<b>-3</b>
<b>योग (अ)</b>	रु०	<b>-102</b>	रु०	<b>-3</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु०	<b>0</b>	रु०	<b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>4769</b>	रु०	<b>29</b>
<b>योग (ब)</b>	रु०	<b>4769</b>	रु०	<b>29</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु०	<b>4668</b>	रु०	<b>26</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **477.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. B-1/16 / से. 22 / 2023-24 दिनांक

श्री बदरुद्दीन अंसारी पुत्र श्री अब्दुल गनी अंसारी  
ग्राम-उचैर, पोस्ट-गिरधरपुर, तहसील-बॉसगॉव  
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या 398 दिनांक 29.03.2005 के माध्यम से गीडा की ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. B-1/16 से. 22 क्षे. 150.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	36769	रु0 980
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	43471	रु0 563
योग (अ)	रु0	80240	रु0 1543

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	10431	रु0 101
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4950	रु0 30
योग (ब)	रु0	15381	रु0 131
महायोग (अ एवं ब)	रु0	95621	रु0 1674

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 495.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-4/18** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री राम केवल सिंह पुत्र स्व० राम प्यारे सिंह**  
**68 के०, गौतम नगर ( कालेपुर ),**  
**गोरखपुर ।**

आवंटन पत्र संख्या **404** दिनांक **31.03.2005** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-4/18** से. **22** क्षे. **50.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु०	<b>473</b>	रु० <b>8</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>4608</b>	रु० <b>46</b>
<b>योग (अ)</b>	रु०	<b>5081</b>	रु० <b>54</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु०	<b>661</b>	रु० <b>4</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>1650</b>	रु० <b>10</b>
<b>योग (ब)</b>	रु०	<b>2311</b>	रु० <b>14</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु०	<b>7392</b>	रु० <b>68</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **165.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**



पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-7/25** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्रीमती अरुना देवी पत्नी श्री मोती तिवारी**  
**निवासी-बड़हलगंज, कोल्हूआ,**  
**टाडा,**  
**जिला-गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **402** दिनांक **31.03.2005** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-7/25** से. **22** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	56	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4216	रु0
<b>योग (अ)</b>	रु0	4272	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	555	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5346	रु0
<b>योग (ब)</b>	रु0	5901	रु0
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	10173	रु0

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **535.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-7/23** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री सुनील कुमार सिंह पुत्र श्री शुभकरन सिंह**  
**ग्राम-लूचई, पोस्ट-सहजनवाँ,**  
**जिला-गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **403** दिनांक **31.03.2005** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-7/23** से. **22** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>15210</b>	रु0 <b>1051</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>33048</b>	रु0 <b>601</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>48258</b>	रु0 <b>1652</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>6274</b>	रु0 <b>108</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>5346</b>	रु0 <b>32</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>11620</b>	रु0 <b>140</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>59878</b>	रु0 <b>1792</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **535.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-7/24** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री गिरीश चन्द्र यादव पुत्र श्री रामबोध यादव**  
**हीरालाल शदव, 92-डी, इन्दिरा नगर,**  
**रसूलपुर,**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **408** दिनांक **31.03.2005** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-7/24** से. **22** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	<u>रख-रखाव</u>		<u>लीज रेन्ट</u>	
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2316	रु0	0
<b>योग (अ)</b>	रु0	2316	रु0	0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	230	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5346	रु0	32
<b>योग (ब)</b>	रु0	5576	रु0	32
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	7892	रु0	32


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **535.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-7/11** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री बच्चा सिंह पुत्र श्री लालचन्द सिंह**  
**ग्राम-पिछौरा, पोस्ट-ढड़सी (गगहा)**  
**जिला-गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **429** दिनांक **31.03.2005** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-7/11** से. **22** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>11</b>	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>5047</b>	रु0
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>5058</b>	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>658</b>	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>5346</b>	रु0
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>6004</b>	रु0
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>11062</b>	रु0

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **535.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-7/28** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

श्री प्रदीप कुमार चतुर्वेदी पुत्र स्व० रामाश्रय प्रसाद चतुर्वेदी  
निवासी-641/एच शिव नगर कालोनी,  
पोस्ट-बशारतपुर,  
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **428** दिनांक **31.03.2005** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-7/28** से. **22** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु०	0	रु० 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	-43	रु० -458
योग (अ)	रु०	-43	रु० -458

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु०	0	रु० 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	5346	रु० 32
योग (ब)	रु०	5346	रु० 32
महायोग (अ एवं ब)	रु०	5303	रु० -426


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **535.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-7/8** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री देवेन्द्र कुमार श्रीवास्तव पुत्र स्व० मोहन लाल श्रीवास्तव**  
**उत्तरी जटेपुर, काली मन्दिर के निकट,**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **425** दिनांक **31.03.2005** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-7/8** से. **22** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु०	<b>51293</b>	रु० <b>1051</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>51279</b>	रु० <b>601</b>
<b>योग (अ)</b>	रु०	<b>102572</b>	रु० <b>1652</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु०	<b>13334</b>	रु० <b>108</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>5346</b>	रु० <b>32</b>
<b>योग (ब)</b>	रु०	<b>18680</b>	रु० <b>140</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु०	<b>121252</b>	रु० <b>1792</b>

**नोट:- रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **535.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-2/27** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्रीमती सरिता मौर्या पत्नी श्री जितेन्द्र कुमार मौर्या**  
**निवासी-ग्राम-बोकटा, वार्ड नं.-6,**  
**सहजनवाँ,**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **431** दिनांक **05.05.2005** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-2/27** से. **22** क्षे. **55.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	<u>रख-रखाव</u>		<u>लीज रेन्ट</u>	
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-194	रु0	-19
<b>योग (अ)</b>	रु0	-194	रु0	-19

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1815	रु0	11
<b>योग (ब)</b>	रु0	1815	रु0	11
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	1621	रु0	-8

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **182.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **C-2/17** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

श्रीमती ममता देवी पत्नी श्री धीरज कुमार गुप्ता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस कालोनी,  
बिलन्दपुर खत्ता,  
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **439** दिनांक **20.09.2007** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **C-2/17** से. **22** क्षे. **256.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	<u>रख-रखाव</u>		<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1242	रु0
<b>योग (अ)</b>	रु0	1242	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	127	रु0	1
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	8448	रु0	51
<b>योग (ब)</b>	रु0	8575	रु0	52
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	9817	रु0	73

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **845.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।



पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-7/22** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री अमर चन्द निषाद पुत्र श्री राम निषाद,**  
**ग्राम व पोस्ट-उनवल,**  
**जिला-गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **441** दिनांक **19.07.2005** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-7/22** से. **22** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	<u>रख-रखाव</u>		<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>0</b>	रु0 <b>1015</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>20923</b>	रु0 <b>591</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>20923</b>	रु0 <b>1606</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>1356</b>	रु0 <b>105</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>5346</b>	रु0 <b>32</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>6702</b>	रु0 <b>137</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>27625</b>	रु0 <b>1743</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **535.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-4/19** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री अनिल कुमार मिश्र पुत्र श्री रामजी मिश्र**  
**ग्राम-सहवाज गंज**  
**पोस्ट-सहजनवाँ,**  
**जिला-गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **434** दिनांक **18.06.2005** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-4/19** से. **22** क्षे. **136.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-223	रु0
<b>योग (अ)</b>	रु0	-223	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4488	रु0
<b>योग (ब)</b>	रु0	4488	रु0
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	4265	रु0

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **449.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-5/34** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री अनिल कुमार वर्मा पुत्र स्व० सुरेन्द्र कुमार वर्मा**  
**निवासी-सेक्टर-जी, एल०डी०ए० कालोनी,**  
**कानपुर रोड, लखनऊ ।**

आवंटन पत्र संख्या **444** दिनांक **17.08.2005** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-5/34** से. **22** क्षे. **98.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु०	<b>30360</b>	रु० <b>625</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>30797</b>	रु० <b>367</b>
<b>योग (अ)</b>	रु०	<b>61157</b>	रु० <b>992</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु०	<b>7950</b>	रु० <b>65</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>3234</b>	रु० <b>20</b>
<b>योग (ब)</b>	रु०	<b>11184</b>	रु० <b>85</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु०	<b>72341</b>	रु० <b>1077</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **323.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. B-5/9 / से. 22 / 2023-24 दिनांक

श्री निवास उपाध्याय पुत्र स्व0 मुरलीधर उपाध्याय  
ग्राम-विष्णुपुरा, पोस्ट-ढखवा बाजार,  
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या 458 दिनांक 17.08.2005 के माध्यम से गीडा की ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. B-5/9 से. 22 क्षे. 144.50 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	144	रु0
योग (अ)	रु0	144	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	13	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4769	रु0
योग (ब)	रु0	4782	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	4926	रु0


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 477.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-4/6** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्रीमती राजदेई सिंह पत्नी श्री फौजदार सिंह**  
**ग्राम व पोस्ट-भूसवल,**  
**जिला-गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **457** दिनांक **17.08.2005** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-4/6** से. **22** क्षे. **50.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>15491</b>	रु0 <b>316</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>15713</b>	रु0 <b>184</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>31204</b>	रु0 <b>500</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>4057</b>	रु0 <b>33</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>1650</b>	रु0 <b>10</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>5707</b>	रु0 <b>43</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>36911</b>	रु0 <b>543</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **165.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. B-7/6 / से. 22 / 2023-24 दिनांक

श्रीमती बबिता पत्नी श्री नवरतन कुमार,  
निवासी-10/144, सुगरकेन आफिस के सामने, गीरधरगंज,  
कूडाघाट, खोराबार उर्फ सूबाबाजार,  
गोरखपुर, उ0 प्र0-273008

आवंटन पत्र संख्या 463 दिनांक 17.08.2005 के माध्यम से गीडा की ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. B-7/6 से. 22 क्षे. 162.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	50181	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	50909	रु0
योग (अ)	रु0	101090	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	13142	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5346	रु0
योग (ब)	रु0	18488	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	119578	रु0


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 535.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-4/14** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री संजय कुमार जायसवाल पुत्र श्री प्रयाग जायसवाल**  
**ग्राम-सोमहिया बाजार, पोस्ट-इन्द्रपुर,**  
**जिला-गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **453** दिनांक **17.08.2005** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-4/14** से. **22** क्षे. **50.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>493</b>	रु0 <b>20</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>4121</b>	रु0 <b>67</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>4614</b>	रु0 <b>87</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>600</b>	रु0 <b>6</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>1650</b>	रु0 <b>10</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>2250</b>	रु0 <b>16</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>6864</b>	रु0 <b>103</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **165.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-7/4** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

श्रीमती आशा द्विवेदी पत्नी श्री अजय कुमार द्विवेदी  
द्विवेदी हाउस, कैण्ट थाना के पीछे,  
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **450** दिनांक **17.08.2005** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-7/4** से. **22** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	रख-रखाव		लीज रेन्ट	
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-4	रु0	-220
योग (अ)	रु0	-4	रु0	-220

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5346	रु0	32
योग (ब)	रु0	5346	रु0	32
महायोग (अ एवं ब)	रु0	5342	रु0	-188


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **535.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।



पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-7/13** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्रीमती सुमन यादव पत्नी श्री राजेश यादव**  
**लाल कोठी के सामने, पुर्दिलपुर,**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **452** दिनांक **17.08.2005** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-7/13** से. **22** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	<u>रख-रखाव</u>		<u>लीज रेन्ट</u>	
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-10	रु0	-220
<b>योग (अ)</b>	रु0	-10	रु0	-220

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5346	रु0	32
<b>योग (ब)</b>	रु0	5346	रु0	32
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	5336	रु0	-188


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **535.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-7/12** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

श्रीमती अनुपमा द्विवेदी पत्नी श्री संजय द्विवेदी,  
द्विवेदी हाउस, कैण्ट थाना के पीछे,  
दाउदपुर,  
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **451** दिनांक **17.08.2005** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-7/12** से. **22** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	<u>रख-रखाव</u>		<u>लीज रेन्ट</u>	
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-22	रु0	-173
<b>योग (अ)</b>	रु0	-22	रु0	-173

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5346	रु0	32
<b>योग (ब)</b>	रु0	5346	रु0	32
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	5324	रु0	-141

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **535.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-7/9** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्रीमती प्रेमलता चौरसिया पत्नी श्री विरेन्द्र चौरसिया**  
**मोहल्ला-दीवान दया राम, माया टाकिज के सामने,**  
**गीता प्रेस रोड,**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **459** दिनांक **17.08.2005** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-7/9** से. **22** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	<u>रख-रखाव</u>		<u>लीज रेन्ट</u>	
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-81	रु0	-47
<b>योग (अ)</b>	रु0	-81	रु0	-47

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5346	रु0	32
<b>योग (ब)</b>	रु0	5346	रु0	32
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	5265	रु0	-15

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **535.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-7/5** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्रीमती कृष्ण देवी पत्नी श्री हरीराम गुप्ता**  
**सहजनवाँ बाजार,**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **443** दिनांक **17.08.2005** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-7/5** से. **22** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>285</b>	रु0 <b>2</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>4249</b>	रु0 <b>25</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>4534</b>	रु0 <b>27</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>589</b>	रु0 <b>4</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>5346</b>	रु0 <b>32</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>5935</b>	रु0 <b>36</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>10469</b>	रु0 <b>63</b>


**नोट:- रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **535.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-5/32** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्रीमती सरोज देवी पत्नी श्री राघव सिंह**  
**निवासी-ग्राम-कजाकपुर, न्यू कैलाशपुरी कालोनी, पोस्ट-रामपुर**  
**भगत चौराहा, जिला-गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **446** दिनांक **17.08.2005** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-5/32** से. **22** क्षे. **80.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>9245</b>	रु0 <b>171</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>17616</b>	रु0 <b>180</b>
<b>योग (अ)</b>	<b>रु0</b>	<b>26861</b>	<b>रु0 351</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>3492</b>	रु0 <b>23</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>2640</b>	रु0 <b>16</b>
<b>योग (ब)</b>	<b>रु0</b>	<b>6132</b>	<b>रु0 39</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	<b>रु0</b>	<b>32993</b>	<b>रु0 390</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **264.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-5/30** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

श्री घनश्याम प्रजापति पुत्र श्री मोलई प्रजापति  
न्यू ट्रांसपोर्ट नगर, भूखण्ड संख्या -61,  
निकट गोल्डेन गैस सर्विस,  
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **461** दिनांक **17.08.2005** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना  
के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-5/30** से. **22** क्षे. **50.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव  
शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>15491</b>	रु0 <b>316</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>15713</b>	रु0 <b>184</b>
योग (अ)	रु0	<b>31204</b>	रु0 <b>500</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>4057</b>	रु0 <b>33</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>1650</b>	रु0 <b>10</b>
योग (ब)	रु0	<b>5707</b>	रु0 <b>43</b>
महायोग (अ एवं ब)	रु0	<b>36911</b>	रु0 <b>543</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **165.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-5/25** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

श्रीमती कंचन सिंह पत्नी श्री रमेश  
निवासी-मोहल्ला-बिलन्दपुर (वाटर पार्क के सामने)  
पोस्ट-विश्वविद्यालय,  
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **455** दिनांक **17.08.2005** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-5/25** से. **22** क्षे. **98.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	7245	रु0 74
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	18303	रु0 137
योग (अ)	रु0	25548	रु0 211

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	3321	रु0 14
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3234	रु0 20
योग (ब)	रु0	6555	रु0 34
महायोग (अ एवं ब)	रु0	32103	रु0 245


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **323.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-5/26** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्रीमती सरोज देवी पत्नी श्री राघव सिंह**  
**निकट गंगा गैस सर्विस, नवीन ट्रांसपोर्ट नगर,**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **448** दिनांक **17.08.2005** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-5/26** से. **22** क्षे. **98.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>6711</b>	<b>197</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>18055</b>	<b>215</b>
<b>योग (अ)</b>	<b>रु0</b>	<b>24766</b>	<b>412</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>3220</b>	<b>27</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>3234</b>	<b>20</b>
<b>योग (ब)</b>	<b>रु0</b>	<b>6454</b>	<b>47</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	<b>रु0</b>	<b>31220</b>	<b>459</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **323.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**



पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-7/14** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री लल्लन प्रसाद गुप्त पुत्र श्री मोहर प्रसाद गुप्त**  
**निवासी-एम0आई0जी0-18, सिद्धार्थ इनक्लेव,**  
**जिला-गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **456** दिनांक **17.08.2005** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-7/14** से. **22** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>15209</b>	रु0 <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>33047</b>	रु0 <b>0</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>48256</b>	रु0 <b>0</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>6273</b>	रु0 <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>5346</b>	रु0 <b>32</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>11619</b>	रु0 <b>32</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>59875</b>	रु0 <b>32</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **535.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-5/39** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**कुमारी साक्षी सिंह पुत्री श्री रमेश**  
**निवासी-मुहल्ला-इन्दिरा नगर, वाटर पार्क के सामने,**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **454** दिनांक **17.08.2005** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-5/39** से. **22** क्षे. **50.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>3654</b>	रु0 <b>35</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>9297</b>	रु0 <b>66</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>12951</b>	रु0 <b>101</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>1684</b>	रु0 <b>7</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>1650</b>	रु0 <b>10</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>3334</b>	रु0 <b>17</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>16285</b>	रु0 <b>118</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **165.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-8/13** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री विनय सिंह पुत्र स्व० दिनेश सिंह**  
**निवासी-ग्राम-बरवल माफी,**  
**पोस्ट-खोरटा, जिला-गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **464** दिनांक **17.08.2005** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-8/13** से. **22** क्षे. **419.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु०	<b>0</b>	रु० <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>-41</b>	रु० <b>-8</b>
<b>योग (अ)</b>	रु०	<b>-41</b>	रु० <b>-8</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु०	<b>0</b>	रु० <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>13827</b>	रु० <b>84</b>
<b>योग (ब)</b>	रु०	<b>13827</b>	रु० <b>84</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु०	<b>13786</b>	रु० <b>76</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **1383.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-3/24** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्रीमती चन्दा देवी पत्नी श्री देव नारायण सिंह**  
**निवासी-ग्राम-बुढ़ियाबारी**  
**डोहरिया बाजार,**  
**जिला-गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **485** दिनांक **09.01.2006** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-3/24** से. **22** क्षे. **55.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-79	रु0
<b>योग (अ)</b>	रु0	-79	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1815	रु0
<b>योग (ब)</b>	रु0	1815	रु0
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	1736	रु0


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **182.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-4/12** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री राजल गुप्ता पुत्र श्री राजेश कुमार गुप्ता**  
**निवासी-198, अस्करगंज, वाच हाउस,**  
**रेती का पुल, गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **484** दिनांक **09.01.2006** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-4/12** से. **22** क्षे. **50.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>180</b>	रु0 <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>2983</b>	रु0 <b>-19</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>3163</b>	रु0 <b>-19</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>411</b>	रु0 <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>1650</b>	रु0 <b>10</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>2061</b>	रु0 <b>10</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>5224</b>	रु0 <b>-9</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **165.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-7/17** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

श्री आशा तिवारी पत्नी श्री अनिल कुमार तिवारी  
399, शिवाजी नगर, रुस्तमपुर,  
पोस्ट-नई शिवपुरी कालोनी,  
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **491** दिनांक **09.01.2006** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-7/17** से. **22** क्षे. **234.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>34041</b>	रु0 <b>469</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>56165</b>	रु0 <b>508</b>
योग (अ)	रु0	<b>90206</b>	रु0 <b>977</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>11727</b>	रु0 <b>64</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>7722</b>	रु0 <b>47</b>
योग (ब)	रु0	<b>19449</b>	रु0 <b>111</b>
महायोग (अ एवं ब)	रु0	<b>109655</b>	रु0 <b>1088</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **772.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-5/20** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्रीमती दीपा देवी पत्नी श्री रामसरन लाल श्रीवास्तव**  
**ग्राम-जगदीशपुर, पोस्ट-भरसोड,**  
**सहजनवाँ,**  
**जिला-गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **483** दिनांक **09.01.2006** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-5/20** से. **22** क्षे. **144.50** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>0</b>	रु0 <b>866</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>3207</b>	रु0 <b>521</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>3207</b>	रु0 <b>1387</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>304</b>	रु0 <b>91</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>4769</b>	रु0 <b>29</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>5073</b>	रु0 <b>120</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>8280</b>	रु0 <b>1507</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **477.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-4/20** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्रीमती रेखा गुप्ता पत्नी श्री विरेन्द्र गुप्ता**  
**बक्शीपुर, जूबली टाकिज के आगे,**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **480** दिनांक **09.01.2006** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-4/20** से. **22** क्षे. **136.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-51	रु0
<b>योग (अ)</b>	रु0	-51	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4488	रु0
<b>योग (ब)</b>	रु0	4488	रु0
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	4437	रु0

**नोट:- रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **449.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**



पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-6/1** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री सगीर अहमद व श्री जहीर अहमद पुत्रगण स्व0 फारुक अहमद**  
**निवासी-ग्राम-भटौली, पोस्ट-श्रीनगर,**  
**तहसील-सलेमपुर,**  
**जिला-देवरिया।**

आवंटन पत्र संख्या **488** दिनांक **09.01.2006** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-6/1** से. **22** क्षे. **326.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>0</b>	रु0 <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>30424</b>	रु0 <b>-192</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>30424</b>	रु0 <b>-192</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>2297</b>	रु0 <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>10758</b>	रु0 <b>65</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>13055</b>	रु0 <b>65</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>43479</b>	रु0 <b>-127</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **1076.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-5/27** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

श्री गोपाल कृष्ण दूबे पुत्र श्री उमाशंकर दूबे  
मो0-शिवाजी नगर ( निकट रानी बाग )  
पोस्ट-बड़गों ( रुस्तमपुर )  
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **445** दिनांक **17.08.2005** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-5/27** से. **22** क्षे. **98.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	<u>रख-रखाव</u>		<u>लीज रेन्ट</u>	
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-1779	रु0	-30
योग (अ)	रु0	-1779	रु0	-30

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3234	रु0	20
योग (ब)	रु0	3234	रु0	20
महायोग (अ एवं ब)	रु0	1455	रु0	-10


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **323.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-5/33** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री मो० शमीम पुत्र श्री अब्दुल सत्तार,**  
**न्यू ट्रांसपोर्ट नगर, पोस्ट-शिवपुरी कालोनी,**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **460** दिनांक **17.08.2005** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-5/33** से. **22** क्षे. **98.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु०	<b>30360</b>	रु० <b>625</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>30797</b>	रु० <b>367</b>
<b>योग (अ)</b>	रु०	<b>61157</b>	रु० <b>992</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु०	<b>7950</b>	रु० <b>65</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>3234</b>	रु० <b>20</b>
<b>योग (ब)</b>	रु०	<b>11184</b>	रु० <b>85</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु०	<b>72341</b>	रु० <b>1077</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **323.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-5/31** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्रीमती सरोज देवी पत्नी श्री राघव सिंह**  
**निवासी-ग्राम-कजाकपुर, न्यू कैलाशपुरी कालोनी,**  
**पोस्ट-रामपुर, भगत चौराहा,**  
**जिला-गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **447** दिनांक **17.08.2005** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-5/31** से. **22** क्षे. **50.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>5775</b>	रु0 <b>107</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>11007</b>	रु0 <b>113</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>16782</b>	रु0 <b>220</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>2182</b>	रु0 <b>14</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>1650</b>	रु0 <b>10</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>3832</b>	रु0 <b>24</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>20614</b>	रु0 <b>244</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **165.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-5/28** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

श्री शिव कुमार पुत्र श्री कल्पनाथ  
मौजा-नगवॉ, तहसील-सहजनवॉ,  
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **449** दिनांक **17.08.2005** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-5/28** से. **22** क्षे. **98.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>1835</b>	रु0 <b>26</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>8797</b>	रु0 <b>53</b>
योग (अ)	रु0	<b>10632</b>	रु0 <b>79</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>1382</b>	रु0 <b>5</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>3234</b>	रु0 <b>20</b>
योग (ब)	रु0	<b>4616</b>	रु0 <b>25</b>
महायोग (अ एवं ब)	रु0	<b>15248</b>	रु0 <b>104</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **323.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-5/35** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री अवध प्रताप सिंह पुत्र श्री रामपाल सिंह**  
**निवासी-78डी/5सी,**  
**छोटा बघाड़ा,**  
**इलाहाबाद ।**

आवंटन पत्र संख्या **462** दिनांक **17.08.2005** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-5/35** से. **22** क्षे. **98.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>30360</b>	रु0 <b>625</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>30797</b>	रु0 <b>367</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>61157</b>	रु0 <b>992</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>7950</b>	रु0 <b>65</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>3234</b>	रु0 <b>20</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>11184</b>	रु0 <b>85</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>72341</b>	रु0 <b>1077</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **323.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-1/9** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री सूर्य नारायण पाण्डेय पुत्र स्व० गुरुसेवक पाण्डेय**  
**ग्राम-केशवपुर तहसील रोड,**  
**पोस्ट-सहजनवाँ,**  
**जनपद-गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **486** दिनांक **09.01.2006** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-1/9** से. **22** क्षे. **170.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु०	<b>0</b>	रु० <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>2343</b>	रु० <b>16</b>
<b>योग (अ)</b>	रु०	<b>2343</b>	रु० <b>16</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु०	<b>196</b>	रु० <b>1</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>5610</b>	रु० <b>34</b>
<b>योग (ब)</b>	रु०	<b>5806</b>	रु० <b>35</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु०	<b>8149</b>	रु० <b>51</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **561.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-7/18** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्रीमती मधुमति पत्नी स्व० वीरेन्द्र नाथ यादव**  
**ग्राम-बेलवाडाडी, पोस्ट-गाडर(खजनी)**  
**जिला-गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **489** दिनांक **09.01.2006** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-7/18** से. **22** क्षे. **234.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	<u>रख-रखाव</u>		<u>लीज रेन्ट</u>	
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु०	<b>0</b>	रु०	<b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>-54</b>	रु०	<b>-53</b>
<b>योग (अ)</b>	रु०	<b>-54</b>	रु०	<b>-53</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु०	<b>0</b>	रु०	<b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>7722</b>	रु०	<b>47</b>
<b>योग (ब)</b>	रु०	<b>7722</b>	रु०	<b>47</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु०	<b>7668</b>	रु०	<b>-6</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **772.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**



पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. B-5/8 / से. 22 / 2023-24 दिनांक

श्री रवि प्रकाश पुत्र श्री विजय कुमार  
ग्राम व पोस्ट-झमरी निवास,  
तहसील-सहजनवाँ,  
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या 500 दिनांक 31.03.2006 के माध्यम से गीडा की ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. B-5/8 से. 22 क्षे. 144.50 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	17512	रु0 32
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	32393	रु0 116
योग (अ)	रु0	49905	रु0 148

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	6488	रु0 10
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4769	रु0 29
योग (ब)	रु0	11257	रु0 39
महायोग (अ एवं ब)	रु0	61162	रु0 187


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 477.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-1/12A** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री भरथरी प्रसाद पुत्र श्री कोदई प्रसाद**  
**निवासी-61, मंझरिया, घघसरा, पाली,**  
**घघसरा, गहनशाद, सहजनवाँ,**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **497** दिनांक **29.03.2006** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-1/12A** से. **22** क्षे. **136.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	866	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	9659	रु0
<b>योग (अ)</b>	रु0	10525	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	1368	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4488	रु0
<b>योग (ब)</b>	रु0	5856	रु0
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	16381	रु0

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **449.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-4/57** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

श्री अवधेश कुमार पाल पुत्र श्री कृंज बिहारी  
मुहल्ला-महई सुधर पुर, शक्ति नगर पश्चिम,  
पोस्ट-शिवपुरी नई कालोनी,  
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **496** दिनांक **29.03.2006** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-4/57** से. **22** क्षे. **50.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>4866</b>	<b>294</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>10326</b>	<b>178</b>
योग (अ)	रु0	<b>15192</b>	<b>472</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>1975</b>	<b>31</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>1650</b>	<b>10</b>
योग (ब)	रु0	<b>3625</b>	<b>41</b>
महायोग (अ एवं ब)	रु0	<b>18817</b>	<b>513</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **165.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-4/24** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

श्रीमती रीता पाण्डेय पत्नी श्री विजय बहादुर पाण्डेय  
ग्राम-बड़गों  
पोस्ट-भैसला  
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **495** दिनांक **28.03.2006** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-4/24** से. **22** क्षे. **50.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>14948</b>	रु0 <b>294</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>15529</b>	रु0 <b>178</b>
योग (अ)	रु0	<b>30477</b>	रु0 <b>472</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>3962</b>	रु0 <b>31</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>1650</b>	रु0 <b>10</b>
योग (ब)	रु0	<b>5612</b>	रु0 <b>41</b>
महायोग (अ एवं ब)	रु0	<b>36089</b>	रु0 <b>513</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **165.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-5/24** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्रीमती कंचन सिंह पुत्री श्री दिग्विजय सिंह**  
**चम्पा देवी पार्क के सामने ( इंदरा नगर )**  
**गोरखपुर ।**

आवंटन पत्र संख्या **494** दिनांक **28.03.2006** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-5/24** से. **22** क्षे. **80.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>5911</b>	रु0 <b>60</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>14939</b>	रु0 <b>111</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>20850</b>	रु0 <b>171</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>2711</b>	रु0 <b>11</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>2640</b>	रु0 <b>16</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>5351</b>	रु0 <b>27</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>26201</b>	रु0 <b>198</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **264.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-3/23** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्रीमती शहनाज परवीन पत्नी श्री इरफान अली,**  
**न्यू चिलमापुर कालोनी,**  
**पोस्ट-न्यू शिवपुरी कालोनी,**  
**रुस्तमपुर, गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **503** दिनांक **31.03.2006** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-3/23** से. **22** क्षे. **55.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-174	रु0
<b>योग (अ)</b>	रु0	-174	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1815	रु0
<b>योग (ब)</b>	रु0	1815	रु0
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	1641	रु0


**नोट:- रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **182.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-4/28** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्रीमती गीता पाण्डेय पत्नी श्री दिग्विजय नाथ पाण्डेय**  
**ग्राम-बड़गो,**  
**पोस्ट-भैसला**  
**जिला-गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **508** दिनांक **31.03.2006** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-4/28** से. **22** क्षे. **50.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>14947</b>	रु0 <b>294</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>15527</b>	रु0 <b>178</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>30474</b>	रु0 <b>472</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>3962</b>	रु0 <b>31</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>1650</b>	रु0 <b>10</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>5612</b>	रु0 <b>41</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>36086</b>	रु0 <b>513</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **165.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-4/9** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

श्रीमती साक्षी गुप्ता पुत्री श्री राजेश कुमार गुप्ता  
निवासी-वाच हाउस, रेती का पुल,  
सदर, गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **481** दिनांक **09.01.2006** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-4/9** से. **22** क्षे. **136.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव		लीज रेन्ट	
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>41155</b>	रु0	<b>806</b>	
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>42414</b>	रु0	<b>486</b>	
योग (अ)	रु0	<b>83569</b>	रु0	<b>1292</b>	

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>10864</b>	रु0	<b>85</b>	
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>4488</b>	रु0	<b>27</b>	
योग (ब)	रु0	<b>15352</b>	रु0	<b>112</b>	
महायोग (अ एवं ब)	रु0	<b>98921</b>	रु0	<b>1404</b>	


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **449.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।



पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-5/5** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री अच्छेलाल कसौधन पुत्र स्व० नन्दलाल कसौधन**  
**घघसरा बाजार ( मंझरिया ),**  
**तहसील-सहजनवाँ,**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **478** दिनांक **09.01.2006** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-5/5** से. **22** क्षे. **144.50** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु०	<b>0</b>	रु० <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>-497</b>	रु० <b>-412</b>
<b>योग (अ)</b>	रु०	<b>-497</b>	रु० <b>-412</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु०	<b>0</b>	रु० <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>4769</b>	रु० <b>29</b>
<b>योग (ब)</b>	रु०	<b>4769</b>	रु० <b>29</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु०	<b>4272</b>	रु० <b>-383</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **477.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-6/3** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री बिपिन चन्द्र चतुर्वेदी पुत्र श्री रघुवंश मणि चतुर्वेदी**  
**निवासी-53ए, बुद्ध विहार, तारामण्डल, सिद्धार्थ इन्कलेव एसओ,**  
**गोरखपुर-273017**

आवंटन पत्र संख्या **490** दिनांक **09.01.2006** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-6/3** से. **22** क्षे. **600.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-369	रु0
<b>योग (अ)</b>	रु0	-369	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	19800	रु0
<b>योग (ब)</b>	रु0	19800	रु0
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	19431	रु0

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **1980.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. B-5/6 / से. 22 / 2023-24 दिनांक

श्री प्रवीण कुमार गुप्त पुत्र श्री छेदी लाल गुप्त  
निवासी-ग्राम-केशवपुर, वार्ड संख्या-9,  
तहसील-सहजनवाँ,  
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या 479 दिनांक 09.01.2006 के माध्यम से गीडा की ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. B-5/6 से. 22 क्षे. 144.50 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	14608	रु0 164
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	30255	रु0 241
योग (अ)	रु0	44863	रु0 405

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	5832	रु0 27
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4769	रु0 29
योग (ब)	रु0	10601	रु0 56
महायोग (अ एवं ब)	रु0	55464	रु0 461


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 477.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-4/51** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

श्रीमती इरफाना बानो पत्नी श्री सहनवाज खान  
सर्वोदय नगर चिलमापुर  
रुस्तमपुर  
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **510** दिनांक **31.03.2006** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-4/51** से. **22** क्षे. **50.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>1115</b>	रु0 <b>3</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>5849</b>	रु0 <b>20</b>
योग (अ)	रु0	<b>6964</b>	रु0 <b>23</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>905</b>	रु0 <b>2</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>1650</b>	रु0 <b>10</b>
योग (ब)	रु0	<b>2555</b>	रु0 <b>12</b>
महायोग (अ एवं ब)	रु0	<b>9519</b>	रु0 <b>35</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **165.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-3/27** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

श्रीमती सुशीला देवी पत्नी श्री अनिल कुमार मोदनवाल  
नियामत चक,  
बाबीना रोड,  
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **512** दिनांक **31.03.2006** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-3/27** से. **22** क्षे. **55.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	0	रु0
योग (अ)	रु0	0	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1815	रु0	11
योग (ब)	रु0	1815	रु0	11
महायोग (अ एवं ब)	रु0	1815	रु0	11


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **182.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-5/19** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्रीमती मुराती देवी पत्नी श्री कैलाश नाथ यादव,**  
**ग्राम-बोकटा,**  
**पोस्ट-सहजनवाँ,**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **513** दिनांक **31.03.2006** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-5/19** से. **22** क्षे. **195.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	<u>रख-रखाव</u>		<u>लीज रेन्ट</u>	
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-757	रु0	-2
<b>योग (अ)</b>	रु0	-757	रु0	-2

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	6435	रु0	39
<b>योग (ब)</b>	रु0	6435	रु0	39
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	5678	रु0	37


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **644.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **C-3/13** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

श्रीमती डा0 मधु गुलाटी पत्नी डा0 राजीव गुलाटी  
बैंक रोड,  
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **519** दिनांक **16.01.2008** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **C-3/13** से. **22** क्षे. **180.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>2051</b>	रु0 <b>14</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>16365</b>	रु0 <b>87</b>
योग (अ)	रु0	<b>18416</b>	रु0 <b>101</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>2394</b>	रु0 <b>7</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>5940</b>	रु0 <b>36</b>
योग (ब)	रु0	<b>8334</b>	रु0 <b>43</b>
महायोग (अ एवं ब)	रु0	<b>26750</b>	रु0 <b>144</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **594.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. B-5/31 / से. 22 / 2023-24 दिनांक

श्रीमती विजय लक्ष्मी यादव पत्नी श्री राम सुमेर यादव  
निवासी-ग्राम-बड़वार,  
पोस्ट-कमासीन खूर्द, थाना-पनियरा,  
जिला-महाराजगंज।

आवंटन पत्र संख्या 535 दिनांक 16.01.2008 के माध्यम से गीडा की ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. B-5/31 से. 22 क्षे. 144.50 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	38395	रु0 672
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	43279	रु0 463
योग (अ)	रु0	81674	रु0 1135

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	10618	रु0 74
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4769	रु0 29
योग (ब)	रु0	15387	रु0 103
महायोग (अ एवं ब)	रु0	97061	रु0 1238


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 477.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।



पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **C-2/1** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्रीमती इन्दिरा सिंह पत्नी श्री राजमन सिंह**  
**ग्राम-कालेसर**  
**पोस्ट-सहजनवाँ**  
**जिला-गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **536** दिनांक **16.01.2008** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **C-2/1** से. **22** क्षे. **252.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>2957</b>	रु0 <b>3</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>23280</b>	रु0 <b>49</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>26237</b>	रु0 <b>52</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>3411</b>	रु0 <b>3</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>8316</b>	रु0 <b>50</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>11727</b>	रु0 <b>53</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>37964</b>	रु0 <b>105</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **832.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **C-3/4** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री भरत सिंह पुत्र श्री बुद्धिराम सिंह**  
**ग्राम-साथीपार**  
**पोस्ट-छपियाँ**  
**जिला-गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **525** दिनांक **16.01.2008** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **C-3/4** से. **22** क्षे. **180.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	<u>रख-रखाव</u>		<u>लीज रेन्ट</u>	
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	0	रु0	0
<b>योग (अ)</b>	<b>रु0</b>	<b>0</b>	<b>रु0</b>	<b>0</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5940	रु0	36
<b>योग (ब)</b>	<b>रु0</b>	<b>5940</b>	<b>रु0</b>	<b>36</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	<b>रु0</b>	<b>5940</b>	<b>रु0</b>	<b>36</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **594.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **C-3/5** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री लक्ष्मण सिंह पुत्र श्री नन्दलाल सिंह**  
**ग्राम-साथीपार,**  
**पोस्ट-छपियाँ**  
**जिला-गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **516** दिनांक **16.01.2008** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **C-3/5** से. **22** क्षे. **180.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	0	रु0
<b>योग (अ)</b>	रु0	0	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5940	रु0	36
<b>योग (ब)</b>	रु0	5940	रु0	36
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	5940	रु0	36

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **594.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **C-3/7** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री परशुराम मौर्या पुत्र श्री पराग मौर्या**  
**ग्राम व पोस्ट-कूरी बाजार, थाना-बेलघाट,**  
**तहसील-हरनही/खजनी,**  
**जिला-गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **524** दिनांक **16.01.2008** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **C-3/7** से. **22** क्षे. **180.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>0</b>	रु0 <b>1</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>5357</b>	रु0 <b>23</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>5357</b>	रु0 <b>24</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>696</b>	रु0 <b>2</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>5940</b>	रु0 <b>36</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>6636</b>	रु0 <b>38</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>11993</b>	रु0 <b>62</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **594.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-3/12** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

श्री अकील अहमद खॉन पुत्र स्व० इकबाल अहमद खॉन  
मोहल्ला-तुर्कमानपुर,  
निकट-रेमू कान्वेन्ट स्कूल,  
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **482** दिनांक **09.01.2006** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-3/12** से. **22** क्षे. **136.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु०	<b>7759</b>	रु० <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>23074</b>	रु० <b>-164</b>
योग (अ)	रु०	<b>30833</b>	रु० <b>-164</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु०	<b>4008</b>	रु० <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>4488</b>	रु० <b>27</b>
योग (ब)	रु०	<b>8496</b>	रु० <b>27</b>
महायोग (अ एवं ब)	रु०	<b>39329</b>	रु० <b>-137</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **449.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. C-1/12 / से. 22 / 2023-24 दिनांक

श्रीमती लवजारी देवी पत्नी श्री उमाशंकर सिंह  
ग्राम-सिरसिया गडाई उर्फ बरगदही  
पोस्ट-गुलरिया बाजार,  
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या 528 दिनांक 16.01.2008 के माध्यम से गीडा की ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. C-1/12 से. 22 क्षेत्र 162.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	43584	रु0 741
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	48520	रु0 511
योग (अ)	रु0	92104	रु0 1252

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	11974	रु0 82
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5346	रु0 32
योग (ब)	रु0	17320	रु0 114
महायोग (अ एवं ब)	रु0	109424	रु0 1366


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 535.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. C-1/11 / से. 22 / 2023-24 दिनांक

श्रीमती अनुराधा यादव पत्नी श्री अर्जुन यादव  
निवासी-452, अधियारीबांग,  
तहसील-सदर,  
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या 529 दिनांक 16.01.2008 के माध्यम से गीडा की ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. C-1/11 से. 22 क्षेत्र 162.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	26881	रु0 741
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	40820	रु0 511
योग (अ)	रु0	67701	रु0 1252

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	8801	रु0 82
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5346	रु0 32
योग (ब)	रु0	14147	रु0 114
महायोग (अ एवं ब)	रु0	81848	रु0 1366


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 535.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-5/38** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्रीमती माला सिंह पत्नी श्री अवध प्रताप सिंह**  
**एवं दिग्विजय सिंह पुत्र श्री सर्वदेव सिंह,**  
**ग्राम-सोलहवा, पोस्ट-कल्यानपुर,**  
**जिला-अम्बेडकर नगर।**

आवंटन पत्र संख्या **531** दिनांक **16.01.2008** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-5/38** से. **22** क्षे. **50.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>4590</b>	रु0 <b>54</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>10110</b>	रु0 <b>80</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>14700</b>	रु0 <b>134</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>1911</b>	रु0 <b>9</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>1650</b>	रु0 <b>10</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>3561</b>	रु0 <b>19</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>18261</b>	रु0 <b>153</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **165.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**



पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **C-3/11** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्रीमती सावित्री राय पत्नी श्री अनिरुद्ध राय**  
**महेवा चौराहा, राय कालोनी,**  
**टी0 पी0 नगर,**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **517** दिनांक **16.01.2008** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **C-3/11** से. **22** क्षे. **180.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>48428</b>	रु0 <b>835</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>53911</b>	रु0 <b>575</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>102339</b>	रु0 <b>1410</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>13304</b>	रु0 <b>92</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>5940</b>	रु0 <b>36</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>19244</b>	रु0 <b>128</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>121583</b>	रु0 <b>1538</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **594.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **C-3/3** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री गोरख सिंह पुत्र श्री नर्वदा सिंह**  
**ग्राम-रामूडीहा**  
**पोस्ट-सोनबरसा बाजार,**  
**जिला-गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **515** दिनांक **16.01.2008** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **C-3/3** से. **22** क्षे. **180.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>11309</b>	रु0 <b>48</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>31824</b>	रु0 <b>156</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>43133</b>	रु0 <b>204</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>5607</b>	रु0 <b>13</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>5940</b>	रु0 <b>36</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>11547</b>	रु0 <b>49</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>54680</b>	रु0 <b>253</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **594.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-4/34** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री सूर्यभान पुत्र श्री रामदवन**  
**निवासी-09, ग्राम-मढ़ई,**  
**पोस्ट-भीटीरावत, सहजनवाँ,**  
**जिला-गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **530** दिनांक **16.01.2008** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-4/34** से. **22** क्षे. **50.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>567</b>	रु0 <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>4219</b>	रु0 <b>-14</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>4786</b>	रु0 <b>-14</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>622</b>	रु0 <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>1650</b>	रु0 <b>10</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>2272</b>	रु0 <b>10</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>7058</b>	रु0 <b>-4</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **165.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-4/33** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री रविन्द्र कुमार पुत्र स्व० सीताराम**  
**ग्राम-जिगिना**  
**पोस्ट-सहजनवाँ,**  
**जिला-गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **532** दिनांक **16.01.2008** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-4/33** से. **22** क्षे. **50.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु०	<b>13457</b>	रु० <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>14975</b>	रु० <b>-39</b>
<b>योग (अ)</b>	रु०	<b>28432</b>	रु० <b>-39</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु०	<b>3696</b>	रु० <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>1650</b>	रु० <b>10</b>
<b>योग (ब)</b>	रु०	<b>5346</b>	रु० <b>10</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु०	<b>33778</b>	रु० <b>-29</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **165.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. B-8/15 / से. 22 / 2023-24 दिनांक

मैसर्स ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि०  
द्वारा श्री राम औतार दिनोदिया  
रीजनल मैनेजर  
बैंक रोड, गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या 537 दिनांक 16.01.2008 के माध्यम से गीडा की ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. B-8/15 से. 22 क्षे. 449.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	120800	रु० 353
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	134479	रु० 636
योग (अ)	रु०	255279	रु० 989

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	33186	रु० 65
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	14817	रु० 90
योग (ब)	रु०	48003	रु० 155
महायोग (अ एवं ब)	रु०	303282	रु० 1144


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० 1482.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. C-3/1 / से. 22 / 2023-24 दिनांक

श्री शिवमंगल सिंह पुत्र श्री रामाज्ञा सिंह  
ग्राम-धनखिरिया तेतरिया,  
पोस्ट-घेचुआ,  
जिला-संत कबीर नगर

आवंटन पत्र संख्या 539 दिनांक 16.01.2008 के माध्यम से गीडा की ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. C-3/1 से. 22 क्षे. 311.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	20143	रु0 1438
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	55329	रु0 990
योग (अ)	रु0	75472	रु0 2428

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	9811	रु0 159
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	10263	रु0 62
योग (ब)	रु0	20074	रु0 221
महायोग (अ एवं ब)	रु0	95546	रु0 2649


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 1026.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **C-3/14** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री रामसावर सिंह पुत्र श्री देवीसरन सिंह,**  
**ग्राम-खरैला**  
**पोस्ट-पिपरौली बाजार,**  
**जिला-गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **540** दिनांक **16.01.2008** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **C-3/14** से. **22** क्षे. **311.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>1303</b>	रु0 <b>1438</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>18623</b>	रु0 <b>990</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>19926</b>	रु0 <b>2428</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>2590</b>	रु0 <b>159</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>10263</b>	रु0 <b>62</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>12853</b>	रु0 <b>221</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>32779</b>	रु0 <b>2649</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **1026.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-4/2** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री अभय कुमार मिश्र पुत्र श्री रघुवंश प्रसाद मिश्र**  
**निवासी-फूलवरिया निकट प्रकाश मेडिकल,**  
**नई शिवपुरी कालोनी,**  
**रुस्तमपुर, गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **599** दिनांक **02.03.2009** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-4/2** से. **22** क्षे. **148.75** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>14121</b>	रु0 <b>2</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>33117</b>	रु0 <b>24</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>47238</b>	रु0 <b>26</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>6141</b>	रु0 <b>2</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>4909</b>	रु0 <b>30</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>11050</b>	रु0 <b>32</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>58288</b>	रु0 <b>58</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **491.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**



पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **C-2/14** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री चन्द्रशेखर सिंह पुत्र श्री लाल चन्द सिंह**  
**ग्राम-हसनपुर, आई0पी0 एक्सटेन्सन,**  
**पहाडगंज,**  
**दिल्ली-110092**

आवंटन पत्र संख्या **591** दिनांक **02.03.2009** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **C-2/14** से. **22** क्षे. **190.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>44912</b>	रु0 <b>753</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>54345</b>	रु0 <b>564</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>99257</b>	रु0 <b>1317</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>12903</b>	रु0 <b>86</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>6270</b>	रु0 <b>38</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>19173</b>	रु0 <b>124</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>118430</b>	रु0 <b>1441</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **627.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **C-2/2** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री कृष्णभान सिंह पुत्र श्री पूर्णमासी सिंह**  
**ग्राम एवं पोस्ट-भूसवल,**  
**जिला-गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **554** दिनांक **02.03.2009** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **C-2/2** से. **22** क्षे. **190.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5247	रु0
<b>योग (अ)</b>	रु0	5247	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	682	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	6270	रु0
<b>योग (ब)</b>	रु0	6952	रु0
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	12199	रु0

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **627.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-3/21** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्रीमती गीता गुप्ता पत्नी श्री आदर्श गुप्ता,**  
**136- माया बाजार,**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **507** दिनांक **31.03.2006** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-3/21** से. **22** क्षे. **55.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>16437</b>	रु0 <b>318</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>17080</b>	रु0 <b>195</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>33517</b>	रु0 <b>513</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>4357</b>	रु0 <b>34</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>1815</b>	रु0 <b>11</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>6172</b>	रु0 <b>45</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>39689</b>	रु0 <b>558</b>

**नोट:- रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **182.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-5/29** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्रीमती गायत्री त्रिपाठी पत्नी श्री चर्तुभूज त्रिपाठी**  
**निवासी-ग्राम व पोस्ट-बड़गहन,**  
**थाना-सहजनवाँ,**  
**जिला-गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **506** दिनांक **31.03.2006** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-5/29** से. **22** क्षे. **63.50** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>174</b>	रु0 <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>3350</b>	रु0 <b>-22</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>3524</b>	रु0 <b>-22</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>458</b>	रु0 <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>2096</b>	रु0 <b>13</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>2554</b>	रु0 <b>13</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>6078</b>	रु0 <b>-9</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **210.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-4/1** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्रीमती प्रतिभा सिंह पत्नी श्री ब्रजेश सिंह**  
**सेमरी खान कोट,**  
**सिद्धार्थ नगर,**

आवंटन पत्र संख्या **498** दिनांक **29.03.2006** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-4/1** से. **22** क्षे. **69.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>1917</b>	रु0 <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>8949</b>	रु0 <b>-383</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>10866</b>	रु0 <b>-383</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>1413</b>	रु0 <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>2277</b>	रु0 <b>14</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>3690</b>	रु0 <b>14</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>14556</b>	रु0 <b>-369</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **228.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-3/35** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

श्री राजेन्द्र गुप्ता पुत्र श्री इन्द्रजीत गुप्ता  
ग्राम व पोस्ट-देसई,  
जिला-देवरिया।

आवंटन पत्र संख्या **505** दिनांक **31.03.2006** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-3/35** से. **22** क्षे. **55.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	रख-रखाव		लीज रेन्ट	
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1002	रु0	2
योग (अ)	रु0	1002	रु0	2

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	89	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1815	रु0	11
योग (ब)	रु0	1904	रु0	11
महायोग (अ एवं ब)	रु0	2906	रु0	13


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **182.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-1/3** / से. **23** / 2023-24 दिनांक

**श्रीमती फरह पत्नी श्री म्बारक अली**  
**निवासी-ग्राम व पोस्ट-चेतिया,**  
**थाना-मिश्रौलिया,**  
**जिला-सिद्धार्थनगर।**

आवंटन पत्र संख्या **504** दिनांक **31.03.2006** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-1/3** से. **23** क्षे. **164.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-394	रु0
<b>योग (अ)</b>	रु0	-394	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5412	रु0
<b>योग (ब)</b>	रु0	5412	रु0
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	5018	रु0

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **541.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-7/21** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्रीमती सावित्री देवी पत्नी श्री शिव प्रसाद**  
**ग्राम व पोस्ट-गाहासाड़,**  
**सहजनवाँ,**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **502** दिनांक **31.03.2006** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-7/21** से. **22** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	65	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	575	रु0
<b>योग (अ)</b>	<b>रु0</b>	<b>640</b>	<b>रु0</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	76	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5346	रु0
<b>योग (ब)</b>	<b>रु0</b>	<b>5422</b>	<b>रु0</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	<b>रु0</b>	<b>6062</b>	<b>रु0</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **535.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**



पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-4/20** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

श्री बाल कृष्ण पाठक पुत्र स्व० हरिकेश पाठक  
मोहल्ला-सर्वोदय नगर, पोस्ट-शिवपुरी कालोनी  
निकट बगहा बाबा का मंदिर  
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **501** दिनांक **31.03.2006** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-4/20** से. **22** क्षे. **50.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु०	<b>12042</b>	रु० <b>294</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>14400</b>	रु० <b>178</b>
योग (अ)	रु०	<b>26442</b>	रु० <b>472</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु०	<b>3437</b>	रु० <b>31</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>1650</b>	रु० <b>10</b>
योग (ब)	रु०	<b>5087</b>	रु० <b>41</b>
महायोग (अ एवं ब)	रु०	<b>31529</b>	रु० <b>513</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **165.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **C-4/1** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

श्रीमती राधिका देवी पत्नी श्री अवधेश यादव,  
ग्राम-पूरासपार  
पोस्ट-उनवल,  
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **541** दिनांक **16.01.2008** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **C-4/1** से. **22** क्षे. **70.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>11472</b>	रु0 <b>321</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>17554</b>	रु0 <b>223</b>
योग (अ)	रु0	<b>29026</b>	रु0 <b>544</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>3773</b>	रु0 <b>36</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>2310</b>	रु0 <b>14</b>
योग (ब)	रु0	<b>6083</b>	रु0 <b>50</b>
महायोग (अ एवं ब)	रु0	<b>35109</b>	रु0 <b>594</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **231.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. C-1/1 / से. 22 / 2023-24 दिनांक

श्री लक्ष्मीकान्त राय पुत्र श्री डी0एन0राय  
निवासी-33-कसया रोड, राय फर्टिलाइजर सेन्टर,  
बिलन्दपुर,  
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या 542 दिनांक 02.03.2009 के माध्यम से गीडा की ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. C-1/1 से. 22 क्षेत्र 1071.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	रख-रखाव		लीज रेन्ट	
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-17	रु0	-35
योग (अ)	रु0	-17	रु0	-35

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	35343	रु0	214
योग (ब)	रु0	35343	रु0	214
महायोग (अ एवं ब)	रु0	35326	रु0	179


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 3534.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **C-2/5** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

श्री राम दास यादव पुत्र श्री रामपति यादव  
निवासी-ग्राम-जोन्हिया  
पोस्ट-भीटी रावत,  
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **590** दिनांक **02.03.2009** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **C-2/5** से. **22** क्षे. **190.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>35208</b>	<b>753</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>49818</b>	<b>564</b>
योग (अ)	रु0	<b>85026</b>	<b>1317</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>11053</b>	<b>86</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>6270</b>	<b>38</b>
योग (ब)	रु0	<b>17323</b>	<b>124</b>
महायोग (अ एवं ब)	रु0	<b>102349</b>	<b>1441</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **627.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-4/4** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

श्रीमती निशा सिंह पत्नी श्री अजय सिंह  
निवासी-ग्राम-बरईपार तेतरिया  
पोस्ट-कोडरी, तहसील-सहजनवाँ,  
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **622** दिनांक **02.03.2009** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-4/4** से. **22** क्षे. **148.75** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>35163</b>	<b>594</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>42550</b>	<b>445</b>
योग (अ)	रु0	<b>77713</b>	<b>1039</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>10103</b>	<b>68</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>4909</b>	<b>30</b>
योग (ब)	रु0	<b>15012</b>	<b>98</b>
महायोग (अ एवं ब)	रु0	<b>92725</b>	<b>1137</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **491.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **C-1/1A** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स आर0 के0 लक्ष्मी जनरल सेल्स लि0  
द्वारा श्री रमाकान्त राय पुत्र श्री दीनानाथ राय,  
निवासी-मकान संख्या-92, 33-कसया रोड, गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **581** दिनांक **02.03.2009** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **C-1/1A** से. **22** क्षे. **924.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-4	रु0
योग (अ)	रु0	-4	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	30492	रु0
योग (ब)	रु0	30492	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	30488	रु0


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **3049.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **C-1/9** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**मैसर्स आर0 के0 लक्ष्मी जनरल सेल्स लि0 द्वारा निदेशक श्री लक्ष्मीकान्त पुत्र श्री दीनानाथ राय, निवासी-मकान संख्या-92, 33-कसया रोड, गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **579** दिनांक **02.03.2009** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **C-1/9** से. **22** क्षे. **180.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>0</b>	रु0 <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>-13</b>	रु0 <b>-31</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>-13</b>	रु0 <b>-31</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>0</b>	रु0 <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>5940</b>	रु0 <b>36</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>5940</b>	रु0 <b>36</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>5927</b>	रु0 <b>5</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **594.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **C-1/8** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स आर० के० लक्ष्मी जनरल सेल्स लि० निदेशक श्री रमाकान्त राय  
पुत्र श्री दीनानाथ राय, निवासी-मकान संख्या-92, 33-कसया रोड,  
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **580** दिनांक **02.03.2009** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना  
के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **C-1/8** से. **22** क्षे. **180.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव  
शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	<u>रख-रखाव</u>		<u>लीज रेन्ट</u>	
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु०	<b>0</b>	रु०	<b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>-35</b>	रु०	<b>-22</b>
<b>योग (अ)</b>	रु०	<b>-35</b>	रु०	<b>-22</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु०	<b>0</b>	रु०	<b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>5940</b>	रु०	<b>36</b>
<b>योग (ब)</b>	रु०	<b>5940</b>	रु०	<b>36</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु०	<b>5905</b>	रु०	<b>14</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **594.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।



पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-4/26** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्रीमती शारदा देवी पत्नी श्री रणजीत सिंह**  
**ग्राम-बवन्दरा,**  
**पोस्ट-सहजनवाँ,**  
**जिला-गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **493** दिनांक **28.03.2006** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-4/26** से. **22** क्षे. **50.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	<u>रख-रखाव</u>		<u>लीज रेन्ट</u>	
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-449	रु0	-289
<b>योग (अ)</b>	रु0	-449	रु0	-289

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1650	रु0	10
<b>योग (ब)</b>	रु0	1650	रु0	10
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	1201	रु0	-279

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **165.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-5/2** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री दीप नारायण पुत्र श्री अखिलेश यादव**  
**ग्राम-मुहम्मदपुर ( माफी )**  
**पोस्ट-जगत बेला,**  
**जिला-गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **492** दिनांक **28.03.2006** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-5/2** से. **22** क्षे. **144.50** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>33</b>	रु0 <b>2</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>3901</b>	रु0 <b>30</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>3934</b>	रु0 <b>32</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>511</b>	रु0 <b>2</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>4769</b>	रु0 <b>29</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>5280</b>	रु0 <b>31</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>9214</b>	रु0 <b>63</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **477.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **C-2/18** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री मंजूर अली पुत्र श्री सिद्धिक अली**  
**ग्राम एवं पोस्ट-जैतपुर,**  
**तहसील-सहजनवाँ**  
**जिला-गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **526** दिनांक **16.01.2008** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **C-2/18** से. **22** क्षे. **180.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>43340</b>	रु0 <b>835</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>51834</b>	रु0 <b>575</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>95174</b>	रु0 <b>1410</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>12373</b>	रु0 <b>92</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>5940</b>	रु0 <b>36</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>18313</b>	रु0 <b>128</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>113487</b>	रु0 <b>1538</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **594.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-7/16** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्रीमती शाबरा खातून पत्नी श्री अब्दुल जब्बार**  
**ग्राम-सहसी,**  
**पोस्ट-हरदी चौक**  
**जिला-गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **527** दिनांक **16.01.2008** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-7/16** से. **22** क्षे. **162.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>		<u>लीज रेन्ट</u>	
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>1892</b>	रु0	<b>18</b>	
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>14809</b>	रु0	<b>91</b>	
<b>योग (अ)</b>	<b>रु0</b>	<b>16701</b>	<b>रु0</b>	<b>109</b>	

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>2171</b>	रु0	<b>7</b>	
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>5346</b>	रु0	<b>32</b>	
<b>योग (ब)</b>	<b>रु0</b>	<b>7517</b>	<b>रु0</b>	<b>39</b>	
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	<b>रु0</b>	<b>24218</b>	<b>रु0</b>	<b>148</b>	


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **535.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-5/36** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्रीमती कंचन सिंह पत्नी श्री रमेश**  
**निवासी-97क, इन्दिरा नगर,**  
**बिलन्दपुर,**  
**जिला-गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **534** दिनांक **16.01.2008** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-5/36** से. **22** क्षे. **98.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>93</b>	रु0 <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>4588</b>	रु0 <b>-64</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>4681</b>	रु0 <b>-64</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>609</b>	रु0 <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>3234</b>	रु0 <b>20</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>3843</b>	रु0 <b>20</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>8524</b>	रु0 <b>-44</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **323.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-5/37** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्रीमती ज्योति सिंह पत्नी श्री हेमन्त सिंह**  
**द्वारा श्री जितेन्द्र बहादुर सिंह**  
**प्लॉट नं०-5, लोहियानगर, आशापुर, सारनाथ,**  
**वाराणसी।**

आवंटन पत्र संख्या **533** दिनांक **16.01.2008** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-5/37** से. **22** क्षे. **80.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु०	<b>7423</b>	रु० <b>69</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>16244</b>	रु० <b>119</b>
<b>योग (अ)</b>	रु०	<b>23667</b>	रु० <b>188</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु०	<b>3077</b>	रु० <b>12</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>2640</b>	रु० <b>16</b>
<b>योग (ब)</b>	रु०	<b>5717</b>	रु० <b>28</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु०	<b>29384</b>	रु० <b>216</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **264.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **C-3/10** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री सूरज राय पुत्र स्व० चन्द्रदेव राय**  
**एवं श्रीमती मिथलेश राय पत्नी श्री आर० डी० राय**  
**28-नेशनल हाइवे रोड,, ट्रांसपोर्ट नगर,**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **522** दिनांक **16.01.2008** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **C-3/10** से. **22** क्षे. **180.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु०	<b>38011</b>	रु० <b>197</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>49464</b>	रु० <b>296</b>
<b>योग (अ)</b>	रु०	<b>87475</b>	रु० <b>493</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु०	<b>11372</b>	रु० <b>32</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>5940</b>	रु० <b>36</b>
<b>योग (ब)</b>	रु०	<b>17312</b>	रु० <b>68</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु०	<b>104787</b>	रु० <b>561</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **594.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **C-3/12** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री रुपेश कुमार मन्देशिया पुत्र श्री देवीलाल**  
**निवासी-पिपरौली**  
**भौवापार,**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **523** दिनांक **16.01.2008** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **C-3/12** से. **22** क्षे. **180.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>34</b>	रु0 <b>1</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>4604</b>	रु0 <b>22</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>4638</b>	रु0 <b>23</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>603</b>	रु0 <b>11</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>5940</b>	रु0 <b>36</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>6543</b>	रु0 <b>47</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>11181</b>	रु0 <b>70</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **594.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**



पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-2/24** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

श्री संजय कुमार गुप्ता पुत्र श्री राधारमण गुप्ता  
हजारीपुर  
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **538** दिनांक **16.01.2008** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-2/24** से. **22** क्षे. **55.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	रख-रखाव		लीज रेन्ट	
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-152	रु0	-874
योग (अ)	रु0	-152	रु0	-874

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1815	रु0	11
योग (ब)	रु0	1815	रु0	11
महायोग (अ एवं ब)	रु0	1663	रु0	-863

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **182.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **C-3/6** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्रीमती सुमन सिंह पत्नी श्री विनोद कुमार सिंह व श्रीमती बादामी देवी**  
**कचहरी चौक,**  
**मेन रोड, सहजनवाँ,**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **521** दिनांक **16.01.2008** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **C-3/6** से. **22** क्षे. **180.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>4315</b>	रु0 <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>21768</b>	रु0 <b>-28</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>26083</b>	रु0 <b>-28</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>3391</b>	रु0 <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>5940</b>	रु0 <b>36</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>9331</b>	रु0 <b>36</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>35414</b>	रु0 <b>8</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **594.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **C-3/2** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्रीमती संध्या देवी पत्नी श्री रामबदन यादव**  
**थाना-सहजनवाँ चौराहा**  
**जिला-गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **518** दिनांक **16.01.2008** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **C-3/2** से. **22** क्षे. **180.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>3900</b>	रु0 <b>55</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>22178</b>	रु0 <b>169</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>26078</b>	रु0 <b>224</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>3390</b>	रु0 <b>15</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>5940</b>	रु0 <b>36</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>9330</b>	रु0 <b>51</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>35408</b>	रु0 <b>275</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **594.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **C-3/9** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स कामना कंचन ट्रांसपोर्ट द्वारा श्री रवीन्द्र प्रताप सिंह  
श्री महेन्द्र यादव एवं श्रीमती लालती देवी, निवासी-ग्राम-केशोपुर,  
(तहसील रोड), सहजनवाँ,  
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **514** दिनांक **16.01.2008** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना  
के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **C-3/9** से. **22** क्षे. **180.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव  
शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	<u>रख-रखाव</u>		<u>लीज रेन्ट</u>	
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4569	रु0	-34
योग (अ)	रु0	4569	रु0	-34

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	594	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5940	रु0	36
योग (ब)	रु0	6534	रु0	36
महायोग (अ एवं ब)	रु0	11103	रु0	2

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **594.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **C-3/8** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्रीमती मधुबाला देवी पत्नी श्री रविन्द्र यादव**  
**ग्राम-भपसा**  
**पोस्ट-सहजनवाँ,**  
**जिला-गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **520** दिनांक **16.01.2008** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **C-3/8** से. **22** क्षे. **180.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>8477</b>	रु0 <b>72</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>28405</b>	रु0 <b>188</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>36882</b>	रु0 <b>260</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>4795</b>	रु0 <b>17</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>5940</b>	रु0 <b>36</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>10735</b>	रु0 <b>53</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>47617</b>	रु0 <b>313</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **594.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **C-2/13** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री बच्चा सिंह पुत्र श्री लाल चन्द सिंह**  
**ग्राम-भूखण्ड संख्या बी-7/11,**  
**न्यू ट्रांसपोर्ट नगर,**  
**गीडा, गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **592** दिनांक **02.03.2009** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **C-2/13** से. **22** क्षे. **190.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>44912</b>	रु0 <b>753</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>54345</b>	रु0 <b>564</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>99257</b>	रु0 <b>1317</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>12903</b>	रु0 <b>86</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>6270</b>	रु0 <b>38</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>19173</b>	रु0 <b>124</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>118430</b>	रु0 <b>1441</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **627.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **C-6/3** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

श्रीमती रत्ना सिंह पत्नी श्री सुनील सिंह  
निवासी-मो0 दीवान बाजार, मकान संख्या-179  
निकट काली मंदिर,  
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **552** दिनांक **02.03.2009** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **C-6/3** से. **22** क्षे. **48.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>671</b>	<b>रु0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>4192</b>	<b>रु0</b>
योग (अ)	रु0	<b>4863</b>	<b>रु0</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>632</b>	<b>रु0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>1584</b>	<b>रु0</b>
योग (ब)	रु0	<b>2216</b>	<b>रु0</b>
महायोग (अ एवं ब)	रु0	<b>7079</b>	<b>रु0</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **158.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **C-1/1B** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री राजेश कुमार सिंह पुत्र स्व० राम ललित सिंह**  
**ए-126, आवास विकास कालोनी,**  
**शाहपुर,**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **582** दिनांक **02.03.2009** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **C-1/1B** से. **22** क्षे. **924.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु०	<b>0</b>	रु० <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>-1924</b>	रु० <b>3</b>
<b>योग (अ)</b>	रु०	<b>-1924</b>	रु० <b>3</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु०	<b>0</b>	रु० <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>30492</b>	रु० <b>185</b>
<b>योग (ब)</b>	रु०	<b>30492</b>	रु० <b>185</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु०	<b>28568</b>	रु० <b>188</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **3049.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**



पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. C-1/2 / से. 22 / 2023-24 दिनांक

श्रीमती रीना सिंह पत्नी श्री राकेश कुमार सिंह  
निवासी-ए-126, आवास विकास कालोनी,  
शाहपुर,  
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या 584 दिनांक 02.03.2009 के माध्यम से गीडा की ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. C-1/2 से. 22 क्षे. 1071.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-2246	रु0
योग (अ)	रु0	-2246	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	35343	रु0
योग (ब)	रु0	35343	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	33097	रु0


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 3534.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. C-4/6 / से. 22 / 2023-24 दिनांक

श्री अरविन्द कुमार मल्ल पुत्र श्री नरसिंह मल्ल  
विल्सन इलेक्ट्रिक, कृषि सेवा आश्रम के सामने,  
राजेन्द्र नगर पूर्वी, पोस्ट-गोरखनाथ,  
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या 551 दिनांक 02.03.2009 के माध्यम से गीडा की ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. C-4/6 से. 22 क्षे. 50.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	रख-रखाव		लीज रेन्ट	
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-825	रु0	25
योग (अ)	रु0	-825	रु0	25

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1650	रु0	10
योग (ब)	रु0	1650	रु0	10
महायोग (अ एवं ब)	रु0	825	रु0	35

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 165.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **C-5/8** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्रीमती मीनू देवी कृशवाहा पत्नी श्री छेदी लाल**  
**अमन इंजीनियरिंग वर्क्स**  
**ट्रांसपोर्ट नगर,**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **562** दिनांक **02.03.2009** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **C-5/8** से. **22** क्षे. **205.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>48457</b>	रु0 <b>811</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>58636</b>	रु0 <b>608</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>107093</b>	रु0 <b>1419</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>13922</b>	रु0 <b>93</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>6765</b>	रु0 <b>41</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>20687</b>	रु0 <b>134</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>127780</b>	रु0 <b>1553</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **677.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **C-6/2** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी पुत्र स्व० टी० डी० चौधरी,  
शिवाजी नगर (रानी बाग)  
नई शिवपुरी कालोनी,  
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **566** दिनांक **02.03.2009** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **C-6/2** से. **22** क्षे. **48.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	रख-रखाव		लीज रेन्ट	
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु०	<b>0</b>	रु०	<b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>261</b>	रु०	<b>-22</b>
योग (अ)	रु०	<b>261</b>	रु०	<b>-22</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु०	<b>1</b>	रु०	<b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>1584</b>	रु०	<b>10</b>
योग (ब)	रु०	<b>1585</b>	रु०	<b>10</b>
महायोग (अ एवं ब)	रु०	<b>1846</b>	रु०	<b>-12</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **158.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **C-6/7** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री दिलीप कुमार पुत्र श्री कन्हैया लाल**  
**ग्राम-सहबाजगंज,**  
**पोस्ट-सहजनवाँ,**  
**जिला-गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **564** दिनांक **02.03.2009** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **C-6/7** से. **22** क्षे. **48.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-19	रु0
<b>योग (अ)</b>	रु0	-19	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1584	रु0
<b>योग (ब)</b>	रु0	1584	रु0
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	1565	रु0


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **158.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. C-6/6 / से. 22 / 2023-24 दिनांक

श्रीमती कविता पत्नी श्री अजय कुमार  
ग्राम-रानीपार  
पोस्ट-भरसाड़  
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या 543 दिनांक 02.03.2009 के माध्यम से गीडा की ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. C-6/6 से. 22 क्षे. 48.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	11344	रु0 198
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	13729	रु0 148
योग (अ)	रु0	25073	रु0 346

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	3259	रु0 23
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1584	रु0 10
योग (ब)	रु0	4843	रु0 33
महायोग (अ एवं ब)	रु0	29916	रु0 379


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 158.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **C-5/19** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

श्री शेषनाथ पुत्र श्री राम नयन  
ग्राम एवं पोस्ट-घघसरा,  
तहसील-सहजनवाँ,  
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **548** दिनांक **02.03.2009** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **C-5/19** से. **22** क्षे. **205.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>516</b>	<b>रु0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>13124</b>	<b>रु0</b>
योग (अ)	रु0	<b>13640</b>	<b>रु0</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>1773</b>	<b>रु0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>6765</b>	<b>रु0</b>
योग (ब)	रु0	<b>8538</b>	<b>रु0</b>
महायोग (अ एवं ब)	रु0	<b>22178</b>	<b>रु0</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **677.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **C-5/2** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्रीमती बासमती देवी पत्नी श्री राम चन्द्र सिंह**  
**ग्राम व पोस्ट-लखनापार,**  
**वाया सहजनवाँ,**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **598** दिनांक **02.03.2009** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **C-5/2** से. **22** क्षे. **205.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>12105</b>	रु0 <b>101</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>35206</b>	रु0 <b>234</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>47311</b>	रु0 <b>335</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>6150</b>	रु0 <b>22</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>6765</b>	रु0 <b>41</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>12915</b>	रु0 <b>63</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>60226</b>	रु0 <b>398</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **677.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**



पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **C-5/17** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

श्री शेषनाथ पुत्र स्व० सुकाल  
निवासी-राजीव नगर कालोनी,  
403-डी, बशारतपुर पश्चिमी,  
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **557** दिनांक **02.03.2009** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **C-5/17** से. **22** क्षे. **205.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु०	<b>0</b>	<b>रु० 11</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>696</b>	<b>रु० 84</b>
योग (अ)	रु०	<b>696</b>	<b>रु० 95</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु०	<b>67</b>	<b>रु० 6</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>6765</b>	<b>रु० 41</b>
योग (ब)	रु०	<b>6832</b>	<b>रु० 47</b>
महायोग (अ एवं ब)	रु०	<b>7528</b>	<b>रु० 142</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **677.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **C-5/16** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

श्रीमती सुशीला यादव पत्नी श्री राम नारायण यादव,  
निवासी-मकान संख्या-18ख, भरवलिया ब्रजूर,  
सिद्धार्थ नगर कालोनी, तारा मण्डल रोड, थाना-खोराब  
र, गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **558** दिनांक **02.03.2009** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **C-5/16** से. **22** क्षे. **251.12** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	<u>रख-रखाव</u>		<u>लीज रेन्ट</u>	
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-471	रु0	-22
योग (अ)	रु0	-471	रु0	-22

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	8287	रु0	50
योग (ब)	रु0	8287	रु0	50
महायोग (अ एवं ब)	रु0	7816	रु0	28

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **829.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. C-1/3 / से. 22 / 2023-24 दिनांक

श्री आनन्द कुमार दूबे पुत्र श्री त्रियुगी नारायण दूबे,  
निवासी-मकान संख्या-216यू, गायत्री सदन, महुईसुधरपुर पश्चिमी,  
पोस्ट-शिवपुरी नई कालोनी, रुस्तमपुर,  
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या 587 दिनांक 02.03.2009 के माध्यम से गीडा की ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. C-1/3 से. 22 क्षेत्र 153.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	542	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	8985	रु0
योग (अ)	रु0	9527	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	1239	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5049	रु0
योग (ब)	रु0	6288	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	15815	रु0


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 505.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **C-4/2** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

श्री राजीव रंजन शर्मा पुत्र श्री नारायण शर्मा  
यूनिवर्सल इन्जीनियरिंग वर्क्स,  
दुकान संख्या-15, नवीन ट्रांसपोर्ट नगर,  
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **571** दिनांक **02.03.2009** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **C-4/2** से. **22** क्षे. **50.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	<u>रख-रखाव</u>		<u>लीज रेन्ट</u>	
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-103	रु0	-195
योग (अ)	रु0	-103	रु0	-195

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1650	रु0	10
योग (ब)	रु0	1650	रु0	10
महायोग (अ एवं ब)	रु0	1547	रु0	-185

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **165.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-7/3** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

श्री प्रमोद गुप्ता पुत्र स्व० पुरुषोत्तम चन्द गुप्ता  
निवासी-बिल्डिंग नं० ए-1, फ्लैट नं० ए-14, श्री कृष्णा को०हा०  
निकट अम्बर होटल शहाड (वेस्ट)  
जिला-थाणे, कल्याण-421103

आवंटन पत्र संख्या **559** दिनांक **02.03.2009** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-7/3** से. **22** क्षे. **144.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	<u>रख-रखाव</u>		<u>लीज रेन्ट</u>	
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु०	<b>0</b>	रु०	<b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>-294</b>	रु०	<b>-69</b>
योग (अ)	रु०	<b>-294</b>	रु०	<b>-69</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु०	<b>0</b>	रु०	<b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>4752</b>	रु०	<b>29</b>
योग (ब)	रु०	<b>4752</b>	रु०	<b>29</b>
महायोग (अ एवं ब)	रु०	<b>4458</b>	रु०	<b>-40</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **475.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **C-6/11** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री अलाउद्दीन पुत्र श्री गयासुद्दीन**  
**मोहल्ला-चिलमापुर, पोस्ट-नई शिवपुरी कालोनी,**  
**105, ग्रेड मैरेज हाउस के पास, बड़गों,**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **560** दिनांक **02.03.2009** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **C-6/11** से. **22** क्षे. **48.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>161</b>	रु0 <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>2768</b>	रु0 <b>-219</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>2929</b>	रु0 <b>-219</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>381</b>	रु0 <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>1584</b>	रु0 <b>10</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>1965</b>	रु0 <b>10</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>4894</b>	रु0 <b>-209</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **158.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **C-6/4** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री रामदेव शर्मा पुत्र स्व० भोला शर्मा,**  
**निवासी-पुराना ट्रांसपोर्ट नगर,**  
**टाटा कम्पनी के पास,**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **568** दिनांक **02.03.2009** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **C-6/4** से. **22** क्षे. **48.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु०	<b>749</b>	रु० <b>5</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>4841</b>	रु० <b>29</b>
<b>योग (अ)</b>	रु०	<b>5590</b>	रु० <b>34</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु०	<b>727</b>	रु० <b>2</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>1584</b>	रु० <b>10</b>
<b>योग (ब)</b>	रु०	<b>2311</b>	रु० <b>12</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु०	<b>7901</b>	रु० <b>46</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **158.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **C-5/15** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री प्रदीप कुमार पुत्र श्री शिवपूजन**  
**निवासी-ग्राम-कटघर,**  
**पोस्ट-खजनी,**  
**जिला-गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **595** दिनांक **02.03.2009** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **C-5/15** से. **22** क्षे. **251.12** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	641	रु0
<b>योग (अ)</b>	रु0	641	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	68	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	8287	रु0
<b>योग (ब)</b>	रु0	8355	रु0
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	8996	रु0

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **829.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**



पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **C-4/4** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्रीमती कौशिल्या सिंह पत्नी श्री राम नगीना सिंह**  
**ग्राम-जूड़ियान**  
**पोस्ट-सहजनवाँ,**  
**जिला-गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **572** दिनांक **02.03.2009** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **C-4/4** से. **22** क्षे. **50.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>163</b>	रु0 <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>2849</b>	रु0 <b>-25</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>3012</b>	रु0 <b>-25</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>392</b>	रु0 <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>1650</b>	रु0 <b>10</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>2042</b>	रु0 <b>10</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>5054</b>	रु0 <b>-15</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **165.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **C-2/4** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री गोरख नारायण सिंह पुत्र श्री प्रेम नारायण सिंह**  
**मैसर्स प्रेम आटो सर्विस, बरगदवा,**  
**पोस्ट-मोहरीपुर,**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **577** दिनांक **02.03.2009** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **C-2/4** से. **22** क्षे. **190.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>44912</b>	रु0 <b>753</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>54345</b>	रु0 <b>564</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>99257</b>	रु0 <b>1317</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>12903</b>	रु0 <b>86</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>6270</b>	रु0 <b>38</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>19173</b>	रु0 <b>124</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>118430</b>	रु0 <b>1441</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **627.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-2/4** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

श्रीमती कुमारी पत्नी श्री मुन्शी  
निवासी-ग्राम-कूरमौल,  
तहसील-सहजनवाँ,  
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **616** दिनांक **02.03.2009** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-2/4** से. **22** क्षे. **148.75** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>3445</b>	रु0 <b>594</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>27313</b>	रु0 <b>445</b>
योग (अ)	रु0	<b>30758</b>	रु0 <b>1039</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>3998</b>	रु0 <b>68</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>4909</b>	रु0 <b>30</b>
योग (ब)	रु0	<b>8907</b>	रु0 <b>98</b>
महायोग (अ एवं ब)	रु0	<b>39665</b>	रु0 <b>1137</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **491.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **C-6/10** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री राशि दुल्लाह पुत्र श्री अब्दुल सत्तार**  
**ट्रांसपोर्ट नगर,**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **569** दिनांक **02.03.2009** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **C-6/10** से. **22** क्षे. **48.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>11344</b>	रु0 <b>198</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>13729</b>	रु0 <b>148</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>25073</b>	रु0 <b>346</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>3259</b>	रु0 <b>23</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>1584</b>	रु0 <b>10</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>4843</b>	रु0 <b>33</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>29916</b>	रु0 <b>379</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **158.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **C-6/9** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्रीमती राफिया खातून पत्नी श्री एकराम शाही**  
**निवासी-न्यू कालोनी चिलमापुर,**  
**साकेत नगर,**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **570** दिनांक **02.03.2009** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **C-6/9** से. **22** क्षे. **48.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>523</b>	रु0 <b>5</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>4159</b>	रु0 <b>31</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>4682</b>	रु0 <b>36</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>609</b>	रु0 <b>2</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>1584</b>	रु0 <b>10</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>2193</b>	रु0 <b>12</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>6875</b>	रु0 <b>48</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **158.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **C-3/15** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्रीमती आबिदा खानम पत्नी श्री फारुक अब्दुल्ला**  
**गोरखपुर सलेमपुर ट्रांसपोर्ट**  
**लाल डिग्गी चौक,**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **544** दिनांक **02.03.2009** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **C-3/15** से. **22** क्षे. **310.50** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>66530</b>	रु0 <b>1229</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>85782</b>	रु0 <b>920</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>152312</b>	रु0 <b>2149</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>19801</b>	रु0 <b>141</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>10247</b>	रु0 <b>62</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>30048</b>	रु0 <b>203</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>182360</b>	रु0 <b>2352</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **1025.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **C-4/5** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री अखिलेश सिंह पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह**  
**91-मोहददीपुर**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **573** दिनांक **02.03.2009** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **C-4/5** से. **22** क्षे. **50.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>11815</b>	रु0 <b>198</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>14301</b>	रु0 <b>148</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>26116</b>	रु0 <b>346</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>3395</b>	रु0 <b>23</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>1650</b>	रु0 <b>10</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>5045</b>	रु0 <b>33</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>31161</b>	रु0 <b>379</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **165.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **C-4/8** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

श्री आफताब आलम पुत्र स्व० मोहम्मद सुलेमान अन्सारी  
अंसारी टैंकर्स  
बजीराबाद कालोनी, गोरखनाथ,  
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **574** दिनांक **02.03.2009** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **C-4/8** से. **22** क्षे. **50.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु०	<b>776</b>	<b>रु० 0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>5212</b>	<b>रु० -48</b>
योग (अ)	रु०	<b>5988</b>	<b>रु० -48</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु०	<b>778</b>	<b>रु० 0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>1650</b>	<b>रु० 10</b>
योग (ब)	रु०	<b>2428</b>	<b>रु० 10</b>
महायोग (अ एवं ब)	रु०	<b>8416</b>	<b>रु० -38</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **165.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।



पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **C-5/27** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री हमीर पाल पुत्र श्री लाल देवेन्द्र बहादुर पाल**  
**अपराजिता सी-178/315**  
**दाउदपुर,**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **596** दिनांक **02.03.2009** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **C-5/27** से. **22** क्षे. **205.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>48457</b>	रु0 <b>811</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>58636</b>	रु0 <b>608</b>
<b>योग (अ)</b>	<b>रु0</b>	<b>107093</b>	<b>रु0 1419</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>13922</b>	रु0 <b>93</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>6765</b>	रु0 <b>41</b>
<b>योग (ब)</b>	<b>रु0</b>	<b>20687</b>	<b>रु0 134</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	<b>रु0</b>	<b>127780</b>	<b>रु0 1553</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **677.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **C-3/17** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स मॉ वैष्णो एसोसिएट द्वारा श्री ब्रजेश प्रताप सिंह पुत्र स्व० अवध  
ग्राम-भगौरा, पोस्ट-सहजनवाँ, जिला-गोरखपुर एवं श्री ओम प्रकाश  
निवासी-ग्राम-बसिया, पोस्ट-सहजनवाँ,  
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **586** दिनांक **02.03.2009** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना  
के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **C-3/17** से. **22** क्षे. **180.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव  
शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु०	<b>1578</b>	रु० <b>3</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>9103</b>	रु० <b>39</b>
<b>योग (अ)</b>	रु०	<b>10681</b>	रु० <b>42</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु०	<b>1389</b>	रु० <b>3</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>5940</b>	रु० <b>36</b>
<b>योग (ब)</b>	रु०	<b>7329</b>	रु० <b>39</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु०	<b>18010</b>	रु० <b>81</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **594.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **C-3/19** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स मॉ आदि शक्ति एसोसिएट्स द्वारा श्री मनोज कुमार जायसवाल  
 नि०-वार्ड संख्या-8, सहजनवाँ बाजार, गोरखपुर एवं श्री अमित कुमार  
 नि०-वार्ड नं०-8, सहजनवाँ बाजार,  
 गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **553** दिनांक **02.03.2009** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना  
 के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **C-3/19** से. **22** क्षे. **180.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव  
 शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु०	<b>2510</b>	<b>रु० 1</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>17895</b>	<b>रु० 23</b>
<b>योग (अ)</b>	<b>रु०</b>	<b>20405</b>	<b>रु० 24</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु०	<b>2653</b>	<b>रु० 2</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>5940</b>	<b>रु० 36</b>
<b>योग (ब)</b>	<b>रु०</b>	<b>8593</b>	<b>रु० 38</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	<b>रु०</b>	<b>28998</b>	<b>रु० 62</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **594.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **C-2/7** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

श्रीमती पानमती पत्नी श्री राधेश्याम  
निवासी-ग्राम-मोहन पौहरिया, पोस्ट-बरैयाखास,  
तहसील-गोला,  
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **578** दिनांक **02.03.2009** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **C-2/7** से. **22** क्षे. **190.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>2633</b>	<b>रु0</b> <b>25</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>16530</b>	<b>रु0</b> <b>114</b>
योग (अ)	रु0	<b>19163</b>	<b>रु0</b> <b>139</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>2491</b>	<b>रु0</b> <b>9</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>6270</b>	<b>रु0</b> <b>38</b>
योग (ब)	रु0	<b>8761</b>	<b>रु0</b> <b>47</b>
महायोग (अ एवं ब)	रु0	<b>27924</b>	<b>रु0</b> <b>186</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **627.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **C-5/30** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्रीमती गीता शर्मा पत्नी श्री जय प्रकाश शर्मा**  
**ए विंग फ्लैट संख्या 1102, केशव श्रृष्टि**  
**मुरली मल्ल कम्पाउण्ड, एल0बी0एस0 मार्ग,**  
**मान्डूवेस्ट, मुम्बई-400078**

आवंटन पत्र संख्या **593** दिनांक **02.03.2009** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **C-5/30** से. **22** क्षे. **251.12** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-38	रु0
<b>योग (अ)</b>	रु0	-38	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	8287	रु0
<b>योग (ब)</b>	रु0	8287	रु0
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	8249	रु0


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **829.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **C-5/1** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री जय प्रकाश शर्मा पुत्र श्री राम नाथ शर्मा**  
**ए विंग फ्लैट नं0-1102, केशव श्रृष्टि**  
**मुरली मल्ल कम्पाउण्ड, एल0बी0एस0 मार्ग मान्डूवेस्ट**  
**मुम्बई-400078**

आवंटन पत्र संख्या **594** दिनांक **02.03.2009** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **C-5/1** से. **22** क्षे. **251.12** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-38	रु0
<b>योग (अ)</b>	रु0	-38	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	8287	रु0
<b>योग (ब)</b>	रु0	8287	रु0
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	8249	रु0

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **829.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. C-1/4 / से. 22 / 2023-24 दिनांक

श्री भागवत यादव पुत्र स्व० शिव कुमार यादव  
निवासी-ग्राम-गोरेडिह, तप्पा-भदेसरी, पोस्ट-महैता,  
तहसील-सहजनवाँ,  
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या 588 दिनांक 02.03.2009 के माध्यम से गीडा की ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. C-1/4 से. 22 क्षे. 153.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	36166	रु० 616
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	43762	रु० 460
योग (अ)	रु०	79928	रु० 1076

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	10391	रु० 71
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	5049	रु० 31
योग (ब)	रु०	15440	रु० 102
महायोग (अ एवं ब)	रु०	95368	रु० 1178

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० 505.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।



पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **C-5/29** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री राकेश कुमार जायसवाल पुत्र श्री हरिशंकर प्रसाद**  
**ग्राम एवं पोस्ट-घघसरा,**  
**सहजनवाँ,**  
**गोरखपुर, यू0पी0-273209**

आवंटन पत्र संख्या **547** दिनांक **02.03.2009** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **C-5/29** से. **22** क्षे. **205.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-942	रु0
<b>योग (अ)</b>	रु0	-942	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	6765	रु0
<b>योग (ब)</b>	रु0	6765	रु0
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	5823	रु0

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **677.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**



पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **C-2/8** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री सुखसागर सिंह पुत्र स्व0 ब्रह्मदेव सिंह**  
**निवासी-ग्राम एवं पोस्ट-गाहासाड़,**  
**तहसील-सहजनवाँ,**  
**जिला-गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **545** दिनांक **02.03.2009** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **C-2/8** से. **22** क्षे. **238.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>17397</b>	रु0 <b>181</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>44267</b>	रु0 <b>334</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>61664</b>	रु0 <b>515</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>8016</b>	रु0 <b>34</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>7854</b>	रु0 <b>48</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>15870</b>	रु0 <b>82</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>77534</b>	रु0 <b>597</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **785.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **C-6/1** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

श्रीमती नीलम यादव पत्नी स्व० रामशकल यादव  
निवासी-ग्राम-बोक्टा,  
पोस्ट एवं तहसील-सहजनवाँ,  
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **561** दिनांक **02.03.2009** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **C-6/1** से. **22** क्षे. **48.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	<u>रख-रखाव</u>		<u>लीज रेन्ट</u>	
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु०	<b>0</b>	रु०	<b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>-160</b>	रु०	<b>-57</b>
योग (अ)	रु०	<b>-160</b>	रु०	<b>-57</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु०	<b>0</b>	रु०	<b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>1584</b>	रु०	<b>10</b>
योग (ब)	रु०	<b>1584</b>	रु०	<b>10</b>
महायोग (अ एवं ब)	रु०	<b>1424</b>	रु०	<b>-47</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **158.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **C-3/28** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**मैसर्स सुगम परिवहन लि०**  
**निवासी-43-लेखराम रोड़,**  
**दरियागंज**  
**नई-दिल्ली।**

आवंटन पत्र संख्या **546** दिनांक **02.03.2009** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **C-3/28** से. **22** क्षे. **310.50** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु०	<b>0</b>	रु० <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>-1122</b>	रु० <b>-12</b>
<b>योग (अ)</b>	रु०	<b>-1122</b>	रु० <b>-12</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु०	<b>0</b>	रु० <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>10247</b>	रु० <b>62</b>
<b>योग (ब)</b>	रु०	<b>10247</b>	रु० <b>62</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु०	<b>9125</b>	रु० <b>50</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **1025.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **C-2/11** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री बल्लभ भाई पटेल पुत्र स्व० छत्रधारी यादव**  
**निवासी-ग्राम व पोस्ट-छपरा, तहसील-गोला,**  
**जिला-गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **589** दिनांक **02.03.2009** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **C-2/11** से. **22** क्षे. **190.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	<b>रु०</b>	<b>0</b>	<b>रु० 0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	<b>रु०</b>	<b>-2</b>	<b>रु० -2</b>
<b>योग (अ)</b>	<b>रु०</b>	<b>-2</b>	<b>रु० -2</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	<b>रु०</b>	<b>0</b>	<b>रु० 0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	<b>रु०</b>	<b>6270</b>	<b>रु० 38</b>
<b>योग (ब)</b>	<b>रु०</b>	<b>6270</b>	<b>रु० 38</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	<b>रु०</b>	<b>6268</b>	<b>रु० 36</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **627.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **C-3/16** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री गणेश कुमार पुत्र स्व० दयाशंकर**  
**निवासी-ग्राम-मंझरिया,**  
**पोस्ट-घघसरा,**  
**जिला-गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **597** दिनांक **02.03.2009** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **C-3/16** से. **22** क्षे. **180.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु०	<b>34424</b>	<b>715</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>47879</b>	<b>534</b>
<b>योग (अ)</b>	<b>रु०</b>	<b>82303</b>	<b>1249</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु०	<b>10699</b>	<b>82</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>5940</b>	<b>36</b>
<b>योग (ब)</b>	<b>रु०</b>	<b>16639</b>	<b>118</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	<b>रु०</b>	<b>98942</b>	<b>1367</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **594.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-4/12** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री लालजी चौधरी पुत्र स्व० टी०डी० चौधरी**  
**शिवाजी नगर (रानीबाग)**  
**नई शिवपुरी कालोनी,**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **604** दिनांक **02.03.2009** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-4/12** से. **22** क्षे. **187.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु०	<b>0</b>	रु० <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>-1123</b>	रु० <b>-183</b>
<b>योग (अ)</b>	रु०	<b>-1123</b>	रु० <b>-183</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु०	<b>0</b>	रु० <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>6171</b>	रु० <b>37</b>
<b>योग (ब)</b>	रु०	<b>6171</b>	रु० <b>37</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु०	<b>5048</b>	रु० <b>-146</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **617.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-2/8** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

श्री प्रवीन आनन्द पुत्र स्व० अमरनाथ आनन्द  
निवासी-मूहल्ला-बी-2, राम नगर कालोनी,  
मोहददीपुर,  
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **609** दिनांक **02.03.2009** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-2/8** से. **22** क्षे. **148.75** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु०	<b>9058</b>	<b>रु० 1</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>25861</b>	<b>रु० 16</b>
योग (अ)	रु०	<b>34919</b>	<b>रु० 17</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु०	<b>4539</b>	<b>रु० 1</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>4909</b>	<b>रु० 30</b>
योग (ब)	रु०	<b>9448</b>	<b>रु० 31</b>
महायोग (अ एवं ब)	रु०	<b>44367</b>	<b>रु० 48</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **491.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-2/12** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्रीमती शैलेश सिंह पत्नी श्री कन्हैया सिंह**  
**निवासी-ग्राम व पोस्ट-उनौला दोयम,**  
**तहसील-सदर, थाना-पिपराईच,**  
**जिला-गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **601** दिनांक **02.03.2009** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-2/12** से. **22** क्षे. **187.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>685</b>	रु0 <b>2</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>10658</b>	रु0 <b>38</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>11343</b>	रु0 <b>40</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>1475</b>	रु0 <b>3</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>6171</b>	रु0 <b>37</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>7646</b>	रु0 <b>40</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>18989</b>	रु0 <b>80</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **617.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**



पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-6/1** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री शेषमणि निषाद पुत्र श्री पांचू निषाद,**  
**निवासी-ग्राम व पोस्ट-बेलवाडाडी,**  
**जिला-गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **603** दिनांक **02.03.2009** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-6/1** से. **22** क्षे. **229.50** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>14723</b>	रु0 <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>40779</b>	रु0 <b>-670</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>55502</b>	रु0 <b>-670</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>7215</b>	रु0 <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>7574</b>	रु0 <b>46</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>14789</b>	रु0 <b>46</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>70291</b>	रु0 <b>-624</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **757.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. D-6/2 / से. 22 / 2023-24 दिनांक

श्रीमती मुन्नी पत्नी श्री राधेश्याम  
निवासी-मकान संख्या 56, ग्राम-कटया,  
थाना-बेलीपार,  
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या 602 दिनांक 02.03.2009 के माध्यम से गीडा की ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. D-6/2 से. 22 क्षे. 148.75 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	11536	रु0 594
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	28701	रु0 445
योग (अ)	रु0	40237	रु0 1039

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	5231	रु0 68
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4909	रु0 30
योग (ब)	रु0	10140	रु0 98
महायोग (अ एवं ब)	रु0	50377	रु0 1137

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 491.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-2/7** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्रीमती फूलवासी देवी पत्नी श्री बल्लभ भाई पटेल,**  
**निवासी-ग्राम व पोस्ट-छपरा,**  
**थाना-गगहा, तहसील-गोला,**  
**जिला-गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **610** दिनांक **02.03.2009** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-2/7** से. **22** क्षे. **148.75** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-3	रु0
<b>योग (अ)</b>	रु0	-3	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4909	रु0
<b>योग (ब)</b>	रु0	4909	रु0
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	4906	रु0


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **491.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-2/2** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

श्री अनिल कुमार पाल पुत्र श्री कुंज बिहारी  
निवासी-मूहल्ला-महई सुधरपुर (शक्तिनगर पश्चिमी)  
शिवपुरी कालोनी,  
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **615** दिनांक **02.03.2009** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-2/2** से. **22** क्षे. **148.75** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-30	रु0
योग (अ)	रु0	-30	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4909	रु0
योग (ब)	रु0	4909	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	4879	रु0

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **491.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-4/1** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

श्रीमती इन्दुमति निषाद पत्नी श्री ओम प्रकाश निषाद  
ग्राम-लबदहा,  
पोस्ट-रसोली  
जिला-महाराजगंज।

आवंटन पत्र संख्या **625** दिनांक **02.03.2009** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-4/1** से. **22** क्षे. **187.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>44204</b>	रु0 <b>733</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>53487</b>	रु0 <b>549</b>
योग (अ)	रु0	<b>97691</b>	रु0 <b>1282</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>12700</b>	रु0 <b>84</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>6171</b>	रु0 <b>37</b>
योग (ब)	रु0	<b>18871</b>	रु0 <b>121</b>
महायोग (अ एवं ब)	रु0	<b>116562</b>	रु0 <b>1403</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **617.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-2/1** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री ओम प्रकाश निषाद पुत्र श्री अदालत निषाद**  
**ग्राम-लबदहा,**  
**पोस्ट-कसौली**  
**जिला-महाराजगंज।**

आवंटन पत्र संख्या **624** दिनांक **02.03.2009** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-2/1** से. **22** क्षे. **187.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>44204</b>	रु0 <b>733</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>53487</b>	रु0 <b>549</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>97691</b>	रु0 <b>1282</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>12700</b>	रु0 <b>84</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>6171</b>	रु0 <b>37</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>18871</b>	रु0 <b>121</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>116562</b>	रु0 <b>1403</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **617.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-4/6** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्रीमती सुमन यादव पत्नी श्री अपूर्व यादव**  
**निवासी-90-एच, ग्रीन सीटी कालोनी, फेस-1, प्लाट संख्या-36,**  
**पट्टन, गोरखनाथ,**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **618** दिनांक **02.03.2009** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-4/6** से. **22** क्षे. **148.75** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>10496</b>	<b>67</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>27278</b>	<b>166</b>
<b>योग (अ)</b>	<b>रु0</b>	<b>37774</b>	<b>233</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>4911</b>	<b>15</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>4909</b>	<b>30</b>
<b>योग (ब)</b>	<b>रु0</b>	<b>9820</b>	<b>45</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	<b>रु0</b>	<b>47594</b>	<b>278</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **491.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. D-2/5 / से. 22 / 2023-24 दिनांक

श्रीमती प्रेमशीला बिरजू यादव पत्नी स्व० बिरजू ब्रह्म यादव  
द्वारा जय माँ दुर्गा चौल जानूपाड़ा, वैभव नगर, ठाकूर विलेज,  
कान्दिवली ईस्ट, मुम्बई,  
महाराष्ट्र।

आवंटन पत्र संख्या 619 दिनांक 02.03.2009 के माध्यम से गीडा की ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. D-2/5 से. 22 क्षे. 148.75 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-233	रु0
योग (अ)	रु0	-233	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4909	रु0
योग (ब)	रु0	4909	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	4677	रु0


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 491.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।



पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-4/9** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री अजय कुमार सिंह पुत्र श्री चन्द्रबली सिंह**  
**निवासी-ए-50, आवास विकास कालोनी, शाहपुर,**  
**पोस्ट-गीता वाटिका,**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **623** दिनांक **02.03.2009** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-4/9** से. **22** क्षे. **148.75** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-419	रु0
<b>योग (अ)</b>	रु0	-419	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4909	रु0
<b>योग (ब)</b>	रु0	4909	रु0
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	4491	रु0


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **491.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-2/3** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री सौरभ गुप्ता पुत्र श्री देवीशरण पाल**  
**निवासी-पिपरौली बाजार,**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **620** दिनांक **02.03.2009** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-2/3** से. **22** क्षे. **148.75** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>35163</b>	रु0 <b>594</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>42550</b>	रु0 <b>445</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>77713</b>	रु0 <b>1039</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>10103</b>	रु0 <b>68</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>4909</b>	रु0 <b>30</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>15012</b>	रु0 <b>98</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>92725</b>	रु0 <b>1137</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **491.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-6/3** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

श्रीमती संगीता पत्नी श्री विरेन्द्र  
निवासी-पिपरौली बूजर्ग,  
तहसील-सहजनवाँ,  
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **621** दिनांक **02.03.2009** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-6/3** से. **22** क्षे. **148.75** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>17931</b>	रु0 <b>211</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>33279</b>	रु0 <b>275</b>
योग (अ)	रु0	<b>51210</b>	रु0 <b>486</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>6657</b>	रु0 <b>32</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>4909</b>	रु0 <b>30</b>
योग (ब)	रु0	<b>11566</b>	रु0 <b>62</b>
महायोग (अ एवं ब)	रु0	<b>62776</b>	रु0 <b>548</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **491.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-4/5** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्रीमती बरसाती देवी पत्नी श्री निवास**  
**ग्राम-कालेसर**  
**सहजनवाँ**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **617** दिनांक **02.03.2009** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-4/5** से. **22** क्षे. **148.75** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>35163</b>	रु0 <b>594</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>42550</b>	रु0 <b>445</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>77713</b>	रु0 <b>1039</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>10103</b>	रु0 <b>68</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>4909</b>	रु0 <b>30</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>15012</b>	रु0 <b>98</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>92725</b>	रु0 <b>1137</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **491.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **C-2/6** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

श्री संदीप जायसवाल पुत्र स्व० श्याम सुन्दर जायसवाल  
निवासी-पूर्विलपुर, नेशनल मेडिकल स्टोर के पीछे,  
पोस्ट-गोलघर,  
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **614** दिनांक **02.03.2009** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **C-2/6** से. **22** क्षे. **190.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु०	<b>596</b>	<b>रु० 0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>10621</b>	<b>रु० -112</b>
योग (अ)	रु०	<b>11217</b>	<b>रु० -112</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु०	<b>1458</b>	<b>रु० 0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>6270</b>	<b>रु० 38</b>
योग (ब)	रु०	<b>7728</b>	<b>रु० 38</b>
महायोग (अ एवं ब)	रु०	<b>18945</b>	<b>रु० -74</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **627.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-2/10** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

श्री मो० शारिक आलम पुत्र स्व० नसीमा खातून पत्नी मो० सुलेमान  
निवासी-76/1, गली नं.-34, जाकिर नगर, जामिया नगर,  
दक्षिण दिल्ली  
दिल्ली-110025

आवंटन पत्र संख्या **611** दिनांक **02.03.2009** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना  
के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-2/10** से. **22** क्षे. **148.75** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव  
शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु०	<b>53</b>	<b>रु० 0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>-10</b>	<b>रु० -57</b>
योग (अ)	रु०	<b>43</b>	<b>रु० -57</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु०	<b>0</b>	<b>रु० 0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>4909</b>	<b>रु० 30</b>
योग (ब)	रु०	<b>4909</b>	<b>रु० 30</b>
महायोग (अ एवं ब)	रु०	<b>4952</b>	<b>रु० -27</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **491.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. D-2/9 / से. 22 / 2023-24 दिनांक

श्रीमती सकीना पत्नी श्री मजहर एहसान व श्रीमती साइस्ता पत्नी श्री  
ग्राम-डोल छपरा,  
सलेमपुर,  
देवरिया।

आवंटन पत्र संख्या 612 दिनांक 02.03.2009 के माध्यम से गीडा की ट्रांसपोर्ट नगर योजना  
के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. D-2/9 से. 22 क्षे. 148.75 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव  
शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-3	रु0
योग (अ)	रु0	-3	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4909	रु0	30
योग (ब)	रु0	4909	रु0	30
महायोग (अ एवं ब)	रु0	4906	रु0	21


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 491.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-2/6** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

श्री सुभाष तिवारी पुत्र स्व० राम अवध तिवारी  
इंदिरा नगर,  
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **613** दिनांक **02.03.2009** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-2/6** से. **22** क्षे. **148.75** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु०	<b>164</b>	<b>रु० 0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>4446</b>	<b>रु० -242</b>
<b>योग (अ)</b>	<b>रु०</b>	<b>4610</b>	<b>रु० -242</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु०	<b>599</b>	<b>रु० 0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>4909</b>	<b>रु० 30</b>
<b>योग (ब)</b>	<b>रु०</b>	<b>5508</b>	<b>रु० 30</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	<b>रु०</b>	<b>10118</b>	<b>रु० -212</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **491.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।



पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **C-3/18** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री जय सिंह यादव पुत्र स्व० रामनयन**  
**निवासी-ग्राम-हरसेवकपुर नं०-2 टोला लक्ष्मीपुर,**  
**पोस्ट-लक्ष्मीपुर बड़ा पोस्ट-बिछिया,**  
**जिला-गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **585** दिनांक **02.03.2009** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **C-3/18** से. **22** क्षे. **180.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु०	<b>0</b>	रु० <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>-22</b>	रु० <b>0</b>
<b>योग (अ)</b>	रु०	<b>-22</b>	रु० <b>0</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु०	<b>0</b>	रु० <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>5940</b>	रु० <b>36</b>
<b>योग (ब)</b>	रु०	<b>5940</b>	रु० <b>36</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु०	<b>5918</b>	रु० <b>36</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **594.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. C-1/6 / से. 22 / 2023-24 दिनांक

श्री संदीप सिंह पुत्र स्व० अमिश चन्द सिंह  
निवासी-स्मृति निवास, मकान संख्या-260,  
कौशलपुरम, बशारतपुर,  
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या 583 दिनांक 02.03.2009 के माध्यम से गीडा की ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. C-1/6 से. 22 क्षे. 180.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	4735	रु0 45
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	22491	रु0 151
योग (अ)	रु0	27226	रु0 196

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	3539	रु0 13
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5940	रु0 36
योग (ब)	रु0	9479	रु0 49
महायोग (अ एवं ब)	रु0	36705	रु0 245

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 594.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **C-2/10** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री इकबाल अहमद पुत्र स्व0 अब्दुल रहीम**  
**निवासी-कप्तानगंज**  
**जिला-कूशीनगर।**

आवंटन पत्र संख्या **563** दिनांक **02.03.2009** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **C-2/10** से. **22** क्षे. **238.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	6730	रु0
<b>योग (अ)</b>	रु0	6730	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	875	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	7854	रु0
<b>योग (ब)</b>	रु0	8729	रु0
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	15459	रु0

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **785.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **C-2/3** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री अनिल कुमार सिंह पुत्र श्री सुभाष सिंह**  
**ग्राम-खरैला, पोस्ट-पिपरौली बाजार,**  
**जिला-गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **555** दिनांक **02.03.2009** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **C-2/3** से. **22** क्षे. **190.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>80</b>	रु0 <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>6801</b>	रु0 <b>-251</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>6881</b>	रु0 <b>-251</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>895</b>	रु0 <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>6270</b>	रु0 <b>38</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>7165</b>	रु0 <b>38</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>14046</b>	रु0 <b>-213</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **627.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **C-4/7** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री दीन दयाल गिरि पुत्र स्व० राजमन गिरि**  
**(शिव मंदीर), पोस्ट-सदर,**  
**सिविल लाइन्स, गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **576** दिनांक **02.03.2009** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **C-4/7** से. **22** क्षे. **50.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु०	<b>0</b>	रु० <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>4043</b>	रु० <b>-44</b>
<b>योग (अ)</b>	रु०	<b>4043</b>	रु० <b>-44</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु०	<b>20</b>	रु० <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>1650</b>	रु० <b>10</b>
<b>योग (ब)</b>	रु०	<b>1670</b>	रु० <b>10</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु०	<b>5713</b>	रु० <b>-34</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **165.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **C-2/16** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्रीमती सुमन सिंह पत्नी श्री संजय कुमार सिंह**  
**ग्राम-सरैया**  
**पोस्ट-सहजनवाँ,**  
**जिला-गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **550** दिनांक **02.03.2009** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **C-2/16** से. **22** क्षे. **190.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>2644</b>	रु0 <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>16921</b>	रु0 <b>-66</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>19565</b>	रु0 <b>-66</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>2543</b>	रु0 <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>6270</b>	रु0 <b>38</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>8813</b>	रु0 <b>38</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>28378</b>	रु0 <b>-28</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **627.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **C-2/15** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्रीमती बिन्दू देवी पत्नी श्री कामाख्या लाल**  
**ग्राम-परसा उर्फ अगिलगहवा**  
**पोस्ट-ककरही, थाना व तहसील-गोला,**  
**जिला-गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **556** दिनांक **02.03.2009** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **C-2/15** से. **22** क्षे. **190.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>1482</b>	रु0 <b>15</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>17486</b>	रु0 <b>93</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>18968</b>	रु0 <b>108</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>2466</b>	रु0 <b>7</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>6270</b>	रु0 <b>38</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>8736</b>	रु0 <b>45</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>27704</b>	रु0 <b>153</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **627.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **C-2/12** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री छोटे लाल पुत्र श्री रुपनाथ**  
**निवासी-ग्राम-माडर, पोस्ट-पाली,**  
**बाया, सहजनवाँ,**  
**जिला-गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **549** दिनांक **02.03.2009** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **C-2/12** से. **22** क्षे. **190.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>15499</b>	रु0 <b>118</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>36891</b>	रु0 <b>241</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>52390</b>	रु0 <b>359</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>6811</b>	रु0 <b>24</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>6270</b>	रु0 <b>38</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>13081</b>	रु0 <b>62</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>65471</b>	रु0 <b>421</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **627.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**



पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **C-6/8** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री विनय कुमार गुप्ता पुत्र श्री देवी शरण  
पिपरौली,  
गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **567** दिनांक **02.03.2009** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **C-6/8** से. **22** क्षे. **48.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>7391</b>	रु0 <b>97</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>11520</b>	रु0 <b>107</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>18911</b>	रु0 <b>204</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>2458</b>	रु0 <b>13</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>1584</b>	रु0 <b>10</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>4042</b>	रु0 <b>23</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>22953</b>	रु0 <b>227</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **158.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. C-6/5 / से. 22 / 2023-24 दिनांक

श्रीमती आशा उपाध्याय पत्नी श्री नागेन्द्र उपाध्याय  
निवासी-ग्राम-परसनी कला,  
माहपुर,  
गाजीपुर।

आवंटन पत्र संख्या 565 दिनांक 02.03.2009 के माध्यम से गीडा की ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. C-6/5 से. 22 क्षे. 48.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	11344	रु0 198
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	13729	रु0 148
योग (अ)	रु0	25073	रु0 346

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	3259	रु0 23
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1584	रु0 10
योग (ब)	रु0	4843	रु0 33
महायोग (अ एवं ब)	रु0	29916	रु0 379

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 158.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-2/11** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री सुधीर विश्वकर्मा पुत्र श्री बृजराज विश्वकर्मा**  
**निवासी-भूखण्ड संख्या-21,**  
**न्यू ट्रांसपोर्ट नगर,**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **600** दिनांक **02.03.2009** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-2/11** से. **22** क्षे. **148.75** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>31294</b>	रु0 <b>594</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>40974</b>	रु0 <b>445</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>72268</b>	रु0 <b>1039</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>9395</b>	रु0 <b>68</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>4909</b>	रु0 <b>30</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>14304</b>	रु0 <b>98</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>86572</b>	रु0 <b>1137</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **491.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-3/5** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री दयाशंकर जायसवाल पुत्र स्व० भोलानाथ जायसवाल**  
**निवासी-ग्राम व पोस्ट-गोपलापुर,**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **629** दिनांक **11.02.2011** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-3/5** से. **22** क्षे. **148.75** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु०	<b>0</b>	रु० <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>3325</b>	रु० <b>-38</b>
<b>योग (अ)</b>	रु०	<b>3325</b>	रु० <b>-38</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु०	<b>432</b>	रु० <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>4909</b>	रु० <b>30</b>
<b>योग (ब)</b>	रु०	<b>5341</b>	रु० <b>30</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु०	<b>8666</b>	रु० <b>-8</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **491.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-5/5** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

श्री दिग्विजय यादव पुत्र स्व० गल्लू यादव  
निवासी-भूखण्ड संख्या-2,  
न्यू ट्रांसपोर्ट नगर,  
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **631** दिनांक **11.02.2011** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-5/5** से. **22** क्षे. **148.75** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु०	<b>24686</b>	<b>रु० 434</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>37486</b>	<b>रु० 386</b>
योग (अ)	रु०	<b>62172</b>	<b>रु० 820</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु०	<b>8082</b>	<b>रु० 54</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>4909</b>	<b>रु० 30</b>
योग (ब)	रु०	<b>12991</b>	<b>रु० 84</b>
महायोग (अ एवं ब)	रु०	<b>75163</b>	<b>रु० 904</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **491.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. D-5/8 / से. 22 / 2023-24 दिनांक

श्री मनीष कुमार सिंह पुत्र श्री उमाशंकर सिंह  
निवासी-न्यू अमित कैरियर (मास्टर)  
भूखण्ड संख्या-110, नवीन ट्रांसपोर्ट नगर,  
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या 634 दिनांक 11.02.2011 के माध्यम से गीडा की ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. D-5/8 से. 22 क्षेत्र 148.75 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	17966	रु0 209
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	33333	रु0 274
योग (अ)	रु0	51299	रु0 483

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	6669	रु0 32
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4909	रु0 30
योग (ब)	रु0	11578	रु0 62
महायोग (अ एवं ब)	रु0	62877	रु0 545


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 491.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. D-1/8 / से. 22 / 2023-24 दिनांक

श्रीमती साधना सिंह पत्नी श्री भूपेन्द्र सिंह  
निवासी-दीनदयाल, मकान संख्या-538,  
नगर खदरा, सीतापुर रोड,  
जिला-लखनऊ।

आवंटन पत्र संख्या 637 दिनांक 11.02.2011 के माध्यम से गीडा की ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. D-1/8 से. 22 क्षे. 200.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	27424	रु0 359
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	46980	रु0 412
योग (अ)	रु0	74404	रु0 771

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	9673	रु0 51
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	6600	रु0 40
योग (ब)	रु0	16273	रु0 91
महायोग (अ एवं ब)	रु0	90677	रु0 862

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 660.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-3/14** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

श्री राजमन राय पुत्र स्व० राम नरेश राय  
निवासी-मकान संख्या-61,  
पैडलेगंज,  
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **638** दिनांक **11.02.2011** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-3/14** से. **22** क्षे. **148.75** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु०	<b>27692</b>	<b>रु० 434</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>39072</b>	<b>रु० 386</b>
योग (अ)	रु०	<b>66764</b>	<b>रु० 820</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु०	<b>8679</b>	<b>रु० 54</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>4909</b>	<b>रु० 30</b>
योग (ब)	रु०	<b>13588</b>	<b>रु० 84</b>
महायोग (अ एवं ब)	रु०	<b>80352</b>	<b>रु० 904</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **491.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।



पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-3/16** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

श्री सुरेश श्रीवास्तव पुत्र श्री फून्नालाल  
निवासी-डी-164,  
ट्रांसपोर्ट नगर,  
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **639** दिनांक **11.02.2011** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-3/16** से. **22** क्षे. **148.75** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	रख-रखाव		लीज रेन्ट	
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-209	रु0	-17
योग (अ)	रु0	-209	रु0	-17

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4909	रु0	30
योग (ब)	रु0	4909	रु0	30
महायोग (अ एवं ब)	रु0	4701	रु0	13


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **491.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **C-3/27** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्रीमती अम्बिका देवी पत्नी श्री राम बहादुर**  
**नवीन ट्रांसपोर्ट नगर,**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **684** दिनांक **11.02.2011** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **C-3/27** से. **22** क्षे. **180.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>562</b>	रु0 <b>1</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>10041</b>	रु0 <b>16</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>10603</b>	रु0 <b>17</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>1378</b>	रु0 <b>1</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>5940</b>	रु0 <b>36</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>7318</b>	रु0 <b>37</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>17921</b>	रु0 <b>54</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **594.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-3/4** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री महेन्द्र कुमार पुत्र श्री विश्वकर्मा**  
**निवासी-578 एच, आजाद नगर पूर्वी,**  
**रुस्तमपुर,**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **662** दिनांक **11.02.2011** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-3/4** से. **22** क्षे. **148.75** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	412	रु0
<b>योग (अ)</b>	रु0	412	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	33	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4909	रु0
<b>योग (ब)</b>	रु0	4942	रु0
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	5354	रु0

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **491.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-3/11** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री राजीव राय पुत्र श्री राजमन राय**  
**निवासी-डीडी-61, कालेपुर,**  
**पडहा, पैडलेगंज,**  
**जिला-गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **647** दिनांक **11.02.2011** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-3/11** से. **22** क्षे. **148.75** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>27692</b>	रु0 <b>434</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>39072</b>	रु0 <b>386</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>66764</b>	रु0 <b>820</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>8679</b>	रु0 <b>54</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>4909</b>	रु0 <b>30</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>13588</b>	रु0 <b>84</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>80352</b>	रु0 <b>904</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **491.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **C-5/9** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्रीमती इशरावती सिंह पत्नी श्री ध्यानपाल सिंह**  
**निवासी-23-आवास विकास कालोनी,**  
**बेतियाहाता, गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **641** दिनांक **11.02.2011** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **C-5/9** से. **22** क्षे. **205.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>5668</b>	रु0 <b>44</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>26193</b>	रु0 <b>160</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>31861</b>	रु0 <b>204</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>4142</b>	रु0 <b>13</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>6765</b>	रु0 <b>41</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>10907</b>	रु0 <b>54</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>42768</b>	रु0 <b>258</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **677.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-3/20** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

श्रीमती कृष्णा देवी पत्नी श्री अशोक कुमार सिंह,  
निवासी-ग्राम व पोस्ट-अकोल्ही,  
जिला-सिवान (बिहार)।

आवंटन पत्र संख्या **644** दिनांक **11.02.2011** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-3/20** से. **22** क्षे. **148.75** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-15	रु0
योग (अ)	रु0	-15	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4909	रु0
योग (ब)	रु0	4909	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	4894	रु0


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **491.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. D-5/6 / से. 22 / 2023-24 दिनांक

श्रीमती कलावती देवी पत्नी स्व० रामनरेश सिंह  
निवासी-ग्राम व पोस्ट-बटलही,  
जिला-देवरिया।

आवंटन पत्र संख्या 643 दिनांक 11.02.2011 के माध्यम से गीडा की ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. D-5/6 से. 22 क्षेत्र 148.75 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	0	रु० 134
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	-27077	रु० 224
योग (अ)	रु०	-27077	रु० 358

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	0	रु० 23
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	4418	रु० 30
योग (ब)	रु०	4418	रु० 53
महायोग (अ एवं ब)	रु०	-22658	रु० 411

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० 442.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-4/17** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री चन्द्र भूषण मिश्रा पुत्र स्व० छत्रधारी मिश्र**  
**निवासी-न्यू महेवा कालोनी,**  
**ट्रांसपोर्ट नगर,**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **645** दिनांक **11.02.2011** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-4/17** से. **22** क्षे. **148.75** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु०	<b>21045</b>	रु० <b>434</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>35315</b>	रु० <b>386</b>
<b>योग (अ)</b>	रु०	<b>56360</b>	रु० <b>820</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु०	<b>7327</b>	रु० <b>54</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>4909</b>	रु० <b>30</b>
<b>योग (ब)</b>	रु०	<b>12236</b>	रु० <b>84</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु०	<b>68596</b>	रु० <b>904</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **491.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।



पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-3/3** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री द्वारिकाधीश मणि त्रिपाठी पुत्र श्री ब्रज किशोर मणि त्रिपाठी,**  
**त्रिपाठी भवन, मिश्रा कम्पाउण्ड,**  
**बेतियाहाता,**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **646** दिनांक **11.02.2011** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-3/3** से. **22** क्षे. **148.75** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>540</b>	रु0 <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>8864</b>	रु0 <b>-38</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>9404</b>	रु0 <b>-38</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>1222</b>	रु0 <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>4909</b>	रु0 <b>30</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>6131</b>	रु0 <b>30</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>15535</b>	रु0 <b>-8</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **491.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **C-5/23** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

श्री अभिषेक सिंह पुत्र श्री सालिक सिंह  
निवासी-मोहल्ला-बिलन्दपुर,  
निकट-शिव मंदिर,  
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **642** दिनांक **11.02.2011** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **C-5/23** से. **22** क्षे. **205.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>5299</b>	रु0 <b>40</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>25447</b>	रु0 <b>153</b>
योग (अ)	रु0	<b>30746</b>	रु0 <b>193</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>3997</b>	रु0 <b>13</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>6765</b>	रु0 <b>41</b>
योग (ब)	रु0	<b>10762</b>	रु0 <b>54</b>
महायोग (अ एवं ब)	रु0	<b>41508</b>	रु0 <b>247</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **677.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-5/11** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

श्री पंकज कुमार गुप्ता पुत्र श्री रामकेवल लाल गुप्ता  
निवासी-सी/127/177ए,  
दिलेजाकपुर, कसौधन मंदिर के पास,  
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **654** दिनांक **11.02.2011** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-5/11** से. **22** क्षे. **148.75** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>709</b>	रु0 <b>6</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>9598</b>	रु0 <b>53</b>
योग (अ)	रु0	<b>10307</b>	रु0 <b>59</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>1340</b>	रु0 <b>4</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>4909</b>	रु0 <b>30</b>
योग (ब)	रु0	<b>6249</b>	रु0 <b>34</b>
महायोग (अ एवं ब)	रु0	<b>16556</b>	रु0 <b>93</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **491.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-2/23** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री जगदीश यादव पुत्र श्री लालमन यादव**  
**निवासी-मकान संख्या-58एस, फूलई, थाना-धनघटा,**  
**तहसील-धनघटा,**  
**जिला-संतकबीर नगर।**

आवंटन पत्र संख्या **655** दिनांक **11.02.2011** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-2/23** से. **22** क्षे. **148.75** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>27692</b>	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>39072</b>	रु0
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>66764</b>	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>8679</b>	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>4909</b>	रु0
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>13588</b>	रु0
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>80352</b>	रु0

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **491.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **C-3/22** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री ब्रज बिहारी कोहली पुत्र स्व० मोतीरात कोहली,**  
**निवासी-46/सी, 10-पैडलेगंज,**  
**तहसील-सदर,**  
**जिला-गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **686** दिनांक **11.02.2011** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **C-3/22** से. **22** क्षे. **180.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु०	<b>33507</b>	रु० <b>524</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>47277</b>	रु० <b>464</b>
<b>योग (अ)</b>	रु०	<b>80784</b>	रु० <b>988</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु०	<b>10502</b>	रु० <b>65</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>5940</b>	रु० <b>36</b>
<b>योग (ब)</b>	रु०	<b>16442</b>	रु० <b>101</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु०	<b>97226</b>	रु० <b>1089</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **594.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **C-2/9** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री मुरारीलाल अग्रवाल पुत्र स्व0 महाबीर प्रसाद अग्रवाल**  
**निवासी-डी-161,**  
**ट्रांसपोर्ट नगर,**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **687** दिनांक **11.02.2011** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **C-2/9** से. **22** क्षे. **170.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-26	रु0
<b>योग (अ)</b>	रु0	-26	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5610	रु0
<b>योग (ब)</b>	रु0	5610	रु0
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	5584	रु0

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **561.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **C-3/24** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

श्री चन्द्र प्रकाश मधेशिया व श्री राजेश कुमार गुप्ता पुत्रगण श्री रामनयन,  
निवासी-महेवा, बड़गों, गोरखपुर  
पिन कोड-273016

आवंटन पत्र संख्या **688** दिनांक **11.02.2011** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **C-3/24** से. **22** क्षे. **180.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-554	रु0
योग (अ)	रु0	-554	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5940	रु0
योग (ब)	रु0	5940	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	5386	रु0

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **594.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-3/2** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

श्री मूरलीधर मोदनवाल पुत्र स्व० राम लखन मोदनवाल,  
निवासी-मकान संख्या-डी-195,  
ट्रांसपोर्ट नगर,  
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **661** दिनांक **11.02.2011** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-3/2** से. **22** क्षे. **148.75** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	<u>रख-रखाव</u>		<u>लीज रेन्ट</u>	
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु०	<b>0</b>	रु०	<b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>-73</b>	रु०	<b>-16</b>
<b>योग (अ)</b>	रु०	<b>-73</b>	रु०	<b>-16</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु०	<b>0</b>	रु०	<b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>4909</b>	रु०	<b>30</b>
<b>योग (ब)</b>	रु०	<b>4909</b>	रु०	<b>30</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु०	<b>4837</b>	रु०	<b>14</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **491.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।



पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-2/16** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री सत्य प्रकाश राय पुत्र श्री रामचन्द्र राय**  
**निवासी-बाडेपारडाडी,**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **664** दिनांक **11.02.2011** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-2/16** से. **22** क्षे. **148.75** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>27692</b>	रु0 <b>434</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>39072</b>	रु0 <b>386</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>66764</b>	रु0 <b>820</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>8679</b>	रु0 <b>54</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>4909</b>	रु0 <b>30</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>13588</b>	रु0 <b>84</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>80352</b>	रु0 <b>904</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **491.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **C-5/13** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री अमित सिंह पुत्र श्री लक्ष्मी सिंह**  
**निवासी-121-122, एल0आई0जी0बी0**  
**बुद्ध बिहार, पार्ट सी, तारामण्डल, रामपुर,**  
**गोरखपुर 273016**

आवंटन पत्र संख्या **683** दिनांक **11.02.2011** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **C-5/13** से. **22** क्षे. **205.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	8	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	7908	रु0
<b>योग (अ)</b>	<b>रु0</b>	<b>7916</b>	<b>रु0</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	1029	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	6765	रु0
<b>योग (ब)</b>	<b>रु0</b>	<b>7794</b>	<b>रु0</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	<b>रु0</b>	<b>15710</b>	<b>रु0</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **677.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-2/22** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री राकेश कुमार सोनकर पुत्र श्री बासदेव सोनकर**  
**निवासी-263बी, जटेपुर दक्षिणी,**  
**धर्मशाला बाजार,**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **656** दिनांक **11.02.2011** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-2/22** से. **22** क्षे. **148.75** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-446	रु0
<b>योग (अ)</b>	रु0	-446	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4909	रु0
<b>योग (ब)</b>	रु0	4909	रु0
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	4463	रु0

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **491.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-4/21** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री अजीत कुमार सिंह पुत्र स्व० पारसनाथ सिंह**  
**निवासी-10/डब्लू द्वारा जी०एन० शुक्ला,**  
**साकेतनगर, रुस्तमपुर, आजादनगर,**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **663** दिनांक **11.02.2011** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-4/21** से. **22** क्षे. **148.75** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु०	<b>27692</b>	रु० <b>434</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>39072</b>	रु० <b>386</b>
<b>योग (अ)</b>	रु०	<b>66764</b>	रु० <b>820</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु०	<b>8679</b>	रु० <b>54</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>4909</b>	रु० <b>30</b>
<b>योग (ब)</b>	रु०	<b>13588</b>	रु० <b>84</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु०	<b>80352</b>	रु० <b>904</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **491.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **C-5/20** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

श्री धनन्जय कुमार जयसवाल पुत्र स्व० राम फकीर जयसवाल,  
निवासी-604-महेवा न्यू कालोनी,  
पोस्ट-शिवपुरी कालोनी,  
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **673** दिनांक **11.02.2011** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **C-5/20** से. **22** क्षे. **205.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु०	<b>38161</b>	रु० <b>597</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>53844</b>	रु० <b>529</b>
योग (अ)	रु०	<b>92005</b>	रु० <b>1126</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु०	<b>11961</b>	रु० <b>74</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>6765</b>	रु० <b>41</b>
योग (ब)	रु०	<b>18726</b>	रु० <b>115</b>
महायोग (अ एवं ब)	रु०	<b>110731</b>	रु० <b>1241</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **677.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **C-5/24** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री राकेश कुमार गुप्ता पुत्र स्व० रामनयन गुप्ता**  
**निवासी-न्यू महेवा कालोनी,**  
**पोस्ट-शिवपुरी कालोनी, ट्रांसपोर्ट नगर,**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **672** दिनांक **11.02.2011** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **C-5/24** से. **22** क्षे. **205.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु०	<b>23907</b>	रु० <b>597</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>45298</b>	रु० <b>529</b>
<b>योग (अ)</b>	रु०	<b>69205</b>	रु० <b>1126</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु०	<b>8997</b>	रु० <b>74</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>6765</b>	रु० <b>41</b>
<b>योग (ब)</b>	रु०	<b>15762</b>	रु० <b>115</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु०	<b>84967</b>	रु० <b>1241</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **677.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-2/21** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्रीमती कृष्ण खेतान पत्नी श्री कमला प्रसाद खेतान**  
**निवासी-बी-25, आवास विकास कालोनी,**  
**बेतियाहाता दक्षिणी,**  
**जिला-गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **665** दिनांक **11.02.2011** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-2/21** से. **22** क्षे. **148.75** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>162</b>	रु0 <b>4</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>6930</b>	रु0 <b>48</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>7092</b>	रु0 <b>52</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>922</b>	रु0 <b>3</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>4909</b>	रु0 <b>30</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>5831</b>	रु0 <b>33</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>12923</b>	रु0 <b>85</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **491.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-2/17** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

श्री गोपाल सिंह पुत्र श्री गोपीनाथ सिंह  
निवासी-दक्षिणी बेतियाहाता,  
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **671** दिनांक **11.02.2011** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-2/17** से. **22** क्षे. **148.75** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	7837	रु0 79
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	24429	रु0 179
योग (अ)	रु0	32266	रु0 258

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	4195	रु0 17
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4909	रु0 30
योग (ब)	रु0	9104	रु0 47
महायोग (अ एवं ब)	रु0	41370	रु0 305


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **491.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।



पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-3/8** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री स्वामीनाथ पुत्र स्व० मुनिश्वर पाल**  
**निवासी-दुर्गा मंदिर,**  
**खुर्रमपुर,**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **669** दिनांक **11.02.2011** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-3/8** से. **22** क्षे. **148.75** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु०	<b>763</b>	<b>रु० 434</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>7868</b>	<b>रु० 386</b>
<b>योग (अ)</b>	<b>रु०</b>	<b>8631</b>	<b>रु० 820</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु०	<b>1122</b>	<b>रु० 54</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>4909</b>	<b>रु० 30</b>
<b>योग (ब)</b>	<b>रु०</b>	<b>6031</b>	<b>रु० 84</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	<b>रु०</b>	<b>14662</b>	<b>रु० 904</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **491.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-4/16** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री विनोद कुमार जैसवाल पुत्र श्री रामदास जैसवाल**  
**निवासी-डी-63,**  
**ट्रांसपोर्ट नगर,**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **650** दिनांक **11.02.2011** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-4/16** से. **22** क्षे. **148.75** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>509</b>	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>8675</b>	रु0
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>9184</b>	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>1194</b>	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>4909</b>	रु0
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>6103</b>	रु0
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>15287</b>	रु0

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **491.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-5/3** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

श्री राजकुमार सिंह पुत्र श्री सुमन्त सिंह  
निवासी-कलकत्ता एक्सप्रेस ट्रांसपोर्ट कम्पनी,  
न्यू ट्रांसपोर्ट नगर,  
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **651** दिनांक **11.02.2011** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-5/3** से. **22** क्षे. **148.75** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>27692</b>	<b>रु0 434</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>39072</b>	<b>रु0 386</b>
<b>योग (अ)</b>	<b>रु0</b>	<b>66764</b>	<b>रु0 820</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>8679</b>	<b>रु0 54</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>4909</b>	<b>रु0 30</b>
<b>योग (ब)</b>	<b>रु0</b>	<b>13588</b>	<b>रु0 84</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	<b>रु0</b>	<b>80352</b>	<b>रु0 904</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **491.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. D-4/8 / से. 22 / 2023-24 दिनांक

श्री अमित कोहली पुत्र स्व० महेन्द्र कोहली,  
निवासी-सी-102/225,  
राम नगर कालोनी, मोहददीपुर,  
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या 652 दिनांक 11.02.2011 के माध्यम से गीडा की ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. D-4/8 से. 22 क्षेत्र 148.75 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	27692	रु० 434
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	39072	रु० 386
योग (अ)	रु०	66764	रु० 820

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	8679	रु० 54
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	4909	रु० 30
योग (ब)	रु०	13588	रु० 84
महायोग (अ एवं ब)	रु०	80352	रु० 904

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० 491.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-4/10** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्रीमती मंजू मिश्रा पत्नी श्री अशोक कुमार मिश्रा**  
**निवासी-अपर्णा सेवा संस्थान, सर्वोदय नगर,**  
**मिर्जापुर, शिवपुरी न्यू कालोनी,**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **649** दिनांक **11.02.2011** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-4/10** से. **22** क्षे. **148.75** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>4475</b>	रु0 <b>49</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>19991</b>	रु0 <b>149</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>24466</b>	रु0 <b>198</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>3181</b>	रु0 <b>13</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>4909</b>	रु0 <b>30</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>8090</b>	रु0 <b>43</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>32556</b>	रु0 <b>241</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **491.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-4/19** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री सत्येन्द्र मिश्र पुत्र स्व० वट्कदेव मिश्र**  
**निवासी-ग्राम-वौडिहा, पोस्ट-दखवा बाजार, थाना-सिकरीगंज,**  
**तहसील-खजनी,**  
**जिला-गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **640** दिनांक **11.02.2011** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-4/19** से. **22** क्षे. **148.75** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु०	<b>0</b>	<b>रु० 0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>-3683</b>	<b>रु० -230</b>
<b>योग (अ)</b>	<b>रु०</b>	<b>-3683</b>	<b>रु० -230</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु०	<b>0</b>	<b>रु० 0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>4909</b>	<b>रु० 149</b>
<b>योग (ब)</b>	<b>रु०</b>	<b>4909</b>	<b>रु० 149</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	<b>रु०</b>	<b>1226</b>	<b>रु० -81</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **491.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-5/15** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री हैदर मेंहदी पुत्र स्व० मंहदी हसन,  
निवासी-रिलायन्स रोड लाइन्स,  
22-न्यू ट्रांसपोर्ट नगर,  
गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **648** दिनांक **11.02.2011** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-5/15** से. **22** क्षे. **148.75** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु०	<b>0</b>	रु० <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>-1783</b>	रु० <b>-130</b>
<b>योग (अ)</b>	रु०	<b>-1783</b>	रु० <b>-130</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु०	<b>0</b>	रु० <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>4909</b>	रु० <b>30</b>
<b>योग (ब)</b>	रु०	<b>4909</b>	रु० <b>30</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु०	<b>3126</b>	रु० <b>-100</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **491.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-4/22** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री राजेन्द्र पाल पुत्र श्री श्याम देव पाल**  
**निवासी-गोपलापुर,**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **667** दिनांक **11.02.2011** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-4/22** से. **22** क्षे. **148.75** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>27692</b>	रु0 <b>434</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>39072</b>	रु0 <b>386</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>66764</b>	रु0 <b>820</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>8679</b>	रु0 <b>54</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>4909</b>	रु0 <b>30</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>13588</b>	रु0 <b>84</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>80352</b>	रु0 <b>904</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **491.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**



पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-3/23** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

श्री सुधीर कुमार सिंह पुत्र श्री शीतल प्रसाद सिंह  
निवासी-मो0-बडे काजीपुर,  
थाना-तिवारीपुर,  
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **668** दिनांक **11.02.2011** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-3/23** से. **22** क्षे. **148.75** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4138	रु0
योग (अ)	रु0	4138	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	538	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4909	रु0
योग (ब)	रु0	5447	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	9585	रु0

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **491.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **C-5/11** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री अलगू राय पुत्र श्री स्व० वनवारी**  
**निवासी-15/35 कल्याणपुरी,**  
**नई-दिल्ली।**

आवंटन पत्र संख्या **674** दिनांक **11.02.2011** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **C-5/11** से. **22** क्षे. **205.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु०	<b>0</b>	रु० <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>418</b>	रु० <b>5</b>
<b>योग (अ)</b>	रु०	<b>418</b>	रु० <b>5</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु०	<b>42</b>	रु० <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>6765</b>	रु० <b>41</b>
<b>योग (ब)</b>	रु०	<b>6807</b>	रु० <b>41</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु०	<b>7225</b>	रु० <b>46</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **677.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **C-5/3** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

श्रीमती प्रभावती देवी पत्नी स्व० सवरु प्रसाद  
निवासी-मकान संख्या-0068ए,  
मुहल्ला-इन्द्रानगर, पोस्ट-गोरखपुर विश्व विद्यालय,  
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **681** दिनांक **11.02.2011** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **C-5/3** से. **22** क्षे. **205.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु०	<b>38161</b>	<b>77</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>53844</b>	<b>208</b>
<b>योग (अ)</b>	<b>रु०</b>	<b>92005</b>	<b>285</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु०	<b>11961</b>	<b>19</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>6765</b>	<b>41</b>
<b>योग (ब)</b>	<b>रु०</b>	<b>18726</b>	<b>60</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	<b>रु०</b>	<b>110731</b>	<b>345</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **677.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **C-5/5** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री राम ललित यादव पुत्र श्री रामनाथ यादव,**  
**निवासी-ग्राम-टेकवार, पोस्ट-उनवल,**  
**थाना-खजनी,**  
**जिला-गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **680** दिनांक **11.02.2011** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **C-5/5** से. **22** क्षे. **205.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>38161</b>	रु0 <b>597</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>53844</b>	रु0 <b>529</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>92005</b>	रु0 <b>1126</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>11961</b>	रु0 <b>74</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>6765</b>	रु0 <b>41</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>18726</b>	रु0 <b>115</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>110731</b>	रु0 <b>1241</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **677.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **C-5/18** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री अतुल अग्रवाल पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार अग्रवाल,**  
**निवासी-दक्षिणी बेतियाहाता,**  
**नेशनल हाइवे, ट्रांसपोर्ट नगर,**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **679** दिनांक **11.02.2011** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **C-5/18** से. **22** क्षे. **205.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-68	रु0
<b>योग (अ)</b>	रु0	-68	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	6765	रु0
<b>योग (ब)</b>	रु0	6765	रु0
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	6697	रु0

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **677.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **C-5/28** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री विजय शंकर मल्ल पुत्र स्व० सत्यदेव मल्ल**  
**निवासी-मोहल्ला-गायत्री नगर,**  
**पोस्ट-कूडाघाट,**  
**जिला-गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **678** दिनांक **11.02.2011** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **C-5/28** से. **22** क्षे. **205.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु०	<b>34493</b>	रु० <b>597</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>51936</b>	रु० <b>529</b>
<b>योग (अ)</b>	रु०	<b>86429</b>	रु० <b>1126</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु०	<b>11236</b>	रु० <b>74</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>6765</b>	रु० <b>41</b>
<b>योग (ब)</b>	रु०	<b>18001</b>	रु० <b>115</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु०	<b>104430</b>	रु० <b>1241</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **677.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **C-5/7** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री चन्द्र प्रकाश पुत्र स्व० राम नैन**  
**निवासी-न्यू महेवा कालोनी,**  
**पोस्ट-शिवपुरी कालोनी,**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **676** दिनांक **11.02.2011** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **C-5/7** से. **22** क्षे. **205.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु०	<b>38161</b>	रु० <b>597</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>53844</b>	रु० <b>529</b>
<b>योग (अ)</b>	रु०	<b>92005</b>	रु० <b>1126</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु०	<b>11961</b>	रु० <b>74</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>6765</b>	रु० <b>41</b>
<b>योग (ब)</b>	रु०	<b>18726</b>	रु० <b>115</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु०	<b>110731</b>	रु० <b>1241</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **677.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. C-5/26 / से. 22 / 2023-24 दिनांक

श्री सुरेश चन्द्र जायसवाल पुत्र स्व० बेनीराय जायसवाल,  
निवासी-मकान संख्या 280, हमार्यूपूर उत्तरी,  
निकट, रेलवे कासिंग, पोस्ट-गोरखनाथ,  
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या 675 दिनांक 11.02.2011 के माध्यम से गीडा की ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. C-5/26 से. 22 क्षे. 205.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	19248	रु० 228
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	41820	रु० 341
योग (अ)	रु०	61068	रु० 569

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	7939	रु० 37
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	6765	रु० 41
योग (ब)	रु०	14704	रु० 78
महायोग (अ एवं ब)	रु०	75772	रु० 647


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० 677.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।



पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-3/15** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री दानिस जमाल पुत्र श्री रसीदुल्लाह**  
**निवासी-12, चिलमापुर,**  
**तहसील-सदर,**  
**जिला-गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **653** दिनांक **11.02.2011** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-3/15** से. **22** क्षे. **148.75** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>2432</b>	रु0 <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>15915</b>	रु0 <b>2</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>18347</b>	रु0 <b>2</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>2385</b>	रु0 <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>4909</b>	रु0 <b>30</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>7294</b>	रु0 <b>30</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>25641</b>	रु0 <b>32</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **491.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **C-3/26** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री राकेश पुत्र श्री सीताराम**  
**निवासी-राजघाट पुरानी चूँगी,**  
**जिला-गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **685** दिनांक **11.02.2011** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **C-3/26** से. **22** क्षे. **180.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>33507</b>	रु0 <b>524</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>47277</b>	रु0 <b>464</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>80784</b>	रु0 <b>988</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>10502</b>	रु0 <b>65</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>5940</b>	रु0 <b>36</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>16442</b>	रु0 <b>101</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>97226</b>	रु0 <b>1089</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **594.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-1/18** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

श्री राजीव चोपड़ा पुत्र स्व० जे०सी० चोपड़ा,  
निवासी-एफ-9, शालीमार इंपोरियम, 13 गोखले मार्ग,  
हजरतगंज, आईएफएफसीओ के पास,  
लखनऊ।

आवंटन पत्र संख्या **709** दिनांक **17.02.2011** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-1/18** से. **22** क्षे. **1280.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु०	<b>23973</b>	रु० <b>280</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>161643</b>	रु० <b>1025</b>
<b>योग (अ)</b>	रु०	<b>185616</b>	रु० <b>1305</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु०	<b>24130</b>	रु० <b>86</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>42240</b>	रु० <b>256</b>
<b>योग (ब)</b>	रु०	<b>66370</b>	रु० <b>342</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु०	<b>251986</b>	रु० <b>1647</b>


**नोट:- रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **4224.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-4/4** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्रीमती उर्मिला देवी शुक्ला पत्नी स्व० राधेश्याम शुक्ला**  
**निवासी-मूहल्ला-इन्दिरा नगर,**  
**निकट चम्पा देवी पार्क,**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **705** दिनांक **17.02.2011** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-4/4** से. **22** क्षे. **136.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु०	<b>25266</b>	रु० <b>396</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>35694</b>	रु० <b>348</b>
<b>योग (अ)</b>	रु०	<b>60960</b>	रु० <b>744</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु०	<b>7925</b>	रु० <b>49</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>4488</b>	रु० <b>27</b>
<b>योग (ब)</b>	रु०	<b>12413</b>	रु० <b>76</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु०	<b>73373</b>	रु० <b>820</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **449.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-3/24** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्रीमती नमिता गुप्ता पत्नी श्री दीपक गुप्ता**  
**निवासी-रहमतनगर,**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **703** दिनांक **17.02.2011** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-3/24** से. **22** क्षे. **187.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	<u>रख-रखाव</u>		<u>लीज रेन्ट</u>	
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-590	रु0	-187
<b>योग (अ)</b>	रु0	-590	रु0	-187

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	6171	रु0	37
<b>योग (ब)</b>	रु0	6171	रु0	37
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	5581	रु0	-150

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **617.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-2/24** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

श्री चन्द्रभान त्रिपाठी पुत्र स्व० दीप नारायण त्रिपाठी,  
निवासी-विवेकानन्दपुरी,  
दाउदपुर,  
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **702** दिनांक **17.02.2011** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-2/24** से. **22** क्षे. **187.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु०	<b>34739</b>	रु० <b>540</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>49079</b>	रु० <b>477</b>
योग (अ)	रु०	<b>83818</b>	रु० <b>1017</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु०	<b>10896</b>	रु० <b>67</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>6171</b>	रु० <b>37</b>
योग (ब)	रु०	<b>17067</b>	रु० <b>104</b>
महायोग (अ एवं ब)	रु०	<b>100885</b>	रु० <b>1121</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **617.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-1/19** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री राजेश श्रीवास्तव पुत्र श्री दौलत लाल**  
**निवासी-10 सिविल लाईन द्वितीय, सिविल लाईन,**  
**तहसील-सदर,**  
**जिला-गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **711** दिनांक **17.02.2011** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-1/19** से. **22** क्षे. **1280.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-1510	रु0
<b>योग (अ)</b>	रु0	-1510	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	42240	रु0
<b>योग (ब)</b>	रु0	42240	रु0
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	40730	रु0

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **4224.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-5/10** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

श्री अरविन्द कुमार पुत्र स्व० रामचन्द्र शाह  
निवासी-कलकत्ता एक्सप्रेस ट्रांसपोर्ट कम्पनी,  
न्यू ट्रांसपोर्ट नगर,  
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **693** दिनांक **17.02.2011** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-5/10** से. **22** क्षे. **148.75** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु०	<b>27636</b>	<b>रु० 434</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>39043</b>	<b>रु० 386</b>
योग (अ)	रु०	<b>66679</b>	<b>रु० 820</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु०	<b>8668</b>	<b>रु० 54</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>4909</b>	<b>रु० 30</b>
योग (ब)	रु०	<b>13577</b>	<b>रु० 84</b>
महायोग (अ एवं ब)	रु०	<b>80256</b>	<b>रु० 904</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **491.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।



पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **C-3/23** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री शैलेश कुमार पुत्र स्व० राम नैन**  
**निवासी-न्यू महेवा**  
**पोस्ट-शिवपुरी कालोनी,**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **695** दिनांक **17.02.2011** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **C-3/23** से. **22** क्षे. **180.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	<u>रख-रखाव</u>		<u>लीज रेन्ट</u>	
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु०	<b>0</b>	रु०	<b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>-859</b>	रु०	<b>-75</b>
<b>योग (अ)</b>	रु०	<b>-859</b>	रु०	<b>-75</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु०	<b>0</b>	रु०	<b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>5940</b>	रु०	<b>36</b>
<b>योग (ब)</b>	रु०	<b>5940</b>	रु०	<b>36</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु०	<b>5081</b>	रु०	<b>-39</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **594.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-1/20** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री गोविन्द जायसवाल पुत्र श्री राधेश्याम जायसवाल**  
**निवासी-फ्लैट नं0-502, हरि कृपा रेजीडेन्सी,**  
**नियर बंटी मैरेज हाल, बेतियाहाता,**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **708** दिनांक **17.02.2011** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-1/20** से. **22** क्षे. **1080.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>132136</b>	रु0 <b>10</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>243058</b>	रु0 <b>153</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>375194</b>	रु0 <b>163</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>48775</b>	रु0 <b>11</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>35640</b>	रु0 <b>216</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>84415</b>	रु0 <b>227</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>459609</b>	रु0 <b>390</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **3564.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-1/11** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री राणा सिंह पुत्र श्री राम सिंह**  
**निवासी-ट्रांसपोर्ट नगर,**  
**(निकट बेतियाहाता)**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **697** दिनांक **17.02.2011** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-1/11** से. **22** क्षे. **200.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>37159</b>	रु0 <b>579</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>52491</b>	रु0 <b>515</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>89650</b>	रु0 <b>1094</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>11655</b>	रु0 <b>72</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>6600</b>	रु0 <b>40</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>18255</b>	रु0 <b>112</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>107905</b>	रु0 <b>1206</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **660.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-3/13** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री विजय शंकर गुप्ता पुत्र श्री काशीनाथ गुप्ता**  
**द्वारा श्री हंस हार्डवेयर स्टोर्स,**  
**फलमंडी चौराहा, राजपूत मार्केट,**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **701** दिनांक **17.02.2011** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-3/13** से. **22** क्षे. **187.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-752	रु0
<b>योग (अ)</b>	रु0	-752	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	6171	रु0
<b>योग (ब)</b>	रु0	6171	रु0
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	5419	रु0


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **617.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **C-5/22** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री गंगा प्रसाद जायसवाल पुत्र स्व० रघुनाथ प्रसाद जायसवाल**  
**निवासी-स्पाक बैट्री, 28-नेशनल हाईवे रोड,**  
**ट्रांसपोर्ट नगर,**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **699** दिनांक **17.02.2011** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **C-5/22** से. **22** क्षे. **205.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु०	<b>230</b>	रु० <b>3</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>6150</b>	रु० <b>41</b>
<b>योग (अ)</b>	रु०	<b>6380</b>	रु० <b>44</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु०	<b>829</b>	रु० <b>4</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>6765</b>	रु० <b>41</b>
<b>योग (ब)</b>	रु०	<b>7594</b>	रु० <b>45</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु०	<b>13974</b>	रु० <b>89</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **677.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-1/6** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री अभिषेक जायसवाल पुत्र श्री गंगा प्रसाद जायसवाल**  
**द्वारा स्पर्क बैट्री,**  
**28-नेशनल हाईवे रोड, ट्रांसपोर्ट नगर,**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **707** दिनांक **17.02.2011** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-1/6** से. **22** क्षे. **540.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	<u>रख-रखाव</u>		<u>लीज रेन्ट</u>	
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-20	रु0	0
<b>योग (अ)</b>	रु0	-20	रु0	0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	17820	रु0	108
<b>योग (ब)</b>	रु0	17820	रु0	108
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	17800	रु0	108


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **1782.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. D-1/5 / से. 22 / 2023-24 दिनांक

श्री सत्य नारायण अग्रवाल पुत्र स्व० लक्ष्मी नारायण  
निवासी-कलकत्ता एक्सप्रेस ट्रांसपोर्ट कम्पनी,  
न्यू ट्रांसपोर्ट नगर,  
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या 706 दिनांक 17.02.2011 के माध्यम से गीडा की ट्रांसपोर्ट नगर योजना  
के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. D-1/5 से. 22 क्षे. 540.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव  
शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	100318	रु० 1569
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	141726	रु० 1390
योग (अ)	रु०	242044	रु० 2959

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	31466	रु० 194
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	17820	रु० 108
योग (ब)	रु०	49286	रु० 302
महायोग (अ एवं ब)	रु०	291330	रु० 3261


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० 1782.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-1/15** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्रीमती रीता देवी पत्नी श्री संजय कुमार**  
**निवासी-मोहल्ला-साकेत नगर,**  
**रुस्तमपुर, शहर-गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **696** दिनांक **17.02.2011** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-1/15** से. **22** क्षे. **200.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>29874</b>	रु0 <b>23</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>48602</b>	रु0 <b>119</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>78476</b>	रु0 <b>142</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>10202</b>	रु0 <b>9</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>6600</b>	रु0 <b>40</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>16802</b>	रु0 <b>49</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>95278</b>	रु0 <b>191</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **660.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**



पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **C-5/4** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री मदन मिश्र पुत्र श्री पुरुषोत्तम मिश्र**  
**निवासी-मकान संख्या-10 बी,**  
**बेतियाहाता उत्तरी,**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **677** दिनांक **11.02.2011** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **C-5/4** से. **22** क्षे. **205.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-615	रु0
<b>योग (अ)</b>	रु0	-615	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	6765	रु0
<b>योग (ब)</b>	रु0	6765	रु0
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	6150	रु0


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **677.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **C-3/20** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्रीमती निर्मला देवी पत्नी श्री अभिमन्यू यादव**  
**निवासी-ग्राम-भपसा,**  
**पोस्ट-सहजनवाँ,**  
**जिला-गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **712** दिनांक **31.03.2011** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **C-3/20** से. **22** क्षे. **180.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>32968</b>	रु0 <b>513</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>46993</b>	रु0 <b>459</b>
<b>योग (अ)</b>	<b>रु0</b>	<b>79961</b>	<b>रु0 972</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>10395</b>	रु0 <b>64</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>5940</b>	रु0 <b>36</b>
<b>योग (ब)</b>	<b>रु0</b>	<b>16335</b>	<b>रु0 100</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	<b>रु0</b>	<b>96296</b>	<b>रु0 1072</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **594.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-1/4** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री जगदीश प्रसाद अग्रवाल पुत्र श्री भगवती प्रसाद अग्रवाल**  
**निवासी-प्रो0 बालाजी बल्क कैरियर्स प्रशान्त टावर्स**  
**महेवा चौक (शाप संख्या-7)**  
**ट्रांसपोर्ट नगर, गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **719** दिनांक **30.06.2011** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-1/4** से. **22** क्षे. **920.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>248</b>	रु0 <b>11</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>30403</b>	रु0 <b>177</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>30651</b>	रु0 <b>188</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>3985</b>	रु0 <b>12</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>30360</b>	रु0 <b>184</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>34345</b>	रु0 <b>196</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>64996</b>	रु0 <b>384</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **3036.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **C-5/21** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री अंगद जायसवाल पुत्र स्व० राम फकीर जायसवाल**  
**निवासी-महेवा न्यू कालोनी गोरखपुर,**  
**पोस्ट-शिवपुरी कालोनी,**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **718** दिनांक **30.06.2011** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **C-5/21** से. **22** क्षे. **205.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु०	<b>36387</b>	रु० <b>562</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>52907</b>	रु० <b>513</b>
<b>योग (अ)</b>	रु०	<b>89294</b>	रु० <b>1075</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु०	<b>11608</b>	रु० <b>70</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>6765</b>	रु० <b>41</b>
<b>योग (ब)</b>	रु०	<b>18373</b>	रु० <b>111</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु०	<b>107667</b>	रु० <b>1186</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **677.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-5/12** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री मिलिन्द माधव त्रिपाठी पुत्र श्री लक्ष्मीशंकर त्रिपाठी,**  
**निवासी-विवेकानन्दपुरी**  
**दाउदपुर,**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **723** दिनांक **30.06.2011** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-5/12** से. **22** क्षे. **187.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>33189</b>	रु0 <b>511</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>48261</b>	रु0 <b>463</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>81450</b>	रु0 <b>974</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>10589</b>	रु0 <b>64</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>6171</b>	रु0 <b>37</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>16760</b>	रु0 <b>101</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>98210</b>	रु0 <b>1075</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **617.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **C-5/6** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री सौदागर सिंह पुत्र स्व० राम लगन सिंह**  
**निवासी-न्यू ट्रांसपोर्ट नगर,**  
**बिहार बंगाल रोडवेज, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-28,**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **682** दिनांक **11.02.2011** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **C-5/6** से. **22** क्षे. **205.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु०	<b>0</b>	रु० <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>-1012</b>	रु० <b>-47</b>
<b>योग (अ)</b>	रु०	<b>-1012</b>	रु० <b>-47</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु०	<b>0</b>	रु० <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>6765</b>	रु० <b>41</b>
<b>योग (ब)</b>	रु०	<b>6765</b>	रु० <b>41</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु०	<b>5753</b>	रु० <b>-6</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **677.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-2/13** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री विनय कुमार नायक पुत्र स्व० लाल बहादुर नायक**  
**निवासी-83-के, राम जानकी नगर,**  
**बशारतपुर,**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **700** दिनांक **17.02.2011** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-2/13** से. **22** क्षे. **187.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु०	<b>0</b>	रु० <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>911</b>	रु० <b>-563</b>
<b>योग (अ)</b>	रु०	<b>911</b>	रु० <b>-563</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु०	<b>118</b>	रु० <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>6171</b>	रु० <b>37</b>
<b>योग (ब)</b>	रु०	<b>6289</b>	रु० <b>37</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु०	<b>7200</b>	रु० <b>-526</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **617.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-4/11** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री अशोक कुमार मिश्र पुत्र स्व० आद्या प्रसाद मिश्र**  
**निवासी-122-नवीन ट्रांसपोर्ट नगर,**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **716** दिनांक **30.06.2011** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-4/11** से. **22** क्षे. **148.75** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु०	<b>0</b>	रु० <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>882</b>	रु० <b>-96</b>
<b>योग (अ)</b>	रु०	<b>882</b>	रु० <b>-96</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु०	<b>115</b>	रु० <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>4909</b>	रु० <b>30</b>
<b>योग (ब)</b>	रु०	<b>5024</b>	रु० <b>30</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु०	<b>5906</b>	रु० <b>-66</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **491.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**



पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-3/12** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

श्री ब्रह्म कुमार अग्रवाल पुत्र स्व० किशोरी लाल अग्रवाल  
निवासी-303-कृष्णा टेक्निकल इन्स्टीट्यूट की गली,  
अलहदादपुर,  
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **717** दिनांक **30.06.2011** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-3/12** से. **22** क्षे. **187.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु०	<b>33189</b>	<b>511</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>48261</b>	<b>463</b>
योग (अ)	रु०	<b>81450</b>	<b>974</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु०	<b>10589</b>	<b>64</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>6171</b>	<b>37</b>
योग (ब)	रु०	<b>16760</b>	<b>101</b>
महायोग (अ एवं ब)	रु०	<b>98210</b>	<b>1075</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **617.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. D-1/3 / से. 22 / 2023-24 दिनांक

श्रीमती शीप्रा आनन्द पत्नी श्री रंजन आनन्द,  
निवासी-118, कन्हैया लाल, बिल्डिंग, नियर वाटर टैंक,  
बाबू गंज निराला नगर,  
लखनऊ।

आवंटन पत्र संख्या 725 दिनांक 30.06.2011 के माध्यम से गीडा की ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. D-1/3 से. 22 क्षे. 736.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-27	रु0
योग (अ)	रु0	-27	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	24288	रु0
योग (ब)	रु0	24288	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	24261	रु0


**नोट:- रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 2429.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-3/9** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री बाल किशुन यादव पुत्र श्री भागीरथी यादव**  
**निवासी-ग्राम-मथौली,**  
**पोस्ट-विगही, थाना-हरपुर बुदहट,**  
**जिला-गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **720** दिनांक **30.06.2011** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-3/9** से. **22** क्षे. **148.75** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-155	रु0
<b>योग (अ)</b>	रु0	-155	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4909	रु0
<b>योग (ब)</b>	रु0	4909	रु0
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	4754	रु0

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **491.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-6/12** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्रीमती दयावन्ती देवी पत्नी श्री राधेश्याम उपाध्याय**  
**निवासी-मूहल्ला-अलहदादपुर,**  
**जिला-गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **715** दिनांक **30.06.2011** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-6/12** से. **22** क्षे. **229.50** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>40732</b>	रु0 <b>630</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>59230</b>	रु0 <b>575</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>99962</b>	रु0 <b>1205</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>12995</b>	रु0 <b>79</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>7574</b>	रु0 <b>46</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>20569</b>	रु0 <b>125</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>120531</b>	रु0 <b>1330</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **757.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-4/13** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स पाल इन्टरप्राइजेज ट्रांसपोर्ट (साझेदारी फर्म) द्वारा श्री हरीलाल  
पुत्रगण-बलिभद्र पाल, निवासी-ग्राम-भेलन्दरी,  
पोस्ट-भगवानपुर, तहसील-सहजनवाँ,  
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **724** दिनांक **30.06.2011** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना  
के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-4/13** से. **22** क्षे. **187.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव  
शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	रख-रखाव		लीज रेन्ट	
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	0	रु0	2
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	0	रु0	27
योग (अ)	रु0	0	रु0	29

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	0	रु0	3
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	6171	रु0	37
योग (ब)	रु0	6171	रु0	40
महायोग (अ एवं ब)	रु0	6171	रु0	69


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **617.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-4/24** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

श्री भरत प्रसाद पुत्र श्री भोलानाथ  
निवासी-ग्राम-नन्दापार, पोस्ट-जैतपुर,  
सहजनवाँ,  
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **728** दिनांक **30.06.2011** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-4/24** से. **22** क्षे. **187.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	<u>रख-रखाव</u>		<u>लीज रेन्ट</u>	
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-914	रु0	-54
योग (अ)	रु0	-914	रु0	-54

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	6171	रु0	37
योग (ब)	रु0	6171	रु0	37
महायोग (अ एवं ब)	रु0	5257	रु0	-17


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **617.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. D-1/2 / से. 22 / 2023-24 दिनांक

मैसर्स इण्डियन टैंकर्स प्रा0 लि0

द्वारा श्री दिलशाद अहमद पुत्र श्री निसार अहमद

निवासी-ए-5, ट्रांसपोर्ट नगर,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या 722 दिनांक 30.06.2011 के माध्यम से गीडा की ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. D-1/2 से. 22 क्षे. 736.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-76	रु0
योग (अ)	रु0	-76	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	24288	रु0	147
योग (ब)	रु0	24288	रु0	147
महायोग (अ एवं ब)	रु0	24212	रु0	147


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 2429.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-3/10** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

श्री राजकुमार यादव पुत्र श्री बाल किशुन यादव  
निवासी-ग्राम-मथौली, पोस्ट-विगही,  
थाना-हरपुर बुदहट,  
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **659** दिनांक **11.02.2011** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-3/10** से. **22** क्षे. **148.75** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>27692</b>	रु0 <b>434</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>39072</b>	रु0 <b>386</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>66764</b>	रु0 <b>820</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>8679</b>	रु0 <b>54</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>4909</b>	रु0 <b>30</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>13588</b>	रु0 <b>84</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>80352</b>	रु0 <b>904</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **491.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।



पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-5/4** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री अतुल कुमार पाण्डेय पुत्र श्री जगदीश पाण्डेय**  
**निवासी-लाल डिग्गी पार्क रोड,**  
**द्वारा सन्दीप ट्रांसपोर्ट,**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **666** दिनांक **11.02.2011** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-5/4** से. **22** क्षे. **148.75** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>27692</b>	रु0 <b>434</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>39072</b>	रु0 <b>386</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>66764</b>	रु0 <b>820</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>8679</b>	रु0 <b>54</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>4909</b>	रु0 <b>30</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>13588</b>	रु0 <b>84</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>80352</b>	रु0 <b>904</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **491.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. C-5/25 / से. 22 / 2023-24 दिनांक

श्री अजय कुमार सिंह पुत्र श्री राम करन सिंह  
निवासी-148-बी, नई बॉसगाँव कालोनी,  
मुहल्ला-बिलन्दपुर, सदर,  
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या 714 दिनांक 30.06.2011 के माध्यम से गीडा की ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. C-5/25 से. 22 क्षेत्र 205.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	36387	रु0 562
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	52907	रु0 513
योग (अ)	रु0	89294	रु0 1075

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	11608	रु0 70
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	6765	रु0 41
योग (ब)	रु0	18373	रु0 111
महायोग (अ एवं ब)	रु0	107667	रु0 1186


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 677.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-2/15** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री सतीश चन्द जायसवाल पुत्र स्व० राजकुमार जायसवाल**  
**निवासी-ग्राम, पोस्ट एवं थाना-उरुवां बाजार,**  
**तहसील-गोला, जिला-गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **658** दिनांक **11.02.2011** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-2/15** से. **22** क्षे. **148.75** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु०	<b>14436</b>	रु० <b>168</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>30712</b>	रु० <b>247</b>
<b>योग (अ)</b>	रु०	<b>45148</b>	रु० <b>415</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु०	<b>5869</b>	रु० <b>27</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>4909</b>	रु० <b>30</b>
<b>योग (ब)</b>	रु०	<b>10778</b>	रु० <b>57</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु०	<b>55926</b>	रु० <b>472</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **491.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-3/17** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

श्रीमती कृष्ण यादव पत्नी श्री आलोक कुमार यादव  
द्वारा 736, जंगल तुलसीराम, सर्वोदय नगर (निकट हनुमान मंदिर)  
पोस्ट-बिछिया कैम्प,  
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **670** दिनांक **11.02.2011** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-3/17** से. **22** क्षे. **148.75** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>10359</b>	रु0 <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>29141</b>	रु0 <b>-97</b>
योग (अ)	रु0	<b>39500</b>	रु0 <b>-97</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>5135</b>	रु0 <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>4909</b>	रु0 <b>30</b>
योग (ब)	रु0	<b>10044</b>	रु0 <b>30</b>
महायोग (अ एवं ब)	रु0	<b>49544</b>	रु0 <b>-67</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **491.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-3/8** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री रामचन्द्र पुत्र श्री रामकोमल**  
**निवासी-ग्राम-भरोहिया,**  
**जिला-गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **660** दिनांक **11.02.2011** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-3/8** से. **22** क्षे. **139.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>534</b>	रु0 <b>248</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>8565</b>	रु0 <b>286</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>9099</b>	रु0 <b>534</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>1183</b>	रु0 <b>35</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>4587</b>	रु0 <b>28</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>5770</b>	रु0 <b>63</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>14869</b>	रु0 <b>597</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **459.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-4/15** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री दिनेश कुमार नायक पुत्र श्री जमुना नायक**  
**निवासी-ग्राम व पोस्ट-पकडी दूबे, गोरखपुर एवं**  
**श्री सुनील कुमार जायसवाल, ग्राम व पोस्ट-जानीपुर,**  
**जिला-गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **713** दिनांक **31.03.2011** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-4/15** से. **22** क्षे. **148.75** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>22266</b>	रु0 <b>427</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>36071</b>	रु0 <b>383</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>58337</b>	रु0 <b>810</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>7584</b>	रु0 <b>53</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>4909</b>	रु0 <b>30</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>12493</b>	रु0 <b>83</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>70830</b>	रु0 <b>893</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **491.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **C-5/10** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री पुरुषोत्तम मिश्रा पुत्र स्व० राम किशोर मिश्रा**  
**निवासी-मकान संख्या-108 आवास विकास पुरानी कालोनी,**  
**बेतियाहाता,**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **726** दिनांक **30.06.2011** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **C-5/10** से. **22** क्षे. **205.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	<u>रख-रखाव</u>		<u>लीज रेन्ट</u>	
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु०	<b>0</b>	रु०	<b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>-615</b>	रु०	<b>0</b>
<b>योग (अ)</b>	रु०	<b>-615</b>	रु०	<b>0</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु०	<b>0</b>	रु०	<b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>6765</b>	रु०	<b>41</b>
<b>योग (ब)</b>	रु०	<b>6765</b>	रु०	<b>41</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु०	<b>6150</b>	रु०	<b>41</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **677.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-6/9** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री अमरनाथ अग्रहरी पुत्र श्री महावीर अग्रहरी**  
**निवासी-न्यू अग्रहरी ट्रांसपोर्ट,**  
**ट्रांसपोर्ट नगर,**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **729** दिनांक **06.09.2011** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-6/9** से. **22** क्षे. **148.75** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>25776</b>	रु0 <b>402</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>38060</b>	रु0 <b>370</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>63836</b>	रु0 <b>772</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>8299</b>	रु0 <b>51</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>4909</b>	रु0 <b>30</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>13208</b>	रु0 <b>81</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>77044</b>	रु0 <b>853</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **491.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**



पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-3/18** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्रीमती प्रष्पा उपाध्याय पत्नी श्री बागीसदत्त उपाध्याय**  
**निवासी-मकान संख्या-442, अधियारी बाग, थाना-तिवारीपुर,**  
**तहसील-गोरखपुर सदर,**  
**जिला-गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **691** दिनांक **17.02.2011** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-3/18** से. **22** क्षे. **148.75** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>14333</b>	रु0 <b>140</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>30631</b>	रु0 <b>229</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>44964</b>	रु0 <b>369</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>5845</b>	रु0 <b>24</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>4909</b>	रु0 <b>30</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>10754</b>	रु0 <b>54</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>55718</b>	रु0 <b>423</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **491.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-4/7** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स जायसवाल ट्रांसपोर्ट द्वारा श्री अमरनाथ जायसवाल एवं  
श्री मनीष जायसवाल (साझेदार), निवासी वार्ड नं. 5,  
पोस्ट एवं थाना-गोला,  
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **694** दिनांक **17.02.2011** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना  
के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-4/7** से. **22** क्षे. **148.75** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव  
शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>21638</b>	रु0 <b>7</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>35703</b>	रु0 <b>54</b>
योग (अ)	रु0	<b>57341</b>	रु0 <b>61</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>7454</b>	रु0 <b>4</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>4909</b>	रु0 <b>30</b>
योग (ब)	रु0	<b>12363</b>	रु0 <b>34</b>
महायोग (अ एवं ब)	रु0	<b>69704</b>	रु0 <b>95</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **491.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-1/7** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री अरविन्द पाण्डेय पुत्र श्री सुशील कुमार पाण्डेय**  
**निवासी-मोहल्ला-बिलन्दपुर,**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **721** दिनांक **30.06.2011** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-1/7** से. **22** क्षे. **200.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>35494</b>	रु0 <b>549</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>51616</b>	रु0 <b>500</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>87110</b>	रु0 <b>1049</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>11324</b>	रु0 <b>69</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>6600</b>	रु0 <b>40</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>17924</b>	रु0 <b>109</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>105034</b>	रु0 <b>1158</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **660.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-4/18** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्रीमती दुर्गावती देवी पत्नी श्री घनश्याम**  
**पता-मू0 आदर्श नगर, वादी, प्लॉट संख्या-86,**  
**नागपुर (अर्बन), नागपुर, महाराष्ट्र।**

आवंटन पत्र संख्या **727** दिनांक **30.06.2011** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-4/18** से. **22** क्षे. **148.75** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>519</b>	रु0 <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>8755</b>	रु0 <b>-68</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>9274</b>	रु0 <b>-68</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>1206</b>	रु0 <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>4909</b>	रु0 <b>30</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>6115</b>	रु0 <b>30</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>15389</b>	रु0 <b>-38</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **491.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **C-4/3** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

श्रीमती शिल्पी जायसवाल पत्नी श्री एन0के0 जायसवाल,  
निवासी-मोहददीपुर, पोस्ट-कूडाघाट-273008  
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **575** दिनांक **02.03.2009** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **C-4/3** से. **22** क्षे. **50.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>5757</b>	रु0 <b>198</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>10995</b>	रु0 <b>148</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>16752</b>	रु0 <b>346</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>2178</b>	रु0 <b>23</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>1650</b>	रु0 <b>10</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>3828</b>	रु0 <b>33</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>20580</b>	रु0 <b>379</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **165.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **C-3/21** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

श्री गणेश सिंह पुत्र स्व० इन्दर सिंह  
निवासी-ग्राम-तेनुआ,  
पोस्ट-वाल्तरगंज,  
जिला-बस्ती।

आवंटन पत्र संख्या **704** दिनांक **17.02.2011** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **C-3/21** से. **22** क्षे. **180.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु०	<b>0</b>	रु० <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>-560</b>	रु० <b>0</b>
योग (अ)	रु०	<b>-560</b>	रु० <b>0</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु०	<b>0</b>	रु० <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>5940</b>	रु० <b>36</b>
योग (ब)	रु०	<b>5940</b>	रु० <b>36</b>
महायोग (अ एवं ब)	रु०	<b>5380</b>	रु० <b>36</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **594.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. D-4/3 / से. 22 / 2023-24 दिनांक

श्री राम जायसवाल पुत्र श्री कृष्णानन्द जायसवाल  
निवासी-कनक स्वीट हादस के सामने गली में,  
ट्रांसपोर्ट नगर,  
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या 692 दिनांक 17.02.2011 के माध्यम से गीडा की ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. D-4/3 से. 22 क्षेत्र 148.75 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	27636	रु0 434
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	39043	रु0 386
योग (अ)	रु0	66679	रु0 820

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	8668	रु0 54
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4909	रु0 30
योग (ब)	रु0	13577	रु0 84
महायोग (अ एवं ब)	रु0	80256	रु0 904


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 491.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-2/14** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री अश्वनी कुमार त्रिपाठी पुत्र श्री पुरुषोत्तम त्रिपाठी,**  
**निवासी-ग्राम एवं पोस्ट-गाहासॉड,**  
**तहसील एवं थाना-सहजनवॉ,**  
**जिला-गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **762** दिनांक **09.07.2014** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-2/14** से. **22** क्षे. **148.75** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-501	रु0
<b>योग (अ)</b>	रु0	-501	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4909	रु0
<b>योग (ब)</b>	रु0	4909	रु0
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	4409	रु0

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **491.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**



पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-4/17** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री विजय कुमार श्रीवास्तव पुत्र स्व0 हरि प्रसाद श्रीवास्तव**  
**निवासी-नवीन ट्रांसपोर्ट नगर,**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **763** दिनांक **09.07.2014** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-4/17** से. **22** क्षे. **50.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>5277</b>	रु0 <b>373</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>10634</b>	रु0 <b>474</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>15911</b>	रु0 <b>847</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>2068</b>	रु0 <b>56</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>1650</b>	रु0 <b>50</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>3718</b>	रु0 <b>106</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>19629</b>	रु0 <b>953</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **165.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-1/1(A)** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

श्री अनवर हसैन अंसारी पुत्र श्री गूलजार हसैन अंसारी  
निवासी-मकान संख्या-69डी,  
ट्रांसपोर्ट नगर, महेवा,  
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **732** दिनांक **31.03.2014** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-1/1(A)** से. **22** क्षे. **113.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	<u>रख-रखाव</u>		<u>लीज रेन्ट</u>	
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-612	रु0	-29
<b>योग (अ)</b>	रु0	-612	रु0	-29

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3729	रु0	113
<b>योग (ब)</b>	रु0	3729	रु0	113
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	3117	रु0	84

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **373.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-1/1(J)** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री उदयभान पाण्डेय पुत्र श्री चन्द्रबली पाण्डेय**  
**निवासी-ग्राम-दिउलिया, भनिया छपरा, टोला-भनिया छपरा,**  
**पोस्ट-लक्ष्मीगंज,**  
**जिला-कृशीनगर।**

आवंटन पत्र संख्या **741** दिनांक **31.03.2014** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-1/1(J)** से. **22** क्षे. **145.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>924</b>	रु0 <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>8309</b>	रु0 <b>-9670</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>9233</b>	रु0 <b>-9670</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>385</b>	रु0 <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>4785</b>	रु0 <b>145</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>5170</b>	रु0 <b>145</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>14403</b>	रु0 <b>-9525</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **479.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-4/14** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री रणविजय कुमार सिंह पुत्र श्रीराम सिंह,**  
**निवासी-23, शिवपुरी कालोनी पिकनिक स्पॉट रोड फरीदी नगर,**  
**सिमप, लखनऊ,**  
**उ0 प्र0-226015**

आवंटन पत्र संख्या **764** दिनांक **09.07.2014** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-4/14** से. **22** क्षे. **159.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-1881	रु0
<b>योग (अ)</b>	रु0	-1881	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5247	रु0
<b>योग (ब)</b>	रु0	5247	रु0
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	3366	रु0

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **525.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **C-1/5** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

श्री गिरिजा शंकर तिवारी पुत्र स्व० ग्रहमदेव तिवारी  
निवासी-सी-190/78, बॉसगाँव कालोनी,  
बिलन्दपुर, गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **744** दिनांक **31.03.2014** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **C-1/5** से. **22** क्षे. **180.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु०	<b>16791</b>	रु० <b>932</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>36625</b>	रु० <b>1440</b>
<b>योग (अ)</b>	रु०	<b>53416</b>	रु० <b>2372</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु०	<b>6944</b>	रु० <b>155</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>5940</b>	रु० <b>180</b>
<b>योग (ब)</b>	रु०	<b>12884</b>	रु० <b>335</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु०	<b>66300</b>	रु० <b>2707</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **594.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-3/6** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

श्री ओंकार सिंह पुत्र श्री जगदीश प्रसाद सिंह  
निवासी-मकान सं0 546एल, बापू जूनियर स्कूल के पीछे,  
गंगा नगर, बशारतपुर, आरोग्य मंदिर,  
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **761** दिनांक **09.07.2014** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-3/6** से. **22** क्षे. **164.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-1421	रु0
योग (अ)	रु0	-1421	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5412	रु0
योग (ब)	रु0	5412	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	3991	रु0


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **541.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-3/1** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्रीमती अमरावती देवी पत्नी श्री ईश्वर शरण सिंह**  
**निवासी-ग्राम-टिकरिया खोर,**  
**पोस्ट-चड़राव,**  
**जिला-गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **755** दिनांक **31.03.2014** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-3/1** से. **22** क्षे. **204.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-1059	रु0
<b>योग (अ)</b>	रु0	-1059	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	6732	रु0
<b>योग (ब)</b>	रु0	6732	रु0
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	5673	रु0

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **673.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-1/1(H)** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

श्री सोनू कुमार पुत्र श्री रघुनाथ प्रसाद  
निवासी-एच0आई0जी0-100,  
शास्त्रीपुरम कालोनी,  
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **753** दिनांक **31.03.2014** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-1/1(H)** से. **22** क्षे. **163.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	रख-रखाव		लीज रेन्ट	
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-319	रु0	-29
योग (अ)	रु0	-319	रु0	-29

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5379	रु0	163
योग (ब)	रु0	5379	रु0	163
महायोग (अ एवं ब)	रु0	5060	रु0	134


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **538.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।



पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. D-1/12 / से. 22 / 2023-24 दिनांक

श्री रामदरश पुत्र श्री रामधारी  
निवासी-पोस्ट-डवरपार,  
कौडीराम,  
जिला-गोरखपुर

आवंटन पत्र संख्या 757 दिनांक 31.03.2014 के माध्यम से गीडा की ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. D-1/12 से. 22 क्षे. 190.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	8950	रु0 436
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	30267	रु0 1076
योग (अ)	रु0	39217	रु0 1512

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	5098	रु0 99
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	6270	रु0 190
योग (ब)	रु0	11368	रु0 289
महायोग (अ एवं ब)	रु0	50585	रु0 1801


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 627.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-1/1(M)** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

श्री परमानन्द सिंह पुत्र श्री रामस्वारथ सिंह  
निवासी-ग्राम-केशोपुर,  
सहजनवाँ,  
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **754** दिनांक **31.03.2014** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-1/1(M)** से. **22** क्षे. **113.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2360	रु0
योग (अ)	रु0	2360	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	307	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3729	रु0
योग (ब)	रु0	4036	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	6396	रु0

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **373.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-7/10** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्रीमती शकुन्तला सिंह पत्नी श्री विनोद सिंह**  
**निवासी-मूहल्ला-बिलन्दपुर, शिवमन्दिर के पीछे,**  
**थाना-कैन्ट,**  
**जिला-गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **750** दिनांक **31.03.2014** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-7/10** से. **22** क्षे. **161.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>4536</b>	रु0 <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>21116</b>	रु0 <b>-54</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>25652</b>	रु0 <b>-54</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>3335</b>	रु0 <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>5313</b>	रु0 <b>161</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>8648</b>	रु0 <b>161</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>34300</b>	रु0 <b>107</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **531.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **C-1/10** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री रमाकान्त राय पुत्र श्री दीनानाथ राय**  
**निवासी-33-कसया रोड,**  
**बिलन्दपुर,**  
**जिला-गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **733** दिनांक **31.03.2014** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **C-1/10** से. **22** क्षे. **180.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-88	रु0
<b>योग (अ)</b>	रु0	-88	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5940	रु0
<b>योग (ब)</b>	रु0	5940	रु0
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	5852	रु0


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **594.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-1/14** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

श्रीमती दुर्गावती देवी पत्नी स्व० चन्द्रदेव राय  
निवासी-पाण्डेय कालोनी,  
अलहदादपुर,  
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **752** दिनांक **31.03.2014** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-1/14** से. **22** क्षे. **190.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु०	<b>21301</b>	रु० <b>1500</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>41346</b>	रु० <b>1854</b>
योग (अ)	रु०	<b>62647</b>	रु० <b>3354</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु०	<b>8144</b>	रु० <b>220</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>6270</b>	रु० <b>190</b>
योग (ब)	रु०	<b>14414</b>	रु० <b>410</b>
महायोग (अ एवं ब)	रु०	<b>77061</b>	रु० <b>3764</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **627.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-1/1(L)** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री अश्वनी कुमार पुत्र श्री इन्द्रदेव प्रसाद गुप्ता**  
**निवासी-नूरुद्दीनगंज, भारत माता मन्दिर के पास,**  
**सिमली पटना,**  
**बिहार-800008**

आवंटन पत्र संख्या **738** दिनांक **31.03.2014** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-1/1(L)** से. **22** क्षे. **112.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-438	रु0
<b>योग (अ)</b>	रु0	-438	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3696	रु0
<b>योग (ब)</b>	रु0	3696	रु0
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	3258	रु0

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **370.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **CL-1** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

श्री धर्मेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह  
निवासी-भूखण्ड संख्या-21, 22,  
नवीन ट्रांसपोर्ट नगर,  
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **758** दिनांक **31.03.2014** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **CL-1** से. **22** क्षे. **2120.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>237688</b>	रु0 <b>16726</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>461335</b>	रु0 <b>20689</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>699023</b>	रु0 <b>37415</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>90873</b>	रु0 <b>2452</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>69960</b>	रु0 <b>2120</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>160833</b>	रु0 <b>4572</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>859856</b>	रु0 <b>41987</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **6996.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **C-1/7** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

श्रीमती प्रियंका साहनी पत्नी श्री रामेश्वर साहनी,  
निवासी-ग्राम-कृशहरा,  
पोस्ट-डोहरिया बाजार,  
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **745** दिनांक **31.03.2014** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **C-1/7** से. **22** क्षे. **180.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-112	रु0
योग (अ)	रु0	-112	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5940	रु0
योग (ब)	रु0	5940	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	5828	रु0


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **594.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।



पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-1/1(D)** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री विनय कुमार गुप्ता पुत्र श्री महातम प्रसाद गुप्ता**  
**निवासी-5 नवा नगर,**  
**सिकन्दरपुर, बलिया,**  
**उ० प्र०**

आवंटन पत्र संख्या **736** दिनांक **31.03.2014** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-1/1(D)** से. **22** क्षे. **113.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु०	<b>0</b>	रु० <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>-736</b>	रु० <b>-79</b>
<b>योग (अ)</b>	रु०	<b>-736</b>	रु० <b>-79</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु०	<b>0</b>	रु० <b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>3729</b>	रु० <b>113</b>
<b>योग (ब)</b>	रु०	<b>3729</b>	रु० <b>113</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु०	<b>2993</b>	रु० <b>34</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **373.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **C-5/14** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री सचिन अग्रवाल पुत्र श्री सत्यनारायन अग्रवाल**  
**निवासी-6-न्यू ट्रांसपोर्ट नगर,**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **747** दिनांक **31.03.2014** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **C-5/14** से. **22** क्षे. **205.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>22983</b>	रु0 <b>1616</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>44610</b>	रु0 <b>2001</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>67593</b>	रु0 <b>3617</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>8787</b>	रु0 <b>237</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>6765</b>	रु0 <b>205</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>15552</b>	रु0 <b>442</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>83145</b>	रु0 <b>4059</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **677.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-1/1(C)** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

श्री रामचन्द्र सिंह पुत्र स्व० रामदलारे सिंह  
निवासी-ग्राम-सेमरा,  
पोस्ट-सहजनवाँ,  
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **743** दिनांक **31.03.2014** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-1/1(C)** से. **22** क्षे. **113.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	रख-रखाव		लीज रेन्ट	
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु०	<b>0</b>	रु०	<b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>-19</b>	रु०	<b>-1</b>
योग (अ)	रु०	<b>-19</b>	रु०	<b>-1</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु०	<b>0</b>	रु०	<b>0</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>3729</b>	रु०	<b>113</b>
योग (ब)	रु०	<b>3729</b>	रु०	<b>113</b>
महायोग (अ एवं ब)	रु०	<b>3710</b>	रु०	<b>112</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **373.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **C-5/12** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री मोजीबुर रहमान पुत्र श्री मो0 नजीर**  
**निवासी-चकरा अब्बल,**  
**ट्रांसपोर्ट नगर,**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **746** दिनांक **31.03.2014** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **C-5/12** से. **22** क्षे. **205.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>22983</b>	रु0 <b>1616</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>44610</b>	रु0 <b>2001</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>67593</b>	रु0 <b>3617</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>8787</b>	रु0 <b>237</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>6765</b>	रु0 <b>205</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>15552</b>	रु0 <b>442</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>83145</b>	रु0 <b>4059</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **677.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-5/13** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्रीमती पूष्पा देवी मिश्रा पत्नी श्री रामचन्द्र मिश्रा**  
**निवासी-कृष्णा भवन, निकट भगत चौक,**  
**कैलाश पुरी कालोनी, रामपुर,**  
**जिला-गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **730** दिनांक **31.03.2014** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-5/13** से. **22** क्षे. **187.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>2396</b>	रु0 <b>46</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>17634</b>	रु0 <b>365</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>20030</b>	रु0 <b>411</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>2604</b>	रु0 <b>27</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>6171</b>	रु0 <b>187</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>8775</b>	रु0 <b>214</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>28805</b>	रु0 <b>625</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **617.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-1/1(E)** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री रामेश्वर गुप्ता पुत्र स्व0 शिव कुमार गुप्ता**  
**निवासी-मकान संख्या-149ए,**  
**धर्मशाला बाजार, जटेपुर दक्षिणी,**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **737** दिनांक **31.03.2014** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-1/1(E)** से. **22** क्षे. **113.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-66	रु0
<b>योग (अ)</b>	रु0	-66	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3729	रु0
<b>योग (ब)</b>	रु0	3729	रु0
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	3663	रु0

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **373.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-1/10** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री शंकर लाल भगत पुत्र स्व० कृष्ण भगत**  
**निवासी-बिसेन फ़्लैट्स, हरिहर प्रसाद दूबे मार्ग,**  
**बेतियाहाता, काली मंदिर,**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **756** दिनांक **31.03.2014** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-1/10** से. **22** क्षे. **200.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु०	<b>0</b>	रु० <b>248</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>-1787</b>	रु० <b>843</b>
<b>योग (अ)</b>	रु०	<b>-1787</b>	रु० <b>1091</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु०	<b>0</b>	रु० <b>72</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>6600</b>	रु० <b>200</b>
<b>योग (ब)</b>	रु०	<b>6600</b>	रु० <b>272</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु०	<b>4813</b>	रु० <b>1363</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **660.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-1/9** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री सुधीर कुमार भगत पुत्र स्व० राम औतार भगत**  
**निवासी-408-सर्गाफ रेजिडेन्सी, बेतियाहाता,**  
**मुंशी प्रेमचन्द पार्क,**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **751** दिनांक **31.03.2014** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-1/9** से. **22** क्षे. **200.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु०	<b>22423</b>	रु० <b>248</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>43522</b>	रु० <b>843</b>
<b>योग (अ)</b>	रु०	<b>65945</b>	रु० <b>1091</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु०	<b>8573</b>	रु० <b>72</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>6600</b>	रु० <b>200</b>
<b>योग (ब)</b>	रु०	<b>15173</b>	रु० <b>272</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु०	<b>81118</b>	रु० <b>1363</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **660.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**



पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-1/1(G)** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्रीमती प्रियंका यादव पत्नी श्री रमेश कुमार यादव**  
**निवासी-ग्राम-बेलहर, पोस्ट एवं थाना-सहजनवाँ,**  
**जिला-गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **735** दिनांक **31.03.2014** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-1/1(G)** से. **22** क्षे. **112.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	<u>रख-रखाव</u>		<u>लीज रेन्ट</u>	
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-630	रु0	-341
<b>योग (अ)</b>	रु0	-630	रु0	-341

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3696	रु0	112
<b>योग (ब)</b>	रु0	3696	रु0	112
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	3066	रु0	-229

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **370.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-1/1(N)** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स बालाजी इन्टरप्राइजेज द्वारा श्री राकेश बहादुर सिंह (साझेदार)  
एवं श्रीमती उर्मिला सिंह, निवासी-मकान संख्या 75,  
ग्राम व पोस्ट-गायघाट,  
जिला-संत कबीर नगर।

आवंटन पत्र संख्या **734** दिनांक **31.03.2014** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-1/1(N)** से. **22** क्षे. **113.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>12670</b>	रु0 <b>892</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>24590</b>	रु0 <b>1103</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>37260</b>	रु0 <b>1995</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>4844</b>	रु0 <b>131</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>3729</b>	रु0 <b>113</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>8573</b>	रु0 <b>244</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>45833</b>	रु0 <b>2239</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **373.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-1/1(P)** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री मनोज पाल पुत्र श्री राम बहादुर पाल**  
**निवासी-184एफ, शांति सदन, नियर शिव मंदिर,**  
**बिलन्दपुर, गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **748** दिनांक **31.03.2014** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-1/1(P)** से. **22** क्षे. **113.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>12670</b>	रु0 <b>892</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>24590</b>	रु0 <b>1103</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>37260</b>	रु0 <b>1995</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>4844</b>	रु0 <b>131</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>3729</b>	रु0 <b>113</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>8573</b>	रु0 <b>244</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>45833</b>	रु0 <b>2239</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **373.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-1/1(F)** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री अशर्फी लाल गुप्ता पुत्र स्व० सीताराम गुप्ता**  
**निवासी-मियां बाजार दक्षिणी,**  
**गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **731** दिनांक **31.03.2014** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-1/1(F)** से. **22** क्षे. **112.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु०	<b>12557</b>	रु० <b>885</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>24372</b>	रु० <b>1093</b>
<b>योग (अ)</b>	रु०	<b>36929</b>	रु० <b>1978</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु०	<b>4801</b>	रु० <b>130</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>3696</b>	रु० <b>112</b>
<b>योग (ब)</b>	रु०	<b>8497</b>	रु० <b>242</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु०	<b>45426</b>	रु० <b>2220</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **370.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-7/2** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री कृष्ण मिश्र पुत्र स्व० महेन्द्र कुमार मिश्र**  
**निवासी-21/38, फीगंज,**  
**आगरा।**

आवंटन पत्र संख्या **689** दिनांक **11.02.2011** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-7/2** से. **22** क्षे. **924.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु०	<b>172002</b>	रु० <b>2695</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>242691</b>	रु० <b>2385</b>
<b>योग (अ)</b>	रु०	<b>414693</b>	रु० <b>5080</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु०	<b>53910</b>	रु० <b>333</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>30492</b>	रु० <b>185</b>
<b>योग (ब)</b>	रु०	<b>84402</b>	रु० <b>518</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु०	<b>499095</b>	रु० <b>5598</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **3049.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-1/3A** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

श्री राम कृष्ण मिश्र पुत्र स्व० महेन्द्र कुमार मिश्र  
निवासी-न्यू वाराणसी ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन,  
ई-23, नवीन ट्रांसपोर्ट नगर,  
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **766** दिनांक **02.11.2015** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-1/3A** से. **22** क्षे. **1062.50** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु०	<b>81299</b>	<b>5732</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>200769</b>	<b>8682</b>
योग (अ)	रु०	<b>282068</b>	<b>14414</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु०	<b>36669</b>	<b>945</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	<b>35063</b>	<b>1063</b>
योग (ब)	रु०	<b>71732</b>	<b>2008</b>
महायोग (अ एवं ब)	रु०	<b>353800</b>	<b>16422</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **3506.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-1/3B** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

श्रीमती मीना सिंह पत्नी श्री रविन्द्र सिंह  
निवासी-एच0आई0जी0-3/9,  
सिद्धार्थपुरम विस्तार,  
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **765** दिनांक **02.11.2015** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-1/3B** से. **22** क्षे. **1062.50** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>81299</b>	रु0 <b>5732</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>200769</b>	रु0 <b>8682</b>
योग (अ)	रु0	<b>282068</b>	रु0 <b>14414</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>36669</b>	रु0 <b>945</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>35063</b>	रु0 <b>1063</b>
योग (ब)	रु0	<b>71732</b>	रु0 <b>2008</b>
महायोग (अ एवं ब)	रु0	<b>353800</b>	रु0 <b>16422</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **3506.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।



पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-3/22** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

श्री मोहम्मद सुभान पुत्र श्री मोहम्मद सफी  
निवासी-सी/116/1094, मियां बाजार दक्षिणी,  
निकट एल0आई0यू0 आफिस,  
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **767** दिनांक **02.11.2015** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-3/22** से. **22** क्षे. **164.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>12549</b>	रु0 <b>885</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>30989</b>	रु0 <b>1339</b>
योग (अ)	रु0	<b>43538</b>	रु0 <b>2224</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>5660</b>	रु0 <b>146</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>5412</b>	रु0 <b>164</b>
योग (ब)	रु0	<b>11072</b>	रु0 <b>310</b>
महायोग (अ एवं ब)	रु0	<b>54610</b>	रु0 <b>2534</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **541.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।



पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-7/13** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

कुमारी विजय लक्ष्मी गुप्ता पुत्री श्री राजेश कुमार गुप्ता  
निवासी-198, अस्करगंज  
गोरखपुर, उ0 प्र0

आवंटन पत्र संख्या **768** दिनांक **30.06.2021** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-7/13** से. **22** क्षे. **115.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-444	रु0
योग (अ)	रु0	-444	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3795	रु0
योग (ब)	रु0	3795	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	3351	रु0

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **380.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. D-7/1 / से. 22 / 2023-24 दिनांक

श्री मनीष केडिया पुत्र स्व० जगदीश प्रसाद केडिया,  
निवासी-एस-705,  
मंजू कूटीर, बेतियाहाता साउथ,  
गोरखपुर, उ० प्र०

आवंटन पत्र संख्या 769 दिनांक 30.06.2021 के माध्यम से गीडा की ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. D-7/1 से. 22 क्षे. 484.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	63	रु० 27
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	13643	रु० 413
योग (अ)	रु०	13706	रु० 440

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	1782	रु० 35
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	15972	रु० 484
योग (ब)	रु०	17754	रु० 519
महायोग (अ एवं ब)	रु०	31460	रु० 959

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० 1597.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-7/14** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

श्री सुनील कुमार यादव पुत्र श्री राजेन्द्र यादव  
निवासी-ग्राम-भप्सा, पोस्ट-सहजनवाँ,  
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **770** दिनांक **30.06.2021** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-7/14** से. **22** क्षे. **124.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	रख-रखाव		लीज रेन्ट	
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-348	रु0	-42
योग (अ)	रु0	-348	रु0	-42

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4092	रु0	124
योग (ब)	रु0	4092	रु0	124
महायोग (अ एवं ब)	रु0	3744	रु0	82


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **409.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-7/15** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

श्री विष्णु शरण पाण्डेय पुत्र श्री देवकी नाथ पाण्डेय  
निवासी-5-सी, बिलन्दपुर,  
अपोजिट डी0आई0जी0 बंगला लेन,  
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **771** दिनांक **30.06.2021** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-7/15** से. **22** क्षे. **123.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-431	रु0
योग (अ)	रु0	-431	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4059	रु0
योग (ब)	रु0	4059	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	3628	रु0

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **406.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-7/1A** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री संदीप कुमार शर्मा पुत्र श्री जय भगवान शर्मा**  
**निवासी-31-द्वारिका एन्क्लेव, राजबाग, रजनीगंधा अपार्टमेन्ट के पास,**  
**साहिबाबाद, गाजियाबाद,**  
**उत्तर प्रदेश-201005**

आवंटन पत्र संख्या **773** दिनांक **14.03.2022** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-7/1A** से. **22** क्षे. **525.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-1621	रु0
<b>योग (अ)</b>	रु0	-1621	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	17325	रु0
<b>योग (ब)</b>	रु0	17325	रु0
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	15704	रु0


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **1733.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-7/12** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री दयानंद शर्मा पुत्र श्री ओम प्रकाश शर्मा**  
**निवासी-मकान संख्या-66पी,**  
**मोहल्ला एवं पोस्ट-जंगल सालिकराम,**  
**गोरखपुर-273014**

आवंटन पत्र संख्या **774** दिनांक **14.03.2022** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-7/12** से. **22** क्षे. **537.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>0</b>	रु0 <b>62</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>12932</b>	रु0 <b>968</b>
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>12932</b>	रु0 <b>1030</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>1681</b>	रु0 <b>68</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>17721</b>	रु0 <b>537</b>
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>19402</b>	रु0 <b>605</b>
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>32334</b>	रु0 <b>1635</b>

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **1772.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-7/3** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री नौशाद अहमद पुत्र श्री निसार अहमद**  
**पता-36, हरिओम नगर,**  
**सिविल लाइन्स,**  
**गोरखपुर-273001, यू0पी0**

आवंटन पत्र संख्या **772** दिनांक **14.03.2022** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-7/3** से. **22** क्षे. **500.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	<u>रख-रखाव</u>		<u>लीज रेन्ट</u>	
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-63	रु0	0
<b>योग (अ)</b>	रु0	-63	रु0	0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	16500	रु0	500
<b>योग (ब)</b>	रु0	16500	रु0	500
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	16437	रु0	500

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **1650.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-3/21** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

**श्री रामाज्ञा पुत्र श्री रामप्यारे**  
**निवासी-मकान संख्या 241, महईसुधरपुर,**  
**थाना-खोराबार,**  
**जिला-गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **759** दिनांक **31.03.2014** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-3/21** से. **22** क्षे. **70.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>60</b>	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>1838</b>	रु0
<b>योग (अ)</b>	रु0	<b>1898</b>	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>212</b>	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>2310</b>	रु0
<b>योग (ब)</b>	रु0	<b>2522</b>	रु0
<b>महायोग (अ एवं ब)</b>	रु0	<b>4420</b>	रु0

**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **231.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
**(मयंक मंगल)**  
**प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)**  
**गीडा, गोरखपुर।**



पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **C-3/25** / से. **22** / 2023-24 दिनांक

श्री रमेश यादव पुत्र श्री मोती लाल यादव  
निवासी-अधियारी बाग,  
थाना-तिवारीपुर,  
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **749** दिनांक **31.03.2014** के माध्यम से गीडा की **ट्रांसपोर्ट नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **C-3/25** से. **22** क्षे. **180.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2022</b> तक	रु0	<b>2510</b>	रु0 <b>47</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>17824</b>	रु0 <b>364</b>
योग (अ)	रु0	<b>20334</b>	रु0 <b>411</b>

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक <b>31.12.2023</b> तक	रु0	<b>2643</b>	रु0 <b>27</b>
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	<b>5940</b>	रु0 <b>180</b>
योग (ब)	रु0	<b>8583</b>	रु0 <b>207</b>
महायोग (अ एवं ब)	रु0	<b>28917</b>	रु0 <b>618</b>


**नोट:-रख-रखाव शुल्क-** समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **594.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

**लीज रेन्ट-** समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

  
(मयंक मंगल)  
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा, गोरखपुर।